Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का १२वां दिवस [संख्या ७

मंगलवार, दिनांक ३ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, शक्ति, मुद्रण, यातायात, उद्योग व विधि-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १२३

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

भांडारेज-उकाली सड़क

१२४. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भांडारेज से उकाली तक पक्की सड़क का ठेका हुए कितना समय हो चुका है ?

(२) उस सड़क का कार्य अब तक भी पूर्ण क्यों नहीं हुआ है ?

(३) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में इस सड़क के कार्य को पूरा कर सकेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) लगभग सात वर्ष का समय हो चुका है।

(२) ठेकेदार और विभाग के आपसी विवाद के कारण।

(३) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह विवाद कहां चल रहा है, कोर्ट में या विभागीय ऑफिस में ही ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी जानकारी कोर्ट की मेरे पास नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इसमें क्या भ्रष्टाचार है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें ठेकेदार के रिप्रेज़ेन्टेशन हैं। अलाइनमेन्ट के झगड़े हैं। इसलिये देर हो गई है। हमने काम शुरू भी करवा दिया है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : काम तो पूरा नहीं हुआ है, झगड़े चलते आठ साल हो गये। न काम शुरू हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र : ३०-८-६३ से काम टेन्डर इन्वाइट करने वगैरह का शुरू हो गया है और वर्क डिपार्टमेंटली भी शुरू हो गया है।

श्री रामकिशन (वैर) : ठेकेदार के रिप्रेज़ेन्टेशन का फैसला क्यों नहीं हुआ इतने अर्से तक भी ? जैसा भी हो। क्या रिप्रेज़ेन्टेशन था ?

श्री हरिशचन्द्र : आपने जो सवाल उठाया, उसके लिए मैं भी समझता हूं कि सात साल हो गये इस काम को तो फिर भी तै नहीं कर पाये हैं, इसके लिए मैंने आदेश भी दिये हैं कि जांच की जावे।

श्री रामकिशन: रिप्रेज़ेन्टेशन टाइम में दिया, विभाग ने अब जांच नहीं की तो दोषी कौन है ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिस्प्यूट है ? वह क्लेम कुछ करता है, पी० डब्ल्यू० डी० देना नहीं चाहता होगा, इस तरह का झगड़ा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह सड़क कितनी लम्बी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कुल मील १४ है और तीसरी प्लान में दो मील और है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १६ मील का टुकड़ा सात साल तक बनवा नहीं सके। अब क्या अगले वर्ष तक पूरी कर देंगे ?

(उत्तर नहीं मिला)

प्रश्न संख्या १२५

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल "कालाबादल"।

मिडिल स्कूल, सूरजपोल दरवाजा, कोटा की इमारत

१२६. **श्री भैरवलाल, 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या मिडिल स्कूल, सूरजपोल दरवाजा, कोटा की इमारत नहर की वजह से तोड़ी गई थी ? यदि हां, तो उस इमारत के मुआवजे से दूसरी इमारत क्यों नहीं बनाई गई।

(२) यदि बना दी गई तो कहां, और इस इमारत का शिलान्यास कहां व किसके द्वारा किया गया था ?

Page No.3

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(३) क्या मिडल स्कूल की इमारत अभी पूरी नहीं हुई है ? यदि हां, तो कब तक पूरी होगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) यह सही है कि माध्यमिक शाला, सूरजपोल, कोटा का भवन नहर बनाने के कारण तोड़ा गया था जिसके मुआवजे की धन–राशि से गुमानपुरा, कोटा में नया भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है ।

(२) नया भवन गुमानपुरा, कोटा में बनाया गया है । इस भवन का शिलान्यास श्री महाराजा हरिश्चन्द्रजी, निर्माण मंत्री, राजस्थान द्वारा हुआ था ।

(३) नया भवन बन चुका है । कोई खास कमी नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसमें कितने कमरे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मिडल स्कूल के माफिक जितने कमरे होने चाहिये ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इसमें कितना खर्चा हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पी.डब्ल्यू. डी. के माध्यम से बनवाया गया । क्या खर्चा हुआ इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । यह इससे रिलेवेन्ट नहीं था इसलिये मैंने संग्रह नहीं किया ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छाबड़ा) : मुआवजे की धन–राशि कितनी दी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह भी मेरे पास नहीं है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला: उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी पूरी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : मुआवजे की धन-राशि शिक्षा विभाग देता है या और कोई देता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कम्पेन्सेशन और निर्माण पी० डब्ल्यू० डी० से हुआ था । यह प्रश्न इतना सीधा था कि मैंने इस तरह के सप्लीमेन्ट्री भी उठ सकते हैं या नहीं, इनकी रिलेवेन्सी के लिए सोचा ही नहीं । प्रश्न केवल विवादास्पद था गुमानपुरा और सूरजपोल का । यही सोच कर मैंने तैयारी की ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : झगड़ा यह नहीं है; वह पूरी नहीं हो रही है बिल्डिंग इस का है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं दिया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कम्पेन्सेशन कानून के हिसाब से दिया जाता है जो कोर्ट तय करता है और इसके बाद वह रकम राज्य सरकार देती है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : कम्पेन्सेशन दिया भी गया या नहीं, यह पूछना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह मान लिया जावे कि कम्पेन्सेशन की रकम तय नहीं हुई

(श्री उपाध्यक्ष)

और सरकार ने अपनी तरफ से यह बनवा दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कम्पेन्सेशन की रकम के आधार पर ही पी० डब्ल्यू० डी० ने इसे बनाया है और हमें सुपुर्द किया। यहां तक तो ठीक है।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : इसको चालू कर दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : इसमें कितनी क्लासें बैठती हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मिडल स्कूल की सब क्लासें बैठती हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह पर्याप्त है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शौचालय और मूत्रालय की कमी है, बाकी पर्याप्त है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिस उद्देश्य को लेकर यह प्रश्न पूछा गया कि जितनी रकम मुआवजे की मिलनी चाहिये थी वह मिली या नहीं और उतनी ही रकम की नई स्कूल बनी या नहीं। तो इस अर्थ में यह उत्तर बिल्कुल अपूर्ण है। पूरा जवाब सदन को मिलना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका कथन सही है। उत्तर अपर्याप्त है। इसलिए है कि मैं यह कोशिश कर रहा था कि मैं इस प्रश्न के पोस्टपोनमेन्ट के लिये अर्ज करूं क्योंकि डाइरेक्टर से मुझे पूरा उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी मेरा खयाल था कि जितना उत्तर दिया जा सके दिया जाय। अब निवेदन करना चाहता हूँ कि विस्तृत रूप से सब बातों का जवाब मैं, जब आसन कहेगा, दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed.

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : मेरा सवाल है मुआवजे........

श्री उपाध्यक्ष : The Question is postponed. आप बाद में पूछ लेना।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपका विभाग समय पर जवाब क्यों नहीं देता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी इस दिक्कत में हूँ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको शिक्षा विभाग अपना मिनिस्टर भी मानता है या नहीं ?

प्रश्न संख्या १२७

श्री उपाध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२८

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

Page No.5

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १२९

श्री हरदत्तसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

ठेकेदार को अधिक पेमेन्ट

१३०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टौंक डिवीज़न में श्रीनारायण ठेकेदार को १८ हजार रुपयों का अधिक पेमेन्ट हो गया था ?

(२) यदि हां, तो वह रकम वापिस हुई या नहीं और कितने वर्ष उसके पास रही ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) रकम वापिस जमा हो चुकी है । ठेकेदार के पास केवल २ मास ३ दिन रही है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह अधिक पेमेन्ट कैसे हो गया था इस ठेकेदार को और किन अधिकारियों की लापरवाही से हो गया और उसके लिए क्या एक्शन लिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार एक तो ओवरसियर हैं मिस्टर सिंगल, एक चौथमल हैं यू० डी० सी० और गजेन्द्र अकाउन्ट्स क्लर्क । इनकी गफलत से ओवरपेमेन्ट हुआ था और इन तीनों को चार्ज-शीट दे दी गयी है और उसके बाद उनका केस कमिश्नर फौर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के पास भेज दिया गया है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह १८ हजार का ओवर-पेमेन्ट हो जाये और आप सिर्फ चार्ज शीट ही देकर रह जायें..........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस बात का पता कैसे चला कि रकम ज्यादा दे दी गयी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह ए० जी० ने ऑडिट किया तो यह निकला कि १८,८३८) रुपये का पेमेन्ट ज्यादा दे दिया गया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ए० जी० ने दो महीने में ऑडिट करके बता दिया कि यह आपने पेमेन्ट ज्यादा कर दिया है ।

श्री हरिश्चन्द्र : It was detected by the office of the Accountant General.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनको सस्पेन्ड कर दिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : सस्पेन्ड तो नहीं किया है ।

Page No.6

श्री भैरोंसिंह् : क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अभी चार्जशीट दी गयी है उसके बाद में इन्क्वायरी कमिश्नर फोर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करेगा और फिर कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह् : उपाध्यक्ष महोदय, यह सन् ६१ में डिटेक्ट हुआ और इतना बड़ा १८ हजार का ओवर-पेमेन्ट का मसला है और सिर्फ चार्जशीट ही दी है अभी तक, तो आगे और क्या उम्मीद की जाये ?

श्री हरिश्चन्द्र : कमिश्नर फौर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ उसके बारे में कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह् : क्या उनको सस्पेन्ड करने के लिए गवर्नमेंट के पास प्राइमाफेसी केस नहीं बनता था कि जिसके आधार पर उनको सस्पेन्ड किया जा सके ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर कमिश्नर फौर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ अपनी फाइडिंग्ज़ दे देगा तो उनको सस्पेन्ड किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह् : फिर तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कमिश्नर की हो जायगी तो उसके बाद में उनका प्रोसीक्यूशन हो जायेगा और चालान होगा और केस आगे बढ़ेगा। क्या गवर्नमेन्ट के पास सफीशियेन्ट ग्राउन्ड्स नहीं थे कि इन्क्वायरी चालू होने के पहले ऐसे अधिकारियों को जो कि इतने बड़े ओवर-पेमेन्ट के लिए जिम्मेदार हैं उनको सस्पेन्ड किया जाये ?

श्री हरिश्चन्द्र : ३ आदमियों के नाम लिये गये, इनके लिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से आदमी के ऊपर इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी है। जब तक यह नहीं मालूम हो जाये तब तक किसको सस्पेन्ड करें ?

श्री भैरोंसिंह् : यह ओवर-पेमेन्ट तीनों की गफलत से हुआ है तो कलेक्टिवली वे रेस्पोन्सिबल हैं और तीनों को ही सस्पेन्ड किया जा सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर तीनों के ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स-अप हो गयी तो तीनों को कर दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह् : जब गवर्नमेन्ट मानती है कि १८ हजार रुपये का ओवर-पेमेन्ट किया और उसके लिए ३ आदमी रेस्पोन्सिबल हैं तो उसमें किस हद तक कौन कितना जिम्मेदार है उसकी इन्क्वायरी होगी और उसके अनुसार उनको पनिशमेन्ट मिलेगा, लेकिन अभी प्रिलिमिनेरी केस मालूम है कि इनके कारण हुआ है; तो naturally they should have been placed under suspension.

श्री हरिश्चन्द्र : जैसा मैंने निवेदन किया कि ३ आदमियों के ऊपर इस बात की रेस्पोन्सिबिलिटी आती है लेकिन इन तीनों में से तीनों को सस्पेन्ड करने का जहां तक सवाल है तो अगर कमिश्नर फौर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ यह रिपोर्ट करेगा तो तीनों बर्खास्त होंगे। लेकिन कम से कम यह प्राइमाफेसी साबित तो होना चाहिए कि कौन सा आदमी रेस्पोन्सिबल है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या यह सही है कि ठेकेदार और इन तीन व्यक्तियों ने मिलकर यह इरादतन पेमेन्ट किया और योजनाबद्ध यह रुपया दिया ?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट खुद ही विचार कर ले इस विषय के ऊपर कि ६१ के अन्दर १८ हजार रुपये का कोई केस डिटेक्ट हो जाये उसमें चार्जशीट मिले और इन्क्वायरी न हो और कौन आदमी कहां तक रेस्पोन्सिबल है अब, उपाध्यक्ष महोदय, क्या करें ? गवर्नमेन्ट खुद कन्सीडर करके नहीं कह सकती कि उनका एक्शन जस्टीफाइड था। मैं कहता हूं कि राजस्थान राज्य का कोई भी मंत्री नहीं कह सकता कि हमारा आज तक का एक्शन जस्टीफाइड था। इसमें अब तक डिसमिसल हो जाता। यह जो डिले हुई है यह करप्शन को बढ़ावा दे रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो डिले हुई उसके ऊपर इमीजियेट एक्शन होना चाहिए। अगर इस तरह से छूट मिली तो आज तो १८ हजार का हुआ है कल २८ हजार का हो जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : इमीजियेट एक्शन लिया गया है। चार्ज शीट दे दी गयी उसके बाद मैटर कमिश्नर फौर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के पास भेज दिया गया। अब उनकी फाइन्डिग्ज़ आयेंगी तो उसके ऊपर बराबर एक्शन लिया जायेगा। आपका जो कहना है कि इनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया है उसके ऊपर मैं फिर जांच कर सकता हूं, इसमें एतराज नहीं कि सस्पेन्ड हो सकते हैं या नहीं।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : चार्जशीट का जवाब आया या नहीं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या कमिश्नर फौर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के लिए जरूरी नहीं है कि एक साल के अन्दर कम से कम फैसला कर दें। सरकार ने इस संबंध में क्या कोई आदेश नहीं दिये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : That is a separate question.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : एक साल में ही करें, ऐसा ऑर्डर नहीं है। ६ महीने में भी कर देना चाहिये, ऐसी बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अधिक से अधिक कितने समय में कर देना चाहिए ?

श्री मथुरादास माथुर : अधिक से अधिक कोई लिमिटेशन नहीं है, पर जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। लेकिन कई दफा कमिश्नर फौर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ बदल जाते हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये तो अभी ३-४ साल से बदले हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ३-४ साल में ३ बदल चुके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी विरोधी दल पर तो नहीं डालती ?

श्री मथुरादास माथुर : न तो उसकी जिम्मेदारी विरोधी दल पर है और न हम पर। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि किसी भी केस को कमिश्नर फौर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के पास भेजने से पहले डिपार्टमेन्ट ही प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी करता है और उसके बाद में कमिश्नर के पास मामला भेजा जाता है ?

Page No.8

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो इसके पहले जो प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी की है उससे यह एस्टेब्लिश नहीं हो सका कि कौन आदमी कहां तक रेस्पोन्सिबल है और उसके बेसिस पर उसको सस्पेन्ड किया जा सकता है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जैसा मैंने निवेदन किया इस मामले में जहां सस्पेन्शन का सवाल है, I will look into it again.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३१

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

रवीन्द्र मंच

१३२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या रवीन्द्र मंच को संचालित करने संबंधी रूल्स बना लिये गये हैं ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों और नियमों के बिना इसे किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि रवीन्द्र मंच को संचालित करने के लिये अस्थाई तौर से संगीत नाटक अकादमी को दिया गया है ?

(४) क्या रवीन्द्र रंगमंच की आय को संगीत नाटक अकादमी को दिलाया जा रहा है तथा उसके व्यय पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है ?

उप-मंत्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) रवीन्द्र मंच के संचालन के अन्तर्गत अभी दर सम्बन्धी नियम राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष की राय से बने हैं। सरकारी निर्णयानुसार शेष नियम अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित सलाहकार समिति द्वारा पूरे किये जायेंगे।

(२) वर्तमान में विभिन्न दरों संबंधी नियमों के अन्तर्गत, जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा मंच के उपयोग के लिये बनाये गये हैं, रवीन्द्र मंच का संचालन किया जा रहा है।

(३) रवीन्द्र मंच के संचालन का भार इस समय संगीत नाटक अकादमी को दिया गया है और अब अकादमी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की सलाहकार समिति की राय से ही रवीन्द्र मंच का संचालन होता रहेगा।

(४) वर्तमान निर्णयानुसार रवीन्द्र मंच की सम्पूर्ण आय को पहले उसके मेन्टीनेन्स पर ही किया जायेगा और यदि कोई बचत हुई तो वह रवीन्द्र मंच की अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिये अकादमी को दी जावेगी। अतः व्यय पर सरकारी नियंत्रण स्पष्ट है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सरकार की लिखित आज्ञा है कि अकादमी किराये

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

के रुपये वसूल कर सकती है; यह लिखित आज्ञा है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने निवेदन किया कि ये नियम अभी बनते रहे हैं। नियमों की छाया और प्रतिच्छाया में काम हुआ है। लेकिन उनकी दरें लिखित हैं और वे वसूल की जाती हैं। किस-किस प्रकार से, किन-किन संगठनों से ली जाती हैं ...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अगर दरें निश्चित हैं तो जो कोस्मिक रेज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे किराया लिया या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब कब कौनसी कॉन्फ्रेंस हुई इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है और क्या उनसे वसूल किया जाना चाहिए यह भी मालूम नहीं है। अगर यह प्रश्न में ही आ जाता तो अच्छा था।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जो रसीदें दी जाती हैं वे मशीन से नम्बर्ड हैं या टाइप करके दी जाती हैं ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : कोस्मिक रेज़ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको फ्री दिया गया और इसलिए मुफ्त दिया गया कि इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेन्स थी और उसकी इम्पोर्टेन्स थी और राज्य सरकार को अधिकार है कि यदि ऐसी कोई कॉन्फ्रेन्स हो या भारत सरकार की कॉन्फ्रेन्स हो तो इस प्रकार दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह रवीन्द्र मंच, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जयपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें काम में लिया गया तो क्या किराया नहीं लिया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : किराया लिया गया, लेकिन रवीन्द्र मंच काम में नहीं लिया गया। उसका अधिवेशन से कोई सम्बन्ध नहीं था। पीछे जो ३-४ कमरे थे, जो कि उस समय पूरे नहीं बन पाये थे, उनमें ही प्रेस के लोगों को सरकार ने रखा और किराया सरकार से दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : उनको किन नियमों के आधार पर दिया गया किराया ?

श्री मथुरादास माथुर : पी० डब्ल्यू० डी० ने एस्टीमेट करके बताया, क्योंकि नियम नहीं बने थे और रंगमंच कम्प्लीट नहीं हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इसको उचित समझती है कि बिना नियमों के आधार पर, जहां कि फाइनेन्शियल मैटर्स इन्वोल्व्ड होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए मकान किराये पर ले ले ?

श्री मथुरादास माथुर : वह कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं किया गया। प्रेस रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ जो बाहर से आये थे उन लोगों को दिया था। पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर वह दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हो सकता है

(श्री भैरोंसिंह)

कि किराये पर रवीन्द्र रंगमंच और उसके भवनों को काम में ले सके ?

श्री मथुरादास माथुर : पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं दिया गया था। प्रेस के लिए दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह: लेकिन वे प्रेस वाले आये थे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के लिए, the Press was meant for this purpose. Arrangements were made by A. I. C. C.

श्री उपाध्यक्ष : इस समय प्रश्न यह है कि क्या दूसरी पार्टी को भी इस प्रकार से दिया जा सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : पार्टी को दिया ही नहीं गया था। कांग्रेस ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी।

श्री भैरोंसिंह : बिल किसने चुकाया ?

श्री मथुरादास माथुर : वह पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट ने जो कि एन्टर्टेनमेंट जर्नलिस्ट्स के लिए होता है उसमें से चुकाया था। बाकी अखबार वालों ने घर से पैसे दिये जो कि वहां ठहरे थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि रवीन्द्र रंगमंच के लिए जो किया गया था वह पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट ने किया था ?

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल नहीं किया था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ ने कॉन्फ्रेन्स की और यदि उस समय प्रेस रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ आये तो क्या पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट उनको अपना मेहमान बनायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : These are different questions.

श्री मथुरादास माथुर : पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि प्रेस वालों ने पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट को लिखा था कि उनको जयपुर में रहने के लिए जगह चाहिए। होटल में उस वक्त जयपुर में जगह नहीं थी तो उस समय रवीन्द्र रंगमंच में ३-४ कमरे जिनको ग्रीन रूम कहते हैं उनमें प्रेस वालों को रखा गया। प्रेस वालों ने घर से पैसा दिया जो कि वहां पर रहे। इसमें क्या परेशानी है, क्या पोलिटिक्स है, क्या पार्टी है ?

श्री भैरोंसिंह : पहले आपने यह कहा ...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : On a point of order, Sir, मैंने प्रश्न पूछा है इसलिए मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब मिलना चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पहले यह कहा था आपने कि पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट ने बिल चुकाया था।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब दिया जाय कि रसीदों पर मशीनों से नम्बर लगाये गये थे या टाइप करके रसीदें दी जाती हैं ?

Page No.11

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : जवाब दे दिया गया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : नहीं दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, इतना बारीक है आपका कि रसीदें कैसे दीं, कितने की दीं, उसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आज तक कहीं ऐसा हुआ है कि मशीनों की छपी हुई रसीदें न दी जाय। क्या उनका बैंक में खाता खुला हुआ हैं या नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनका खाता बैंक में नहीं है। वैसे ही ले लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कई कॉम्प्लीकेशन्स है। कायदे के खिलाफ हो रहा है तो उसका जवाब दें कि मशीन के नम्बर हैं कि नहीं और बैंक में खाता है कि नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं माननीय सदस्या की भावनाओं का आदर करता हूँ। मशीन से नम्बर लगाते हैं या क्या स्थिति है रसीदों की, उसका मैं पता लगा लूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : छपी हुई रसीदें नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, केवल टाइप करके देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी जानकारी करा देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, I will try to correct the procedure.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : दरें तय नहीं हुई हैं और जो किराया लेते हैं वह डिपॉज़िट के रूप में लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उप-मंत्रीजी जब भी माननीय सदस्या प्रश्न करती हैं तो यह कहते हैं कि उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं तो यह प्रश्न समझ में नहीं आता है कि वे भावनाओं का तो आदर करते हैं लेकिन बात नहीं मानते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दरें तो निश्चित ही हैं, वे मेरे पास हैं। यह पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : दरें निश्चित नहीं हैं और रकम डिपॉज़िट के रूप में ली जाती है और यह कहा जाता है कि दरें निश्चित होने के बाद में अगर ज्यादा हुआ तो रकम वापिस लौटा दी जायगी, इन शर्तों पर लेते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दरें बिल्कुल निश्चित हैं। आप चाहें तो बतला दूं।

श्री रामकिशन (बैर) : आप चाह तो रही हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अलग-अलग फन्कशन्स के लिए अलग-अलग दरें निश्चित हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक बात इनकम्प्लीट रह गई है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मंत्रीजी शायद करेक्ट करना चाहते हैं इस प्रश्न को। पहले आपने यह कह दिया था कि पी० डब्ल्यू० डी० ने दिया, I am sorry पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट ने दिया और बाद में कहा कि अखबार वालों ने खुद ने दिया है, तो करेक्ट पोज़ीशन क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : मकान का किराया तो उन्होंने दिया जो अखबार वाले थे इन्डिविजुअल्स ने और जो पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट जर्नलिस्ट्स को एन्टर्टेनमेंट करता है, इसलिए पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट ने उनकी लुक, आफ्टर की और जो चाय-पानी होता था उसका पैसा दिया। उसका पैसा न तो कांग्रेस ने दिया और न राज्य सरकार ने दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि उन प्रेस रिप्रेजेन्टेटिव्ज़,को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की विहिकल्स प्रोवाइड़ की गई थी ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कोई विहिकल्स प्रोवाइड़ नहीं की गई थीं। सिर्फ एक विहीकल डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के पास थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : He is also part of the Government of Rajasthan.

श्री मथुरादास माथुर : एक विहिकल प्रोवाइड की गई थी जिसका किराया चार्ज किया गया गैरेज द्वारा। हरेक को प्रोवाइड नहीं की गई थी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३३

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज।

ग्राम मंडार विद्युत् योजना

१३४. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मंडार (जिला सिरोही), जिसकी आबादी ५,००० से अधिक है, में विद्युतिकरण का कार्य राज्य विद्युत मंडल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सन् १९६२–६३ से प्रारम्भ होने को था और सन् १९६४ के शुरुआत में बिजली कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करने का था ?

(२) क्या यह भी सही है कि प्रमुख जिला परिषद्, सिरोही को उक्त ग्राम मंडार में विद्युतिकरण की योजना की जानकारी होने पर उन्होंने दिनांक ३-१-६३ को सुप्रिन्टेडिंग इन्जीनियर, जोधपुर को एक पत्र लिखकर मंडार ग्राम में बिजली देने के कार्य को शीघ्रता से शुरू करने की मांग की थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य को प्रारम्भ करने हेतु दिनांक १५-९-६२ को

Page No.13

(श्री मोहनराज)

टेन्डर नोटिस जारी किया गया था ? क्या उक्त टेन्डर मन्जूर कर लिया गया था ? यदि हां, तो कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया जा सका ? अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं। ग्राम मंडार या रेवदार के विद्युतिकरण का प्रश्न विद्युत् मंडल के विचाराधीन था।

(२) इस प्रकार को जानकारी नहीं है।

(३) पॉवर हाउस बनाने के टेन्डर ११-६-६३ को मांगे गये थे लेकिन अब यह तय होने पर कि मंडार में पॉवर हाउस बनेगा, आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया जायगा। मंडार को रेवदार से बिजली प्राप्त होगी।

श्री मोहनराज : जब यह योजना बनाई गई थी तब मंडार पर करने का फैसला किया था, क्या यह बात ठीक है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उस रीज़न के अन्दर पॉवर हाउस लगाने का सवाल था क्योंकि मंडार की पपुलेशन ५,००० के आस-पास थी इस वास्ते यह तय किया गया था कि मंडार में पॉवर हाउस लगेगा। लेकिन मंडार जो है वह आबू रोड से दूर पड़ता है और रेवदार पास पड़ता है इसलिए बिजलीघर वहां लगाने का तय किया है, लेकिन वहां से लाइन खींच कर रेवदार को इलेक्ट्रिफाई करेंगे और मंडार को भी ?

श्री मोहनराज : कब तक बिजली पहुंच जायगी :

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूँ कि इस साल पहुंचने का है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जुगलाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : Shri Jug Lal is not present. I may be permitted to ask this question; joint question था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It concerns her more.

ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं, ग्राम पल्लू

१३५. श्री जुगलाल (रावतसर) : [श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नोहर तहसील के गांव पल्लू में पुरातत्व एतिहासिक महत्व की काफी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वह वस्तुएं कहां कहां सुरक्षित हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि अब भी वहां पर काफी वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं ? यदि हां, तो उनके संरक्षण की सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(३) क्या यह भी सही है कि पल्लू के पंचायत घर में कुछ मूर्तियों का संग्रह है ?

Page No.14

(श्री जुगलाल)

यदि हां, तो वे किस आदेश के अनुसार संग्रहीत की गई हैं और कितनी हैं ?

(४) क्या सरकार उस गांव को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की तथा वहां पर खुदाई करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां। प्राप्त वस्तुओं में दो सरस्वती की प्रतिमाएं विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इनमें से एक तो राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में और दूसरी बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है।

(२) जी हां। सन् १९६२ के अन्त तक प्राप्त सामग्रियों को भारत सरकार का पुरातत्व विभाग संरक्षण प्रदान करता रहा है। अब राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग इसके संरक्षण की योजना बना रहा है।

(३) जी नहीं। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। विभाग इस विषय की जानकारी प्राप्त करने में प्रयत्नशील है।

(४) जी हां। सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक एवं नियमों के लागू होने पर सरकार इस गांव को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही करेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कब तक कर लेगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, उसके नियम सम्पूर्ण हो जायेंगे और ज्योंही नियम बन जायेंगे और एक्ट का एप्लीकेशन हो जायगा उस वक्त यह कार्यवाही कर ली जायगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में है कि ये हड़प्पा की समकालीन संस्कृति के अवशेष हैं, उनको जल्दी से लेगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इतना अध्ययन तो मैंने गहन नहीं किया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामकिशन (वैर) : आपसे थोड़ा किया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

नव निर्मित हॉल गिर जाने से मजदूरों की मृत्यु

१३६. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि दिनांक २५ मई, १९६२ को जालोर हायर सैकन्डरी स्कूल का नव-निर्मित हाल गिर जाने से ३ मजदूरों की तत्काल मृत्यु हो गई व करीब ३० मजदूर घायल हुए ?

(२) यदि हां, तो उक्त घटना के क्या कारण थे व इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

Page No.15

(श्री भगराज चौधरी)

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त घटना ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण में घटिया माल इस्तेमाल करने व उस वक्त के स्थानीय इन्जीनियर की लापरवाही के कारण घटित हुई ?

(४) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों को मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया व ठेकेदार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा संबंधित पीड़ित मजदूरों अथवा उनके वारिसों को राज्य सरकार द्वारा क्या क्षतिपूर्ति व राहत पहुंचाई गई ?

(५) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना जालोर में इस घटना से संबंधित व जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ ३०४ आई० पी० सी० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो उस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) गर्डर गिरने से ३ मजदूरों की मृत्यु तथा १५ व्यक्तियों के घायल होने की घटना सही है ।

(२) गर्डर के नीचे की दीवार में कुछ खामियां थीं, विभागीय जांच की जा रही है ।

(३) ठेकेदार के त्रुटिपूर्ण कार्य करने के कारण यह घटना हुई है और विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है ।

(४) उन्हें मुअत्तिल किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया । ठेकेदार को पुनः कार्य पूरा करने को जिम्मेदार करार कर दिया गया है । मुआवजा निर्धारित किये जाने को कम्पेन्सेशन कमिश्नर को लिख दिया गया है ।

(५) जी हां । न्यायलय द्वारा अधिकारियों को छोड़ (Discharge) दिया गया है ।

श्री भगराज चौधरी : जालौर हायर सैकन्डरी स्कूल का नव निर्मित हॉल गिर गया; उसकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी भी समय पर नहीं हो पाई और आज दो साल का अर्सा हो गया है, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : निर्माण का सारा काम पूरा हो जावे तो इनको पूछे कौन ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तो शुरू हो गई है और चार्ज शीट इन्क्वायरी कमीशन के पास भेज दिया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : निर्माण के कितने दिनों बाद हॉल गिरा ।

श्री हरिश्चद्र : दीवार थी वह गिरी है ।

श्री भगराज चौधरी : इस निर्माण कार्य की कीमत दो लाख की है । जहां दो लाख का निर्माण कार्य होने वाला हो और जैसा आपने बताया १५ आदमी घायल हुए और तीन की मृत्यु हुई । उसको आज गिरे

(श्री भगराज चौधरी)

दो साल हो गये मगर जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनको कोई आपने रिलीफ नहीं दिया और न डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही ही की गई। सरकार को आज तक उन लोगों को जिनकी मृत्यु हुई है और जो घायल हुए हैं उनको रीलीफ देना चाहिए था। इसलिये यह बताया जावे कि आपने अभी तक क्या कार्यवाही की है और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह दीवार तो नहीं गिरी थी, ऊपर की छत थी वह गिरी और दीवार क्रैक हो गई।

श्री हरिश्चन्द्र : गर्डर गिर गई और दीवार क्रैक हो गई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तीन मजदूरों की मृत्यु हो गई और अभी तक आप कहते है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई ....

श्री हरिश्चन्द्र : कार्यवाही तो की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : कार्यवाही फौरन होनी चाहिये थी।

श्री हरिश्चन्द्र : फौरन हुई। मगर अभी नतीजा नहीं निकला।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोर्ट में केस रजिस्टर हो गया और कोर्ट से वह डिस्चार्ज हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह मामला कोर्ट में ३०४ दफा के तहत दिया था और वह डिस्चार्ज होना ही था। यह तो सरकार में इतनी तो कॉमन सेन्स होनी ही चाहिये। मैं यह कहूंगा कि वर्कमैन जो घायल हुए और तीन की मृत्यु हुई उनको कम्पेन्सेशन अभी तक नहीं मिला, उसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह कम्पेन्सेशन कमिशन देगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कम्पेन्सेशन कमिशन कब देगा, आज उन तीन व्यक्तियों को मरे दो साल हो गये, इस दो साल के अर्से में अभी तक वह कम्पेन्सेशन तय नहीं कर सका।

श्री हरिश्चन्द्र : हमने कम्पेन्सेशन कमिश्नर के पास भेज दिया है। ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह कोई एडमिनिस्ट्रेशन कन्ट्रोल का तरीका है। होना तो यह चाहिये था कि मृत व्यक्तियों के लिये ६ महीनों में कम्पेन्सेशन तय करके उनके परिवार को देते। अगर ये कहें कि हमने मुकदमा दर्ज करा दिया तो इससे कोई फायदा नहीं हो सकता क्योंकि मुकदमे का फैसला १२ साल में हो या दो साल में हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई उनके

Page No.17

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

परिवारवालों और डिपेन्डेन्ट्स को इन्टेरिम सहायता के रूप में कुछ मिल रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात ठीक नहीं है कि इतनी बड़ी घटना हो जावे और सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो । सरकार को कार्यवाही अपनी तरफ से करनी चाहिये और इन्क्वायरी करके जो दोषी हों उनको सस्पेन्ड करना चाहिये, उनके खिलाफ कार्यवही करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि इस विषय में डिपार्टमेंट पूरा ध्यान रखेगा और तवज्जोह देगा ।

(विराम)

नेक्स्ट ।

बिजली सप्लाई, कस्बा पिलानी

१३७. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में बिजली सप्लाई कौन करता है तथा किस दर पर ?

(२) जिस फर्म या व्यक्ति को यह ठेका मिला हुआ है उसे राज्य सरकार किस दर पर बिजली सप्लाई करती है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चद्र) :

(१) झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में बिजली दी । पिलानी एजुकेशन ट्रस्ट, पिलानी और सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट द्वारा सप्लाई की जाती है । ट्रस्ट अधिकारियों से मालूम हुआ है कि बिजली की दरें इस प्रकार हैं :

लाइटिंग	३७ न. पैसे प्रति युनिट
पॉवर	१६ न. पैसे प्रति युनिट
अस्थाई कनेक्शन	५० न. पैसे प्रति युनिट ।

(२) बिरला एज्युकेशन ट्रस्ट व सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक रिसर्च इन्सटीट्यूट को जिन दरों पर बिजली दी जाती है उनकी सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिए)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सूची मेज पर...

श्रीमती सुमित्रा : प्रश्न मेरा है, आप मुझे पहले पूछने दीजिये । माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है वह मुझे कुछ समझ में नहीं आई । उन्होंने इसमें छिपाना चाहा है कि किस दर से बिजली देनी चाहिये । इसलिये मैं यह जानना चाहती हूं कि कितने आने प्रति युनिट सरकार उनको बिजली सप्लाई कर रही है ? आपने कह दिया कि सूची संलग्न है । मैं समझती हूं कि किसी के भी समझ में नहीं आ सकता कि किस दर से बिजली सप्लाई की जाती है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि these are the rates for bulk licencees.

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, इतना तो मैंने भी पढ़ लिया और यह तो मैं

Page No.18

(श्रीमती सुमित्रा)

भी समझती हूं। मगर आप यह बतावें कि कितने आने प्रति युनिट सरकार उनको दे रही है। आप एप्रोक्सीमेट रेट बता दें। आपने इसमें लिखा है, 'slab rates.'

कुल कितने आने पर-युनिट देते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : Fluctuating.

श्रीमति सुमित्रा : यह तो मैं भी समझती हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : सदन को जवाब दिया जा रहा है या माननीय सदस्या को ?

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्या को जो अधिकारीगण हैं उनको उनके सामने बुला कर समझा दें।

श्रीमती सुमित्रा : क्या यह सही है कि राज्य सरकार बिड़ला एज्युकेशन ट्रस्ट और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट को २॥ आना प्रति युनिट बिजली सप्लाई कर रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आपको जो रेट दी है उससे आप केलक्यूलेट कर लें।

श्रीमती सुमित्रा: यह केलक्युलेशन मेरी समझ में नहीं आता है इसलिये पूछा है। आप इसको स्पष्ट कर दें कि क्या राज्य सरकार बिड़ला एज्युकेशन ट्रस्ट और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट को २॥ आना प्रति युनिट बिजली सप्लाई कर रही है। इसका आप जवाब दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : २॥ आना प्रति युनिट का प्रश्न ही नहीं उठता। एक रेट तो नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। केल्कुलेट कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : केलक्युलेशन इस समय आपके पास नहीं है।

नेक्स्ट।

(श्री रामानन्द अग्रवाल बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या राज्य सरकार जिन रेट पर दोनों ट्रस्टों को बिजली देती है उस रेट में और जो पब्लिक को बिजली दी जाती है उसमें क्या डिफरेन्स है ?

श्री हरिश्चन्द्र : बल्क लाइसेन्सीज़ हैं।

श्रीमती सुमित्रा : ठेकेदार इसमें मुनाफा उठाता है, वह क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र : मुनाफा तो वह उठावेगा ही।

श्रीमीत सुमित्रा : कितना पर्सेन्ट मुनाफा होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : I hope it is not a mathematical test.

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि

Page No.19

(श्री फूलचन्द जैन)

सरकार उनको सीधी सप्लाई क्यों नहीं करती, एजेंसी द्वारा क्यों सप्लाई करती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अलग प्रश्न है। यह सरकार के विचाराधीन है। मैं आज कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि the bulk of power that is utilised is by the Trust as well as by the Central Electronics Research Institute.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार महसूस नहीं करती कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में अपनी पॉलिसी के तौर पर घोषणा की है कि फोरेस्ट में, सिंचाई में मिडल मैन को अबोलिश करने जा रहे हैं, तो बिजली जैसी चीज में जहां मिडल मैन नहीं होने चाहिये वहां कायम रखना क्या असंगत नहीं होगा ? क्या सरकार नहीं कह सकती कि इसमें मिडल मैन को एबोलिश कर दिया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह बात सही है, पर ग्रेज्युअल कोर्स में मिडल मैन एबोलिश होगा। मैंने कह दिया कि प्रश्न विचाराधीन है। इस समय मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १३८

श्री श्रवणलाल !

राजस्थान राजपत्र का निर्धारित मूल्य

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १ अप्रेल, सन् ५७ से अब तक राजस्थान राजपत्र की क्या क्या कीमत रही है ?

(२) राजस्थान राजपत्र की वर्तमान दर कब निर्धारित की गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि वर्तमान दर निर्धारित करते समय राजपत्र में अच्छा व सफेद कागज इस्तेमाल किया जाता था जब कि अब कम कीमत का इन्फीरियर कागज इस्तेमाल किया जाता है ? यदि हां, तो राजपत्र की कीमत में कमी क्यों नहीं की गई ?

उप-मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१)सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ये दरें १ अप्रेल, १९५४ से प्रभाव में आई थीं।

(३) समय पर जैसा भी कागज उपलब्ध होता है उसी पर राजपत्र छापा जाता है। इस समय राजपत्र की पृष्ठ संख्या में करीब दुगुनी बढ़ोतरी हो गई है। तथा इसके अलावा कागज, स्याही और डाक की दरें काफी बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में कीमत में कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

Page No.20

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार को मालूम है कि राजपत्र की कीमत का मूल्यांकन करने में कागज की क्वालिटी मैन पार्ट प्ले करती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी, हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : तो कागज की क्वालिटी, राजपत्र के कागज की दिन ब दिन डिटीरियो-रेटेड होती जा रही है, तो फिर राजपत्र की कीमत कैसे बढ़ाई जा रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया कि राजपत्र की पृष्ठ संख्या दुगुनी बढ़ गई है, इसके अलावा प्रिंटिंग, स्याही, पैकिंग चार्जेज़ बढ़ गये हैं । कागज़ भी इतनी कम कीमत का नहीं है कि दुगुनी पृष्ठ संख्या होने पर भी कीमत घट जाय ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस आधार पर जांच की है कि कम कीमत का कागज इसके लिये काम में लेने पर जो राज-पत्र पर खर्चा आता है उसके आधार पर राजपत्र की कीमत रखी जाय । राजपत्र की कीमत निर्धारित करते वख्त क्या इस पोइन्ट को ध्यान में रखा गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पोस्टिंग, प्रिंटिंग, पैकिंग बगैरह के सब चार्जेज़ मिला कर कीमत रखी गई हैं, यह मैंने अभी निवेदन किया ।

श्री भैरोंसिंह : ५४ से पहले कीमतें निर्धारित की हैं, उसमें पोस्टिंग चार्जेज़ ज्यादा थे । पोस्टिंग के पैकिंग के, चार्जेज़ थे उनको केल्कुलेट किया है लेकिन कागज की क्वालिटी में गिरावट आई है उसकी कीमत को बेसिस मान कर राजपत्र की कीमत का केल्कुलेशन किया है क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कागज की क्वालिटी में गिरावट आने के बाद भी कागज की कमी के कारण कागज की कीमत इतनी नहीं गिरी है कि पृष्ठ संख्या दुगुनी होने पर भी राजपत्र की कीमत गिर जाय ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । जिस समय बढ़िया क्वालिटी का कागज देते थे उस समय राजपत्र की कीमत तय की थी । पेपर की क्वालिटी में जबरदस्त गिरावट आ गई है, फिर भी आप वही कीमत चार्ज कर रहे हैं जो बढ़िया कागज के समय निर्धारित की थी । कागज की कीमतें कागज की क्वालिटी की गिरावट के कारण कम आती है तो इस खास मुद्दे को राजपत्र की कीमत निर्धारित करते समय ध्यान में रखा गया है क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह सही है कि कागज की क्वालिटी गिरी है, पर यह भी सही है कि पहले ५० पेज होते थे तो अब वहां १०० पेजेज़ होते हैं; तो केवल कागज़ की की कीमत के आधार पर राजपत्र की कीमत कम नहीं हो जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ४०) रुपया गजट की कीमत थी वहां ६०) रुपया करने जा रहे हैं । इतनी कीमत कैसे बढ़ाई जा रही है ?

Page No.21

श्रीमती कमला बेनीवाल : वह मैंने सदन की मेज पर रख दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ४०) रु० से एक दम ६०) रुपया कर दिया, सारे नोटिफिकेशन काम के हैं वे निकलते हैं, पंचायतों के सम्बन्ध के नोटिफिकेशन निकलते हैं तो गरीब पंचायतें जिनकी फाइनेन्शियल कन्डीशन्स वैसे ही गिरी हुई हैं, वहां ६० रुपया गजट की कोस्ट रखेंगे तो किस तरह पंचायतें अफोर्ड कर सकेंगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : राजपत्र पर कुल जितना खर्चा आता है उससे आधा ही इसकी कीमत के वसूल कर पाते हैं, इससे ज्यादा तो घाटा भुगता नहीं जा सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कीमतें बहुत अधिक बढ़ा दी हैं। इतनी बढ़ा दी हैं कि एडवोकेट भी नहीं ले सकते। तो क्या सरकार यह चाहती है कि लोगों को कानून की जानकारी न रहे, जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन्स निकलते हैं उनकी जानकारी न रहे।

श्री उपाध्यक्ष : गजट की कीमत तो रीज़नेबल होनी चाहिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसमें २,४८, २४०) रुपया खर्च आता है और इसकी कीमत से १, १७, १०८) रुपया आता है तो आधा एक दम हो जाता है। इससे भी कम कीमत करने से और भी ज्यादा घाटा होगा। इतना इससे ज्यादा घाटा तो नहीं भुगता जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पिछले सालों में गबन हुए और उनके कारण जो घाटा हुआ क्या उस घाटे की पूर्ति भी इस कीमत से वसूल की जा रही है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें बिना कीमत से सरकारी ऑफिसेज़ में जाने वाले राजपत्र भी शामिल हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : राजपत्र किसी सरकारी ऑफिस में बिना कीमत के नहीं जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या १३६।

सिगाणे से बलावा तक पक्की सड़क

१३६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि सरकार सिगाणे से वाया बड़ी पचेरी बलावा पंजाब तक कोई पक्की सड़क बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस सड़क का जो हिस्सा पंजाब प्रान्त में आता है वह बना दिया गया है और राजस्थान का अभी नहीं बना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिचन्द्र) : (१) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(२) जी हां।

Page No.22

श्री जयनारायण सालोदिया : कब तक विचार हो जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखा है, वहां से निर्णय होने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : राजस्थान में सड़क के निर्माण के लिये भी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से पूछा जाता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : खेतड़ी में जो कोपर स्मेल्टर लगाया जा रहा है उसके लिये इस सड़क का बनना जरूरी माना गया है; इसलिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब लिखा ?

श्री हरिश्चंद्र : मैंने कह दिया है कि लिखा गया है, डेट इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

प्रश्न संख्या १४०

बिजली की बकाया की वसूली, ग्लास फैक्टरी धौलपुर

१४०. **श्री रामानन्द अग्रवाल**(अलवर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सही है कि धौलपुर ग्लास फैक्टरी को १९४५ में भूतपूर्व धौलपुर राज्य सरकार द्वारा इस शर्त पर लाइसेन्स दिया गया था कि फैक्टरी से उत्पादन दर पर बिजली के रेट चार्ज किये जायेंगे ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य बिजली घर का बिजली का उत्पादन रेट साढ़े चार आना प्रति यूनिट था, लेकिन ग्लास फैक्टरी को बिल केवल साढ़े तीन आना प्रति यूनिट ही दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि ग्लास फैक्टरी ने १-४-१९५० तक कोई पैसा अदा नहीं किया ?

(४) क्या यह सही है कि इस फैक्टरी का बिजली कनेक्शन काटने के लिये नवम्बर, १९५४ और अगस्त, १९५५ में दो बार आदेश जारी हुए परन्तु चीफ इन्जीनियर ने दोनों बार उक्त आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया ?

(५) क्या यह सही है कि १६-९-१९५७ से उक्त ग्लास फैक्टरी ने अपना अलग पॉवर हाउस लगा लिया और बिजली विभाग के एक लाख छत्तीस हजार रुपये ग्लास फैक्टरी की तरफ बकाया रह गए ?

(६) क्या यह सही है कि सरकार ने १९५७ में उक्त ग्लास फैक्टरी के बिजली का रेट साढ़े तीन आने प्रति यूनिट की बजाय तीन आने प्रति यूनिट कर दिये और समझौते के द्वारा बकाया रकम एक साल में ६ किश्तों में अदा करनी तय हुई ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त समझौते और रेट के हटाने के बाद भी उक्त फैक्टरी ने एक पैसा भी जमा नहीं कराया ?

Page No.23

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(८) क्या यह सही है कि उक्त फैक्टरी के विरुद्ध पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट के तहत जनवरी, १९५८ में कार्यवाही शुरू की गई ?

(९) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने आदेश से यह वसूली की कार्यवाही मई, १९६० में रोक दी ?

(१०) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जून, १९६१ में उक्त फैक्टरी के बिजली के रेट और भी घटा दिए ?

(११) क्या सरकार बतायेगी कि उक्त फैक्टरी के दो बार रेट घटाने के क्या कारण थे ?

(१२) जून, १९६१ में राज्य सरकार ने उक्त फैक्टरी की बिजली की रेट कितनी घटाई है और कब से घटाई है ? इस रेट के घटाने से राज्य सरकार को कितनी हानि हुई है ?

(१३) जून, १९६१ में रेट घटाने के बाद क्या उक्त फैक्टरी ने अपना सारा बकाया अदा कर दिया ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) जी, नहीं। १९४५ में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ।

(२) बिजली की उत्पादन रेट को वास्तविकता से कहना असंभव है। पुराने कागजातों से यह ज्ञात होता है कि बिजली की उत्पादन की दर साढ़े चार आना के लगभग है।

(३) जी हां, क्योंकि ग्लास फैक्टरी ने सरकार के पास दर के बारे में एक रिप्रेज़ेन्टेशन दिया था, इस पर राज्य सरकार ने एक कमेटी नियुक्ति की जिसने यह सिफारिश की कि ग्लास फैक्ट्री से तीन आने के हिसाब से वसूली की जाय क्योंकि १९५४ में राज्य सरकार ने इन्डस्ट्रीज़ को कन्सेशनल रेट पर बिजली देना स्वीकार कर लिया था।

(४) जी हां।

(५) इसकी जानकारी नहीं है उक्त दरों से यानी तीन आने के हिसाब से जुलाई १९६० से करीब १,३६,००० रु. बाकी थे।

(६) किश्तों में अदा करनी तय हुई।

(७) जी हां।

(८) जी हां, यह कार्यवाही १९५७ में की गयी।

(९) जी हां, यह कार्यवाही फरवरी १९६१ में रोक दी गयी।

(१०) जी हां।

(११) १. राजस्थान में यह अपनी किस्म की एक ही फैक्ट्री है।

२. दूसरी इन्डस्ट्रीज़ की दरें कम होने तथा धौलपुर ग्लास फैक्ट्री को धौलपुर रियासत ने सवा दो आना प्रति यूनिट देने के कारण।

Page No.24

(श्री हरिश्चन्द्र)

३. रॉ मैटीरियल बाहर से आने के कारण ।

(१२) बिजली की दर सवा दो आने की गयी है व हानि का आंकड़ा बताना सम्भव नही ।

(१३) किस्त बांध दी गयी है और १४,००० रु० की वसूली हो गयी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो १४ हजार रुपये की वसूली आपने की है वह कब की है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह इन दिनों में हुई है । १४ हजार अभी तक कुल जमा करा दिए हैं और दस हजार के लिए उनसे कह दिया गया है कि इमीजिएटली जमा कराए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो भी ओरीजिनल ऐग्रीमेंट इस फैक्टरी से किया गया, चाहे वह सन् १९४५ में हो या १९४७ में हो, उसमें यह शर्त थी कि जो प्रोडक्शन रेट्स होंगे वे ही रेट्स इससे चार्ज किए जायेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र : प्रोडक्शन रेट और उसके ऊपर कन्सेशन दिया जाता है, उसके हिसाब से चार्ज ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो ओरीजिनल एग्रीमेंट था उसमें जो प्रोडक्शन रेट थी उन्हीं पर चार्ज किया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो उस समय प्रोडक्शन रेट्स थे जब कि आपने तीन आने किए उस वक्त ५ आने और ६५ न० पै० प्रोडक्शन रेट्स गवर्नमेंट के आते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या आते हैं ? प्रोडक्शन रेट्स क्या आते हैं, जिस वक्त तीन आने किए उस वक्त ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह कहना असंभव है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप इसकी जानकारी करके बताइए ? सरकार ने कैल्क्यूलेट किया है और पांच आने ६५ न० पै० बताए गए हैं । इसकी ऑडिट-रिपोर्ट्स हैं और ऑब्जेक्शन्स उठाए गए हैं कि पांच आने ६५ न० पै० आता है और आपने तीन आने क्यों किये ? क्या यह बात सही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपके पास क्या तथ्य हैं कि यह पाच आने ही है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको जवाब देना है, आपको हमसे उत्तर नहीं पूछना है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे कह सकूं डेफीनिटली कि इसकी उत्पादन रेट क्या थी ? मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा है कि लगभग ४॥ आने पर आता है ।

Page No.25

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि ज ेइस समय गवर्नमेंट ने सवा दो आने रेट तय किया है, वह जो ओरीजिनल ऐग्रीमेंट था उस ऐग्रीमेंट से एक्सट्रा कांस्ट्रेक्चुअल उनको कन्सेशन है और इसमें सरकार को प्रोडक्शन रेट्स को नुकसान होता

श्री हरिश्चंद्र : नेचुरली प्रोडक्शन रेट से नुकसान होगा।

श्री रामानंद अग्रवाल : तो इसका जो ओरीजिनल कांट्रेक्ट था इस फैक्ट्री से उससे एक्स्ट्रा कांस्ट्रेक्चुअल कन्सेशन देने के क्या कारण हैं ?

श्री हरिश्चंद्र : ओरीजिनल कांट्रेक्ट क्या थी कि कोस्ट ऑफ जेनरेशन के ऊपर पॉवर दिया जायगा, उसको उन्होंने क्लेरिफाई किया कि स्टेट टाइम के अन्दर २। परसेंट कन्सेशन दिया जायगा। अभी कोस्ट ऑफ जेनरेशन क्या है ?

श्र रामानन्द अग्रवाल : आप बताइये।

श्री हरिश्चंद्र : मैं कहता हूं कि ४॥ आना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को केल्क्यूलेट करना चाहिए कि ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of Order, Sir, यह क्वेश्चन अवर है। क ा इसमें यह परमिट किया जा सकता है कि जिनके पास मशीनरी है केल्क्युलेशन की, उसको सही नहीं समझा जाय और आप जो ५॥ आने की बात कर रहे हैं, तो इसके पास क्या मशीनरी है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार फिगर्स देने से इन्कार करती है।

श्री हरिश्चंद्र : माननीय सदस्य का का कहना है कि जो ओरीजिनल ऐग्रीमेंट हुआ है उसमें ये श र्तें हैं;

"The State undertakes to supply electricity to the Licensee at the cost price for power and at concessional rates for factory and domestic purposes within the factory" तो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिन होना बहुत जरूरी है। अब कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस चीज को जब देखते हैं तो अलग २ जगहों से अलग २ चीजें मिलती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय का ध्यान ऑडिट रिपोर्ट १९६२, पेज ६१ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि

"the original agreement of 1943 provided clearly that the supply of power was to be made at cost price. As the cost of production has been going up it was reported by the Department to be 5 annas 65 N.p. in 1955-56. The reductions in rates sanctioned in June 1957 and again in June 1961 were not covered by the terms of agreement and these conferred extra contractual benefit......"

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह डिपार्टमेंट की तरफ से....

श्री हरिश्चंद्र : Cost of generation in 1956 is something quite different from 1944 when the agreement was made.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी यह बताया कि सरकार ने केल्क्यूलेट नहीं किया। जबकि डिपार्टमेंट ने ५. ६५ केल्क्यूलेट करके बताया तो फिर आपने उसको ३ आने किया है ।

श्री हरिश्चंद्र : तो क्या हुआ ? I understand your argument.

श्री रामानन्द अग्रवाल: मेरा स्पेसीफिक सवाल है कि जब ओरीजिनल ऐग्रीमेंट किया है कि कोस्ट ऑफ जेनरेशन पर उनको पॉवर दी जायगी ; कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन जहां जहां बढ़ती हैं, बढ़नी चाहिए उनके पॉवर्स की रेट्स ।

श्री हरिश्चन्द्र : कहां लिखा है कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने चाहिए और घटने चाहिए ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें 'अदर-वाइज़' भी तो नहीं लिखा है ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ है उस वक्त हुआ है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह जिस वक्त शुरूहुआ है उस वक्त ४॥ आने आपने माना है, फिर ३ आने करने के क्या कारण हैं और फिर सवा दो आने ?

श्री हरिश्चंद्र : यह चिट्ठी है ।

श्री उपाध्यक्ष : I think, enough has been said over it.

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : लेटर पढ़ दीजिए जिसके आधार पर आपने रेट्स....

श्री उपाध्यक्ष : Give a gist of it.

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो बात कह रहा हूं....

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : मैं समझता हूं कि हमारे सब प्रश्न रह जायेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १,३६,००० रुपये पिछले बीस वर्ष से इस फर्म के खिलाफ बकाया है ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please. No discussion between the Hon. Members.

श्री हरिश्चन्द्र : अब माननीय सदस्य का भ्रम निकल जायगा। पोइंट यह है कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन १९६४ में क्या थी । आपका कहना है कि ४ ॥ आने । मेरा कहना है कि किसी हिसाब से ४ ॥ आने भी आता है और धौलपुर स्टेट की चिट्ठी से विदित होता है कि ३. २ आने पर भी है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : १४१।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर यह वसूली के बारे में जो इस फर्म ने कमिटमेंट किया था उसके बारे में क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : I have called the next question.

श्री हरिश्चन्द्र : १४ हजार रुपये की वसूली की गई है और १० हजार रुपये की हो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो एग्रीमेंट किया है उसमें क्या तय हुआ है?

श्री हरिश्चन्द्र : इन्स्टालमेंट्स में देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : That finishes this question.

श्री रघुनाथ बिश्नोई

(६.०० म० पू०)

सांचोर-केरिया बस सर्विस

१४१. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सच है कि रात्रि के समय सांचोर से केरिया तक बस जाया करती थी और सुबह वापस सांचोर आती थी परन्तु अब वह बस बन्द कर दी गई है? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया है? क्या सरकार जोधपुर की जनता की सुविधा के लिये इसे वापस चालू करने का प्रबन्ध करने का विचार रखती है? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा?

यातायात मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जी हां, यह सच है कि बालोतरा से सांचोर जाने वाली बसें शाम को केरिया जाया करती थीं। केरिया बालोतरा सांचोर के रास्ते का स्टेशन है। ये गाड़ियां सांचोर से केरिया शाम को जाती थीं और सुबह वापिस सांचोर आती थीं, बगैर आर० टी० ए० की स्वीकृति के बस मालिक सांचोर से केरिया बस ले जाते थे और लाते थे। क्योंकि आर. टी. ए. की स्वीकृति नहीं थी इसलिये उन्होंने बन्द कर दी।

आर.टी.ए. जोधपुर ने सांचोर से केरिया जाने-आने का कोई टाइमिंग तय नहीं किया था। अगर जनता को किसी प्रकार की परेशानी है तो कानून के अनुसार आर. टी. ए. को दरख्वास्त दें ताकि उसके ऊपर विचार करके आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि सांचोर बस आया करती थी शाम को ४।। बजे। समय पर न आने से दूसरी बसें छूट जाती हैं जिससे पैसेन्जर्स को वहीं पर रुकना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

Page No.28

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने बताया कि टाइम फिक्स नहीं था तो परमिट की कन्डीशन में लिखा हुआ है कि टाइम के अनुसार चल सकती हैं। टाइमिंग फिक्सु नहीं था। ११ पर्मिट्स हैं इस रूट पर। बगैर टाइमिंग्ज़ के कन्डोशन्स के विरुद्ध किस प्रकार मे गाड़ियां चलती हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कन्डीशन्स के खिलाफ चलती थीं और दूसरी जगह कार्यवाही की गई तो इसने बन्द कर दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने बताया कि बिना आर. टी. ए. की अनुमति के बस चली। वह बस कितने दिन बिना अनुमति के चली और जितने दिन चली उसके खिलाफ, आपने कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी नहीं है कि कितने दिन चली।

श्री भैरोंसिंह : फिर किस आधार पर कहा गया कि चली ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह जानकारी बिल्कुल गलत है। केरिया तक जाने की अनुमति है। अब चालू भी कर दिया है। आपके पास जो जानकारी है वह बिल्कुल गलत है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब चालू हो गई है तो क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि गाड़ी बिना अनुमति के चली। मैं यह क्वेश्चन करना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी से कि बिना अनुमति के जिस व्यक्ति ने गाड़ी चलायी उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया और नहीं लिया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री उपाध्यक्ष : यदि आपके पास इस बात की जानकारी हो तो दे दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सारी तो आर. टी. ए. से आती है, विभाग से नहीं। वे ही कार्यवाही करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इससे तो एक यह फन्डामेंटल क्वेश्चन आ गया है कि आर. टी. ए. के लिए इस सदन में who is responsible ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर कोई कार्यवाही करनी होगी तो आर. टी. ए. के थ्रू ही होती है, इसी दृष्टि से मैंने कहा था।

श्री भैरोंसिंह : किसी के थ्रू करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बजाय यह कानून समझाने के आर. टी. ए. से की जाय। जो आपके पास इन्फोर्मेशन है उसको क्यों छिपाते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप यह चाहते हैं कि अगर ऐसा किया है तो कार्यवाही की जाय। जिसने अनुमति के बगैर चलायी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और नहीं चलायी है और जानकारी गलत दी है तो कोशिश करूंगा कि कार्यवाही की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोशिश नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह उत्तर तो सदैव सत्य है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन बिलकुल साफ है और सीधा है।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन है....

श्री उपाध्यक्ष : One at a time.

Shri Bhairon Singh

श्री भैरोंसिंह : मेरा बिल्कुल सीधा और स्पष्ट क्वेश्चन है। माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में जब यह बात आयी कि बिना अनुमति के यह गाड़ी चली है तो क्या माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात की भी जानकारी की कि यह किसने किया है, इस बात की भी जानकारी की कि जिसने बिना अनुमति के गाड़ी चलायी उसके खिलाफ डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया ? नहीं लिया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी मेरे पास यह जानकारी नहीं है। यह बात सही है तो मैं जरूर कार्यवाही करूंगा और एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी आप करने नहीं हैं, सदन में जानकारी करने का आश्वासन दे देते हैं। आपकी इन बातों में तालमेल नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय ; मैंने बताया, गाड़ी नहीं चली। क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जानकारी नहीं ली है। मैं यह जानकारी करके कार्यवाही करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मंत्री के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है, जरूर की जा सकती है। जानकारी करके यदि कोई अनियमितता पायी गई तो उसके लिए कार्यवाही की जायगी जिसने ऐसा किया है उसके खिलाफ।

श्री भैरोंसिंह : सबसे बड़ी अनियमितता यह है कि मंत्री महोदय इस विभाग के इन्चार्ज हैं, उनको मालूम हो जाय कि अनियमितता है फिर भी कोई एक्शन न लिया जाय ; इसके लिए सोल रेस्पोन्सिबिलिटी मिनिस्टर इन्चार्ज की है जो इतने इग्नोरेन्ट होकर काम करते हैं।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे यह जानकारी मिली है कि उनको शो कॉज़ नोटिस (Show cause notice) मिला है।

श्रीमती योगेन्द्रबाला : मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाहा था....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : No more question. Shri Rawat Ram.

श्री भैरोंसिंह : वह शो कॉज़ नोटिस किस बात का दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आगे के लिए मदद कर रहे हैं । क्वेश्चन का जवाब तो आ जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आपने भी दे दिया । क्वेश्चन का घन्टा भी खत्म हो गया है । वे इन्क्वायरी करेंगे । जिसको दंड देना होगा उसको इन्क्वायरी करके देंगे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एक जानकारी नहीं आयी है, बगैर टाइम के बस चली है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जानकारी कर लें कि उनके खिलाफ कार्यवाही की या नहीं !

नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रावतराम ।

बीकानेर-देहली सड़क निर्माण कार्य

१४२. **श्री रावतराम** (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर-देहली रोड को भारत सरकार ने डिफेन्स रोड के नाम से अपने अन्तर्गत ले लिया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस रोड का काफी हिस्सा चुरू जिले में भी आता है ? यदि हां, तो चालू साल में इस जिले के क्षेत्र में कहां कहां सड़क निर्माण-कार्य चालू है ?

(३) क्या यह सही है कि चूंकि चुरू जिले के काफी भू-भाग में अकाल है और यदि उक्त सड़क का कार्य अच्छी तरह से प्रारम्भ हो तो अभाव-ग्रस्त लोगों को मजदूरी मिल सकती है ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(२) जी हां । अर्थाभाव के कारण कार्य चालू नहीं है ।

(३) जी हां । भारत सरकार को लिखा गया है ।

श्री रावतराम : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कब चालू होगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह कहना मुश्किल है। जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार को लिख दिया है। वहां से स्वीकृति आने पर काम चालू हो सकता है।

श्री रामतराम : क्या भारत सरकार को यह लिखा है कि इस जिले में अकाल है। सारे गांव फेमिन में आ गये हैं। उनको कार्य देने के लिए थोड़ा सड़क पर कार्य चालू हो।

श्री हरिश्चन्द्र : पहले आप अपना प्रश्न पढ़ लीजिये। उसको देखते हुए हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया कर सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखा गया है डिपार्टमेंट से कि वहां ऐसी स्थिति है इसलिए कार्य कराया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : सब कुछ लिखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

भाखरा की बिजली तिजारा क्षेत्र को

१४३. **श्री हरिराम चौहान**(तिजारा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तिजारा, टपूकड़ा में भाखरा की बिजली आ चुकी है; किन्तु आस-पास के गांवों में अभी तक नहीं दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि अभी तक किसी भी गांव में सिंचाई के लिये कुओं में बिजली नहीं दी गई है ?

(३) सरकार तिजारा क्षेत्र के कुल कितने गांवों में भाखरा की बिजली दे पावेगी और कब तक यह योजना पूरी कर दी जावेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं

(३) तिजारा के शाहबाद, जोरिया एवं निथियावास गांवों को बिजली देने की योजना है। इसके अलावा जो गांव हमारी ११ के. वी. लाइनों से ३ मील से कम दूरी पर हैं उनको बिजली देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्री हरिराम चौहान : जिन जिन गांवों को बिजली देने को कहा है, शाहबाद है, चड़िया है, यह योजना कितने दिन से चल रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सर्वे होती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसकी जांच करके लेता है।

श्री हरिराम चौहान : कितने दिन से चल रही है।

(विराम)

दो ढाई साल से योजना चल रही है और यही जवाब दे रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : आप प्रश्न यही पूछते हैं और जवाब भी आपको यही मिलता है।

श्री मानिकचन्द सराणा (कोलायत): प्रश्न (२) में यह पूछा गया है, "क्या यह सही है कि अभी तक किसी भी गांव में सिंचाई के लिये कुओं में बिजली नहीं दी गई है ?" इसका जवाब दिया है, "जी नहीं"।

श्री हरिश्चन्द्र : बिजली शाहबाद, जोरिया और निथियावास को देने की योजना है।

श्री मानिकचन्द सराणा : प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि किसी को बिजली नहीं दी गई ?

(विराम)

आप यह कहिये, जो हां किसी को बिजली नहीं दी गई या किस किस गांव को बिजली दी गई।

श्री हरिश्चन्द्र : उसकी सूची नहीं है। इसमें लिखा है, सरकार तिजारा क्षेत्र के कुल कितने गांवों में भाखरा की बिजली दे पायेगी और कब तक यह योजना पूरी कर दी जावेगी ; यह पूछा है, इसका जवाब दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दूसरा क्वेश्चन था, उसमें पूछा है, किसी गांव में भी कृषि के लिए बिजली नहीं है ? अब योजना आपकी है, लेकिन नहीं दी है तो फैक्चुअल स्थिति क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप क्या पूछना चाहते हैं, बिजली दी है या नहीं दी है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जिन गांवों में बिजली दी है उनको कूओं में सिंचाई के लिए बिजली नहीं दी गई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं दी गई है तो मैंने कहा उत्तर ३ में कि योजना तैयार है।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां बिजली दे दी है, बिजली जल रही है वहां कृषि के लिए कूओं के अन्दर बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री हरिश्चद्र : इसकी मैं जांच करवा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रश्न संख्या १४४।

श्री उपाध्यक्ष : I have not received any authority.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is an important question, Sir.

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह महत्व-पूर्ण सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : समय भी कम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : वेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है, इसे अलाऊ....

श्री उपाध्यक्ष : It can be taken afterwards.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ने प्रश्न किया था। मैंने एतराज किया था, इस क्वेश्चन को नहीं पूछने दिया जायगा। आपने कहा कि इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : लिखित ऑथोरिटी थी उनके पास।

श्री भैरोंसिंह : कोई ऑथोरिटी नहीं थी। एक क्वेश्चन को अलाऊ करते हैं और दूसरे मेम्बर ने पूछा तो....

श्री उपाध्यक्ष : आप कहते हैं तो मैं अलाऊ कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : आगे का चल रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आड़ लेकर सवाल पूछना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार कार्यवाही चलेगी तो समय में कार्यवाही....

श्री भैरोंसिंह : इस पर खत्म कर दें, १४४ पर खत्म कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १४४ पर; १४४ मत लगायें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं प्रश्न का घन्टा........

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न का समय।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न का समय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इसके लिए कोई कोमल शब्द उपयोग में लायें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रश्न का घंटा २० मिनट के लिए बढ़ाता हूँ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : यह शब्द प्रचलित हो गया है, उपाध्यक्ष महोदय, कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मिनट से घंटा कैसे बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था के अनुसार प्रश्न का घंटा १०० मिनट का होगा। प्रश्न १४४।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह 'घंटा' इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सौ मिनट का घंटा है, यह जो व्यवस्था है यह आज के लिए है या आगे के लिए भी रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आज के लिए रहेगी।

मंत्रियों की कारों पर खर्चा

१४४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरीबाजार, जयपुर)[श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया] : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ नई कार्स वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में खरीद की है ? यदि हां, तो क्यों, कितनी और किस कीमत की ?

(२) स्टेट गैरेज में कुल कितनी कार्स हैं ? इनमें से कितनी वर्किंग ऑर्डर में हैं और कितनी खराब पड़ी हैं ?

(३) इस उपरोक्त खरीद से पहले नई गाड़ियां कब, कितनी तथा कितनी कीमत की खरीदी गई थीं ? क्या ये सब खराब पड़ी हैं और वर्किंग ऑर्डर में नहीं हैं ? यदि हां, तो कौन २ से नम्बर की हैं ।

(४) क्या सरकार वर्तमान संकटकालीन स्थिति में यह उचित नहीं समझती कि शहर के उपयोग के लिये मंत्रियों को २५०) रु० माहवार मोटर भत्ता दे दिया जावे और मंत्री-गण अपनी अपनी गाड़ियां खरीद लें ?

(५) मंत्रियों को इस प्रकार दी जाने वाली गाड़ियों पर प्रतिमाह लगभग कितना खर्चा आता है ? इससे पैट्रोल, मेन्टीनेन्स, रिपेयर्स, डेप्रिसियेशन ड्राइवर, सर्विसिंग आदि पर खर्चा बताया जावे ।

यातायात मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) हां, चालू वित्तीय वर्ष में । १९६३–६४ में इस विभाग द्वारा निम्नलिखित ५ नई कार्स कुल रु० ७३,०७१. ६७ न० पै० की खरीद की गई है :

(क) एम्बेसेडर ३–४५५४०. ३३ न. पै.

(ख) मर्सीडीज़ २–२७,५३१. ३४ न. पै.

इनके अतिरिक्त ८ एम्बेसेडर गाड़ियां, कुल रु० १,२१,४४०.८८ न.पै. की इस साल और खरीद ली जावेगी ।

ये नई कार्स उन पुरानी गाड़ियां की एवज में खरीदी गई हैं जो कि कई वर्ष पहले खरीदी थी और अब लाइफ माइलेज पूरा कर चुकी थीं और १०–११ दिसम्बर को नीलाम द्वारा बेची गईं ।

(२) मोटर विभाग में इस समय सब जगह मिला कर कुल ६५ गाड़ियां हैं । ये सब गाड़ियां वर्किंग ऑर्डर में हैं । आज के दिन टाइमली मेजर रिपेयर्स के लिये केवल ३ गाड़ियां वर्कशॉप में हैं और १ माह के अन्दर ठीक हो जावेंगी ।

(३) चालू वर्ष में उपरोक्त ५ गाड़ियां खरीदने के पहले पिछले साल १९६२–६३ में केवल ८ गाड़ियां कुल रु० १,०१,८२६.३५ न. पै. में खरीद की गई थीं । ये सब गाड़ियां ठीक चालू हालत में हैं ।

(४) जी नहीं ।

(५) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान सभा तथा मंत्रियों व उप-मंत्रियों को स्थानीय उपयोग के लिये दी जाने वाली गाड़ियों पर प्रति मास औसतन ८१७) रुपया प्रति व्यक्ति खर्च होता है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : 'स्थानीय उपयोग' का क्या मतलब है ; जयपुर शहर से मतलब है या बाहर जाने का है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जयपुर शहर से मतलब है।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन जयपुर शहर के लिए नहीं पूछा था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाहर जाते हैं उससे मतलब भी रखता है ?

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न में साफ लिखा है, आप तकलीफ करते पढ़ने की तो दूसरों को मालूम हो जाता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस प्रकार दी जाने वाली गाड़ियों से मतलब तो जयपुर में मंत्रियों को दी जाने वाली गाड़ी से है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल जयपुर का ही नहीं है। जयपुर में लिमिट नहीं किया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो गाड़ियां दी जाती हैं मंत्रियों और उप-मंत्रियों को वह जयपुर तक सीमित हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो बाहर ले जाई जाती हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे अलग गाड़ियां होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : पूछा यह है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, Mr. Deputy Minister (Shri Niranjan Nath Acharya) is holding the first (Chief Minister's) chair.

श्री भैरोंसिंह : मंत्रियों को इस प्रकार दी जाने वाली गाड़ियों पर प्रतिमाह लगभग कितना खर्चा आता है ? इससे पैट्रोल, मेन्टीनेन्स, रिपेयर्स, डेप्रिसियेशन ड्राइवर, सर्विसिंग आदि पर खर्चा बताया जावे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने ८१७) रु. बताया। जयपुर शहर में गाड़ियां चलती हैं उनका बताया है।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर शहर का नहीं पूछा गया था।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : वही पूछा गया था।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न में पूछा गया था, उसमें जो गाड़ियां खरीदी गई हैं या खरीदी जाने वाली हैं उनका बजट प्रोविज़न था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : था।

श्री भैरोंसिंह : कितने का था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : याद नहीं है, लेकिन था।

श्री भैरोंसिंह : कितनी गाड़ियों का था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप सुन लीजिये....

(श्री निरंजननाथ आचार्य एवं श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा परस्पर बात करते देख कर)

श्री भैरोंसिंह : आप उनका विश्वास मत करना। कितनी गाड़ियों का था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो गाड़ियां खरीदी गईं, वे जो गाड़ियां बेची गईं उनके एवज में खरीदी गईं और कुछ नई खरीदी गईं।

श्री भैरोंसिंह : बजट प्रोवीजन कितनी गाड़ियों का था और उसके अगेन्स्ट कितनी खरीदी गईं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वित्त मंत्री उत्तर दे दें इसका ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दो लाख का।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूर्णतया जानकारी करके कह देना।

श्री मथुरादास माथुर : बजट में लिखा हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि मंत्रि-मंडल ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि मेग्ज़िमम इतने से ज्यादा अगर होगा तो उसका खर्चा मंत्री खुद वहन करेंगे ?

श्री रामकिशन (वैर) : संकटकालीन निर्णय लिया था ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने पूछा है जयपुर शहर के लिए। जो बाहर जाने की गाड़ी होती है उसके लिए डी० ए० के लिए मंत्रि-मंडल ने फैसला किया था कि सौ रुपये से ज्यादा नहीं लेंगे एमर्जेन्सी में।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह निर्णय लिया था कि एक मंत्री अधिक से अधिक इतना गाड़ी पर खर्चा कर सकता है जिसको सरकार वहन करेगी।

श्री मथुरादास माथुर : रूल बने हुए हैं, ६० गैलन प्रति माह, प्रति मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, को जयपुर शहर की म्यूनीसिपल लिमिट्स में ६० गैलन प्रति माह पैट्रोल दिया जाता है उससे अधिक होता है तो उसका पेमेन्ट जेब से देना पड़ेगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जो कार्स नीलाम की गई हैं वे कितने माइलेज चलने के बाद की गई हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : डिफरेन्ट गाड़ी का डिफरेन्ट माइलेज फिक्स होता है। बड़ी का अलग है, छोटी का अलग है, फोर्ड का अलग है, शेवरलेट का अलग है, प्लाईमाउथ का अलग है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न था केवल मंत्रियों के बारे में और आपने इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भी शामिल किया है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप उचित समझेंगे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में सदन में क्वेश्चन के समय जानकारी आये।

श्री उपाध्यक्ष : No, it is not proper.

श्री मथुरादास माथुर : What is the wrong there? उसमें खराबी क्या है ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वे खर्च कम करते हैं और आप ज्यादा। आपको कम खर्च करना चाहिए।

Page No.37

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !!

Shri Mool Chand Chowdhri.

ग्राम ठिकरिया से खवा तक सड़क

१४५. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दौसा लालसोट सड़क पर ठिकरिया ग्राम से अलूदा व पापड़दा होती हुई खवा तक सड़क बनाने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो इसका कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सही है कि वर्षा के समय यह रास्ता कीचड़ की वजह से बन्द हो जाता है जिससे आवागमन रुक जाता है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) अर्थाभाव के कारण।

(४) जी हां। अधिक वर्षा होने पर।

जिला बांसवाड़ा में बिजली

१४६. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या जिला बांसवाड़ा में बिजली देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : सरकार विचार रखती है। समय के बारे में अभी कहना कठिन है।

श्री हीराभाई : कब से आपके दिल में विचार है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब से आपके दिल में विचार आया तभी से।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इन्होंने ही पैदा किया है विचार?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप भी दिल की बात समझने लग गये हैं।

आर्टिस्टिक क्राफ्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट

१४७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आर्टिस्टिक क्राफ्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर में कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं ? पिछले तीन वर्षों में छात्रों की संख्या क्या रही ? सालवार बताने की कृपा करें।

(२) इस इन्स्टीट्यूट पर सालाना कितना खर्चा होता है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(३) इस इन्स्टीट्यूट में स्टॉफ कितना है ?

(४) क्या इस इन्स्टीट्यूट से छात्र शिक्षा पाकर क्राफ्ट्स क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हैं ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : आर्टिस्टिक क्राफ्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट जयपुर में इस समय २७ छात्र ट्रेनिंग पा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में छात्रों की संख्या निम्न है :—

सन् १९६१-६२	६२-६३	६३-६४
२६ छात्र	४२ छात्र	२७ छात्र

(२) इस इन्स्टीट्यूट पर सालाना खर्च निम्न प्रकार से है :—

सन् १९६१-६२	६२-६३	६३-६४
खर्च ८,२१५०.००	८४,९६०.००	५८,५६६.००

(माह जनवरी ६४ तक)

(३) इस इन्स्टीट्यूट में निम्न स्टाफ है:-

स्वीकृत स्टॉफ	जो स्टाफ इस समय कार्य कर रहा है
प्रिन्सीपल १	१
डिज़ाइनर आर्टिस्ट १	१
मिनिस्टीरियल स्टाफ ६	५
टेक्निकल २६	२५
क्लास फोर ५	५

(४) क्राफ्ट्स के छात्र शिक्षा पाकर कहीं भी क्राफ्ट्स का काम कर सकते हैं। इस प्रकार की सूची इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं कि कौन-कौन कहां कार्य कर रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जितना खर्चा कर रहे हैं उस अनुपात से छात्रों की संख्या ठीक मानते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें स्टाइपन्ड भी इन्क्लूडेड है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या आप यह अनुभव करते हैं कि जयपुर का जो क्राफ्ट है वह नीचे स्तर पर गिरता जा रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यहां सारा क्राफ्ट सिखाया नहीं जाता है, मेटल आइवरी, टोय मेन्युफेक्चर आदि यहां सिखाया जाता है। इसके अलावा भी कई क्राफ्ट ऐसे हो सकते हैं जिनका सिखाया जाना अर्थाभाव के कारण संभव प्रतीत नहीं होता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : चीनी के मिट्टी के बर्तन जो बाहर जाया करते थे उनका स्तर कितना गिर गया है मंत्री महोदय को पता है ?

विधि-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह माल अब भी बनता है और बाहर जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

गुढ़ा कटला रोड का ठेका

१४८. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

(१) तहसील बसवा में बांदीकुंई से गुढ़ा कटला रोड का ठेका सुरेशकुमार ठेकेदार को कब और कितनी मील का दिया गया था ? निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि कितनी रखी गई थी ?

(२) क्या उक्त ठेकेदार ने निर्धारित समय पर सड़क का कार्य पूरा कर दिया ? नहीं तो क्यों ?

(३) क्या उक्त ठेकेदार का ठेका खत्म करके किसी अन्य ठेकेदार के द्वारा विभाग द्वारा कार्य पूरा कराने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूरा नहीं करने के विषय में जुर्माना इत्यादि वसूल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) उक्त सड़क का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) ३-६-६० को तीन मील का ठेका ६ मास की अवधि में पूरा करने को दिया गया था ।

(२) जी नहीं । ठेकेदार की सुस्ती के कारण ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां ।

(५) आशा है वर्ष १९६४-६५ तक ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ठेकेदार ने अवधि में पूरा काम नहीं कराया है इसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसको पीनेलाइज़ किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कार्यपालिका व न्यायपालिका

१४६. श्रीमती सुमित्रा (झुंझनू) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में अब तक कितने जिलों में कुल कितने सब डिविज़न में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग की गई हैं ?

(२) सम्पूर्ण राजस्थान में पूर्ण रूप से न्यायपालिका को कार्यपालिका से कब तक अलग करने की योजना है ?

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा): (१) राजस्थान में जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव का प्रथक्करण निम्न लिखित २४ जिलों में इस प्रकार किया गया है :

अजमेर	समस्त
बांसवाड़ा	समस्त
बीकानेर	समस्त
भरतपुर	समस्त
डूंगरपुर	समस्त
जालोर	समस्त

(श्री परसराम मदेरणा)

झालावाड़	समस्त
नागौर	समस्त
सिरोही	समस्त
जैसलमेर	सिवाय पोकरन सब डिविज़न के
सीकर	सिवाय फतहपुर सब डिविज़न के
बाड़मेर	सिवाय बालोत्तरा सब डिविज़न के
चित्तौड़गढ़	सिवाय बेगू सब-डिविज़न के
चूरू	सिवाय चूरू व राजगढ़ सब डिविज़न
गंगानगर	सिवाय करनपुर व रायसिंहनगर सब डि०
जयपुर	सिवाय सांभर व कोटपुतली सब डिविज़न
झुंझुनू	सिवाय खेतड़ी व नवलगढ़ सब डिविज़न
जोधपुर	सिवाय फलोदी सब डिविज़न
कोटा	सिवाय बारा, रामगंजमंडी व छबड़ा सब डिविज़न
पाली	सिवाय देसूरी तहसील के
सवाई माधोपुर	सिवाय सवाई माधोपुर सब डिविज़न के
टोंक	सिवाय टोंक सब डिविज़न के
उदयपुर	सिवाय फलासिया सब डिविज़न के
भीलवाड़ा	सिवाय गुलाबपुर, मांडलगढ़ सब डिविज़न तथा जहाजपुर तहसील के

(२) वर्तमान संकटकालीन स्थिति के समाप्त होने के उपरान्त इस योजना को लागू किये जाने पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा : वे दो जिलें कौन से हैं जहां पर जुडिशियरी को एक्ज़ीक्युटिव से सेपरेट नहीं किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : अलवर और बूंदी।

श्रीमती सुमित्रा : ६ डिस्ट्रिक्ट्स में सम्पूर्ण रूप से कर दिया गया, बाकी सात में क्यों नहीं किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में २६ जिलों में से ६ में कम्पलीट सेपरेशन हो गया है। १५ जिलों में पार्शियली सेपरेशन हुआ है, इसका कारण यह था कि जिस वक्त यह योजना १ सितम्बर, १९६२ को लागू की पचास प्रतिशत जुडिशियरी को मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों में ट्रान्स्फर कर दिया गया और बाकी का सेपरेशन कन्टिन्यू रखा जाय, यह ध्यान में रखते हुए कि इससे फाइनेन्शियल एक्सपेन्डीचर कितना होगा और दूसरे मैटर्स को ध्यान

(श्री परसराम मदेरणा)

में रखते हुए ३ साल में इनका सम्पूर्ण सेपरेशन कर दिया जाय; लेकिन खास तौर से एक दिक्कत आई है कि कई स्थानों पर सिविल कोर्ट्स में आर० जे० एस० के पर्सन्स नहीं हैं, कई स्थानों पर असिस्टेन्ट कलेक्टर, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स मौजूद हैं इसमें हेवी फाइनेन्शियल एक्सपेन्डीचर इन्वोल्व्ड है। इस तरह से २६ डिस्ट्रिक्ट्स बाकी रहे। १४ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेन्ट करने का सवाल एक्टिव कन्सीडरेशन में है। १२ जिलों में किसी प्रकार का कोर्ट नहीं इसलिए अभी यह इम्प्लीमेन्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह से सिविल कोर्ट्स, असिस्टेन्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेटी कोई वर्तमान है वहां एमर्जेन्सी की वजह से फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स इन्वोल्व्ड है ; फोर दी टाइम बीइंग नहीं लिया जा रहा है। एमर्जेन्सी के समाप्त होने के उपरान्त इस योजना पर लागू किये जाने पर विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जहां कम्प्लीट सेपरेशन हो गया है वहां पर भी स्पेशल एक्ट के अनुसार केसेज़ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को नहीं दिये जाते ?

श्री परसराम मदेरणा : बाफना कमेटी की यह सिफारिश थी कि शुरूआत में पीनल ऑफन्सेज़ और रेलवे क्लेम्स के केसेज़ ही दिये जांय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन्स हैं....

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : मेरा प्रश्न यह था कि अलवर और बूंदी जिले में इसका सेपरेशन नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

विधि-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अलवर जिले में हर कोर्ट में इतना केस वर्क है कि वहां एडीशनल कोर्ट्स के बिना एक भी सब डिवीज़न में यह स्कीम लागू नहीं की जा सकती और इसके लिये फाइनेन्शियल रिसोर्सेज़ के कमी के कारण अलवर-बूंदी जिले में यह काम नहीं हो सका। संकटकालीन स्थिति के खत्म होते ही इस पर विचार किया जायगा।

कुमारी उमा माथुर : अलवर जिले में केस वर्क अधिक होने का क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : वहां के लोग क्रिमिनल मेन्टेलेटी के हैं।

फेब्रिकेटर्स को लोहे का कोटा

१५०. श्री रामकिशन (वैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भरतपुर में लोहे का कोटा प्राप्त करने वाले कितने फेब्रिकेटर्स हैं ?

(२) इन फेब्रिकेटर्स के यहां क्या माल तैयार होता है और सन् ६१, ६२ व ६३ में इन्हें कितना कोटा दिया गया है ?

(३) क्या इन फेब्रिकेटर्स द्वारा तैयार माल की खपत का कोई रिकॉर्ड है ? यदि हां, तो वह माल कहां कहां बेचा गया है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सूची संलग्न है।

Page No.42

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) इन फेब्रिकेटर्स के यहां ट्रंक, बक्स, बाल्टी, सिगड़ी, कढ़ाई, परात, टंकी ओरने, कुही एवं रहट के परनाले, रहट की बाल्टी, फावड़े की पारी एवं अन्य घरेलू एवं काश्तकारी का सामान बनता है। इनको जो माल १९६१-६२ व ६३ में दिया गया है उसकी सूची अ, ब संलग्न है।

(३) तैयार माल की खपत का रिकार्ड जैसे कैश क्रेडिट मीमो, हर फेब्रिकेटर के पास है। माल लोकल व बाहर बेचा जाता है। उक्त रिकॉर्ड हर वक्त देखा जा सकता है। प्रत्येक फेब्रिकेटर की बिक्री की ब्योरेवार सूची उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): यह जो कोटा दिया जाता है उसमें सरकार को क्या भरोसा रहता है कि उससे चीज बनी और बिकी, या ब्लैक नहीं हुई?

श्री हरिश्चन्द्र: डी. आई. सी. है, वह वक्तन-फ-वक्तन जाकर चैक करता है। रिपोर्ट उसकी आती है और उसमें अगर ऐसा मामला होता है तो डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर खुद जाते हैं, जोइन्ट डाइरेक्टर जाते हैं। अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी जानकारी हो तो वे बतावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अधिकतर चीजों का ब्लैक हो रहा है, पर उनका कोई चैक नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र: आप जनरल बात न करें। अधिकतर ब्लैक होता है यह 'वेग' है। आप स्पेसिफिक बतावेंगे तो we will take action.

श्री रामकिशन: लगातार ऐसा होता रहता है, और कोई कार्यवाही विभाग की ओर से नहीं की जाती, और डिपार्टमेंट के पास हैं कई शिकायतें इस प्रकार की।

सार्वजनिक क्षेत्र में ऊनी मिल

१५१. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) [श्री भीमसेन (लूणकरणसर) द्वारा पूछा गया]: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में ऊनी मिल खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कहां पर एवं इसमें कुल कितनी पूंजी का विनियोग होगा तथा कितने लोगों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्राप्त करने की सम्भावना है?

श्री उपाध्यक्ष: I would not allow.

श्री फूलचन्द जैन: यह तो लिया जाना चाहिये साहब।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): इस विषय में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है जोकि विचाराधीन है। निर्णय होने के पश्चात् ही कुछ कहा जा सकेगा।

श्री फूलचन्द जैन: यह कहां पर खोलने का इरादा रखती है सरकार?

श्री मथुरादास माथुर: एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो फैसला करेगी कि यह मिल

(श्री मथुरादास माथुर)

बीकानेर या सीकर दोनों में से किसी एक जगह लगाई जावे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस कमेटी के मेम्बर कौन कौन हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : एक तो भारत सरकार के टैक्सटाइल कमिश्नर के रिप्रेज़ेन्टेटिव, हैल्थ डिपार्टमेंट के रिप्रेज़ेन्टेटिव और एक इन्डस्ट्री विभाग के रिप्रेज़ेन्टेटिव । यह इसलिए किया गया है कि बीकानेर के वाटर की हार्डनैस ज्यादा होने के कारण वूल को फिनिश करने में सोफन करने की जरूरत पड़ेगी इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जावेगा, वूल टॉप्स की ओर सीकर में इतना हार्डनैस नहीं है । इस प्रकार का रिप्रेज़ेन्टेशन होने पर जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है वह वहां के मुख्तलिफ कूओं के पानी को देखकर उनका केमिकल एनेलिसिस करके अपनी रिपोर्ट देगी । इसके बाद निर्णय लिया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पानी तो वहां नहर से ६३–६४ या ६५–६६ तक आ जावेगा । फिर बीकानेर का यह प्रमुख उद्योग है, अभी तक चला आ रहा है । तो वह बात तो पुरानी हो गई कि योजना बना ली है । वहां तो फर्टीलाइज़र के बारे में भी सोच रही है सरकार, तो बिना पानी के तो नहीं सोचा जा सका है यह भी ।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान केनाल का पानी तो ६६–६७ के पहले आने की सम्भावना नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर पॉवर हाउस को भी पानी चाहिए, तीन हजार आदमी काम करते हैं, उसको भी पानी मिलता ही है ।

श्री मथुरादास माथुर : आप इन दलीलों को इस एक्सपर्ट कमेटी के सामने पेश करने की कृपा करेंगे तो राजस्थान सरकार को लाभ होगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा उत्तर जो आप दे रहे थे अधूरा ही रह गया था, कौन कौन मेम्बर्स हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : चीफ इन्जीनियर हैल्थ अपना रिप्रेज़ेन्टेटिव मुकर्रर कर देगा ।

बीकानेर शिक्षा-मण्डल के ट्रेण्ड ग्रेजुएट अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेड

१५२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने बीकानेर शिक्षा मंडल के ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापकों को सन् १९५६ से ट्रेन्ड ग्रेड दिया जब कि दूसरे मंडल में सन् १९५१ से यह ग्रेड मिला ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर मंडल के अध्यापकों ने भी सन् १९५१ में ही ट्रेनिंग की थी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । पोस्टपोनमेंट के लिये प्रार्थना है।

Page No.44

श्री उपाध्यक्ष : The Question is postponed. Next.

प्रश्न संख्या १५३

श्री हरदत्तसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय ।

खेती के लिये बिजली

`१५४. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की आधुनिक यन्त्रों द्वारा कृषकों को खेती करने के लिये बिजली देने की कोई योजना है ?

(२) क्या सरकार खेती के उपयोग में लाने के लिये बिजली मेन लाइन से देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो मेन लाइन से कितनी दूरी तक के काश्तकारों को बिजली दी जावेगी ?

(३) क्या इस प्रकार की कोई योजना का सर्वेक्षण प्रत्येक जिले में करने का इरादा है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । २३ के० वी० या उससे कम वोल्टेज की लाइनों से तीन मील से कम दूरी पर के ग्रामों को बिजली योजना के लाभप्रद सिद्ध होने व धनराशि प्राप्त होने पर बिजली दी जा सकती है ।

(३) जी हां ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या इस प्रकार का सर्वेक्षण सब जिलों का पूरा किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कई जिलों का हुआ है । पहले भी मैंने इस बारे में बताया था और अब फिर बता रहा हूं कि मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में कमेटियां बना दी हैं; इस तरह की अन्डर दी चैयरमैनशिप ऑफ क्लेटर । इसमें प्रमुख साहब भी हैं । डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर भी है । वे बैठकर बातचीत करके आपस में तय करके रिकमन्डेशन करें । इसके बाद स्क्रूटिनाइज़ होता है । इसके बाद जैसे जैसे पैसे की स्थिति होती है तो उन स्कीमों को हाथ में लिया जाता है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिन जिलों में नहीं हुआ सर्वेक्षण उनमें भी क्या सरकार अब करावेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक सप्लीमेन्टरी और है साहब । क्या सरकार कृषि क्षेत्र को बिजली देने के लिये सारे प्रान्त के लिये कोई पर्सेन्टेज निर्धारित करेगी ताकि गारन्टीड तरीके से उन सबको बिजली मिल सके ।

श्री हरिश्चन्द्र : वैसे हाउस में कहा गया है, एप्रोक्सिमेटली १६ पर्सेन्ट रखेगी,

Page No.45

(श्री हरिश्चन्द्र)

पर यह कहना मुश्किल है कि किस तरह से रिज़र्व किया जावे। आप बताइये, यह फिज़िकली कैसे पोसिबल हो सकेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बुनियादी माध्यमिक शालाएं

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितनी बुनियादी (बेसिक) माध्यमिक शालाएं हैं और कितनी प्राथमिक ?

(२) इन शालाओं का वार्षिक व्यय कितना है ?

(३) क्या प्रत्येक बुनियादी शाला में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि अन्य साधारण शालाओं में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक काम कर रहे हैं ? अगर हां, तो उनको बुनियादी शालाओं में क्यों नहीं लगाया गया ?

(५) कब तक सरकार यह व्यवस्था कर सकेगी ?

उत्तर

(१) राजस्थान में ५७ सीनियर बेसिक स्कूल व १६८३ जूनियर बेसिक स्कूल हैं।

(२) इनका सन् १६६१-६२ का व्यय क्रमशः ११,१८,२४१ तथा ६६,२२,३३६ रुपया है।

(३) अधिकतर बुनियादी शालाओं में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हैं। कुछ बुनियादी शालाओं में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक नहीं हैं क्योंकि पुराने अध्यापक बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। वे भी धीरे धीरे स्थानान्तर कर दिये जावेंगे।

(४) यह ठीक है कि अन्य साधारण शालाओं में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक कार्य कर रहे हैं। ऐसे अध्यापकों को बुनियादी शालाओं में शीघ्र लगाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(५) इस व्यवस्था को पूरा करने में समय लगेगा।

अध्यापक दिवस

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राष्ट्रपति की वर्षगांठ के दिवस पर राजस्थान में जो अध्यापक दिवस मनाया गया उस अवसर पर राजस्थान में कहां कहां पर कितना कितना रुपया अध्यापक कल्याण कोष में जमा किया गया ?

(२) क्या इस कार्य के लिये राजस्थान-व्यापी कोई टार्गेट नियत किया गया था ? यदि हां, तो कितना ? यदि अलग अलग जिलेवार कोई टार्गेट था तो उसे अलग अलग बताने की कृपा करें। सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मुरलीधर व्यास)

(३) यह कोष कहां कहां पर किस किस प्रकार से जमा किया गया ?

(४) क्या इस कार्य के लिये कहीं चैरिटी शो भी किये गये ? यदि हां, तो कहां पर ?

उत्तर

१. सन् १९६२ के अध्यापक दिवस पर ५९,९६६)६६ न० पै० जमा किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

अध्यक्ष, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा टार्गेट जो नियत किया गया था उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३. यह कोष कलेक्टर के पास जमा कराया गया जिसकी सूची प्रश्न नं० १ के उत्तर में दी गई है।

४. जी हां, इस कार्य के लिये चैरिटी शो किये गये जो कि इस प्रकार हैं:–

१. अलवर
२. नवलगढ़
३. सीकर
४. फतहपुर
५. करौली
६. टोंक
७. गंगानगर
८. जोधपुर
९. भरतपुर
१०. बूंदी
११. जैसलमेर

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

हाईस्कूल छात्रावास, निवाई

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजकीय छात्रावास हाई स्कूल निवाई का सालाना कितना खर्चा है और सरकार की ओर से क्या २ सहूलियतें दी जाती हैं ?

(२) हाई स्कूल के छात्रावास में कितना सरकारी स्टाफ है ? पदवार सूची मय योग्यता व ग्रेड के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) हाई स्कूल के छात्रावास निवाई में कितने लड़कों के रहने का स्थान है ?

(४) गत पांच सालों में हर साल इस छात्रावास में कितने कितने लड़के रहे ?

(५) क्या यह सच है कि सन् ६२–६३ में इस छात्रावास में बहुत ही कम लड़के रहे हैं ? यदि हां, तो इसका कारण बताने की कृपा करें।

उत्तर

१. राजकीय छात्रावास, हाई स्कूल निवाई का सालाना खर्चा छात्रावास के छात्रों के

(शिक्षा-मंत्री)

खाने के खर्चे के अलावा जो कि खाद्यान्नों की बाजार रेट पर निर्भर है। ३६) रु० प्रतिवर्ष प्रति छात्र है। जिसमें उनके मकान किराये के १२) रु० तथा नौकरों के खर्चे के २४) रु० सम्मिलित हैं। उपरोक्त व्यय छात्रों को स्वयं वहन करना पड़ता है। छात्रालय का मकान सरकारी है तथा उक्त १२) रु० प्रतिवर्ष प्रति छात्र छात्रों से लेकर सरकारी कोष में जमा करा दिया जाता है।

सरकार की ओर से उक्त छात्रों की देख रेख के लिये शाला स्टाफ के लिये एक अध्यापक उनकी देखरेख के लिये रखा जाता है। जिसको इसके लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। मात्र सरकारी भवन में रहने की बिना किराये की सुविधा दी जाती है।

२. हाई स्कूल के छात्रावास में छात्रालयाध्यक्ष ही सरकारी स्टाफ का कर्मचारी है। जो शाला में सहायक अध्यापक के तौर पर कार्य करता है तथा उसकी योग्यता एम० ए०, बी० एड० है। उसे सैकण्ड ग्रेड में १४५) रु० मूल वेतन मिलता है। वर्तमान में श्री रामवीरसिंह कार्य कर रहे हैं।

३. हाई स्कूल निवाई के छात्रावास में १७ छात्रों के रहने का स्थान है।

४. गत ५ सालों में इस छात्रावास में निम्न प्रकार से छात्र रहे–

सत्र १९५९–६०	२०
१९६०–६१	२१
१९६१–६२	३२
१९६२–६३	२१
१९६३–६४	१८

५. सत्र १९६२–६३ में इन छात्रावास में छात्रों के कम होने का कारण इस छात्रावास के पड़ौस में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास का होना है जिससे छात्रों को निःशुल्क भवन व्यवस्था व कर्मचारी व्यवस्था है। रसोइये व पानी वाले का खर्चा उन्हें वहन नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त पदेन छात्रावासाध्यक्ष की नियुक्ति भी समाज कल्याण विभाग द्वारा ही की जाती है। वनस्थली विद्यापीठ पर रोडवेज़ व्यवस्था चालू होने का भी प्रभाव पड़ा है। इसके कारण वहां के छात्र प्रति दिन यहां पढ़ने आ जाते हैं। छात्रों का पूरा खर्चा (खाना, पीना, तेल, साबुन, कपड़ा) अनाज का व्यय समाज कल्याण विभाग द्वारा वहन करना पड़ता है। इसी प्रकार की सम्पूर्ण सुविधायें जैन छात्रावास में जैन छात्रों को उपलब्ध है।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा शुल्क

४५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा कितना शिक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क लिया जावे, इस निर्धारण हेतु जिस समिति का गठन किया गया था क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

Page No.48

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(२) क्या राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है ?

उत्तर

१. जिस समिति का गठन किया था वह समिति ४० दिन बाद ही तोड़ दी गई क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पर विचार करने हेतु पहले ही शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हो चुका था ।

२. प्रश्न ही नहीं उठता ।

देवस्थान की सम्पत्ति बड़ी सादड़ी

४६. **श्री शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में भूतपूर्व जागीरदार बड़ी सादड़ी की व्यक्तिगत कोई देवस्थान की सम्पत्ति व माफी है ?

(२) यदि हां, तो कितनी सम्पत्ति है ?

(३) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी देवस्थान की ट्रस्ट बनी हुई है ? यदि हां, तो उनके अध्यक्ष और मंत्री कौन हैं ?

(४) देवस्थान ट्रस्ट से किन किन व्यक्तियों ने लोन ले रक्खा है ?

(५) देवस्थान बड़ी सादड़ी में कितने कर्मचारी भूतपूर्व बड़ी सादड़ी राजराणा के समय से सेवा में आये थे और अब कितने हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

जल बोर्ड योजना, जिला कोटा

४७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Minister for Social Welfare please state:—

(1) How much amount was spent in Kota District under the Jal Board Scheme, Tehsilwise ?

(2) How many works were taken up under this scheme in the Shahbad and Kishanganj Tehsils and how many of them have been completed so far ?

(3) What steps the Government contemplate to take to complete the unfinished works ?

उत्तर

सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

ग्रामों को बिजली, तहसील नादौती

४८. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकार तहसील नादौती, जिला सवाई माधोपुर के गांवों में बिजली देने

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन किन ग्रामों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम गुढ़ा चन्द्रजी की आबादी ५००० से ज्यादा है और इस प्रकार वह बिजली दिये जाने की योजना में सम्मिलित किया जा सकता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, अभी कोई योजना नहीं हैं। तहसील सादौती में ऐसा कोई ग्राम नहीं है जिसकी आबादी ५००० या उससे अधिक हो।

(२) जी नहीं, सवाई माधोपुर में ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए Rural electrifiction committee का गठन कर दिया है। यह समिति ऐसे मामलों पर विचार करके विद्युत मंडल को अपनी राय पेश कर सकती है।

बिजली की बकाया, अलवर

४९. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) अलवर शहर के बिजली घर के किन किन व्यक्तियों की तरफ कितने कितने अर्से से कितना कितना रुपया बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) भविष्य में इस प्रकार की बकाया न बढ़ने देने के लिये सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

(३) सरकार ने इस बकाया वसूली के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) अलवर बिजलीघर के किन किन व्यक्तियों की तरफ कितने २ अर्से से कितना २ रुपया बाकी है, उसकी सूची अलवर से मंगवाई जा रही है।

(२) भविष्य में बकाया न बढ़ने देने के लिये उपभोक्ता को नोटिस देकर बिजली देना बन्द कर किया जाता है और बकाया की वसूली के लिये राजस्थान इलेक्ट्रिकल अन्ड-टेंकिंगस (डयूज़ रिकवरी) एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(३) बकाया रकम की सूची प्राप्त होने पर ही यह सूचना दी जा सकती है।

लवण उत्पादन के लिए भूमि का अलॉटमेंट

५०. श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू के बीड़ छापर में कितना बीघा जमीन लवण उत्पादन के लिए रिज़र्व घोषित की है ?

(२) उक्त जमीन को कितने प्लाटों में विभक्त किया गया है और उनमें से एक एक का कितना कितना क्षेत्रफल है ?

(३) संबंधित प्लॉटों को अलॉट करने के लिए कब घोषणा की गयी और निर्धारित अवधि में कुल कितनी दरख्वास्तें आई ?

(श्री रावतराम)

(४) आई हुई दरख्वास्तों में कितनों को भूमि अलॉट की गयी ?

(५) फिलहाल कितने प्लॉट बाकी हैं और उन्हें कब अलॉट किया जाएगा तथा उनकी दरख्वास्तें कब मांगी जाएगी ?

उत्तर

(१) ६,३०१ बीघा भूमि घोषित की गई है।

(२) अभी तक उक्त जमीन में से केवल ७०१ एकड़ भूमि को १३ प्लॉटों में विभक्त किया गया है जिनमें से ७ प्लॉट ३० प्रति एकड़ एवं ६ प्लॉट ७५,९९,८०,७७, ८१ एवं ७९ एकड़ के हैं।

(३) घोषणा दिनांक २९-६-६३ को की गई और आज तक कुल २३० दरख्वास्तें इस कार्यालय में आई हैं।

(४) सात को भूमि अलॉट की गई।

(५) बाकी ३,०२० एकड़ अलॉट करना अभी विचाराधीन है।

तेल घाणी समिति को ऋण-सूरोठ

५१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि कस्बा सूरोठ तहसील हिन्डौन में तेल घानी समिति बनी हुई है ?

(२) वह कब रजिस्टर्ड हुई है और कितने वर्षों से चल रही है ?

(३) उसके कितने सदस्य हैं और वे सदस्य इस कार्य के करने वाले हैं या नहीं ?

(४) क्या यह समिति लाभ में चल रही है ? यदि हां, तो कितने लाभ में ? यदि नहीं, तो क्या नुकसान में चल रही है ?

(५) इस समिति को सरकार से कितना ऋण मिला है और उसमें से कितना ऋण वापस जमा हो चुका है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) रजिस्ट्रेशन नं० ९९३।५ दिनांक ३१-३-६० है। क्या उक्त समिति के सदस्य तब से समिति में ही काम कर रहे हैं।

(३) इस समिति में निम्न प्रकार के ११ सदस्य हैं।

अ श्रेणी ९ (कार्य करने वाले)
ब श्रेणी २ (कार्य में सहायक)

कुल ११

(४) समिति को तिलहन संग्रह के लिए ५०००) रु. ३१-३-६३ को दिये गये हैं। समिति १ वर्ष रकम का उपयोग करे तब ही लाभ-हानि का पता चल सकता हैं।

(५) उक्त समिति को राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निम्न रकम दी गई हैं :

(उद्योग मंत्री)

(१) हिस्सा पूंजी ऋण रु० ७८०.५० न० पै० दिनांक २६-१०-६० ।

(२) तिलहन संग्रह ऋण रु० ५०००) दिनांक ३१-३-६३ ।

(३) समिति द्वारा निम्न प्रकार रकम वापस की गई :

हिस्सा पुंजी ऋण १५७,५० न० पै० दिनांक २८-६-६२,

हिस्सा पूंजी ऋण १५७,५० न० पै० दिनांक १२-१०-६२

कुल रकन ३१५.०० न० पै०

प्रतापगढ़ क्षेत्र में सड़कें

५२. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) प्रतापगढ़ क्षेत्र में सन् १९४७ के बाद कितनी मील लम्बी सड़कें बनवाई गईं ?

(२) क्या सरकार मुख्य मुख्य स्थानों को जोड़ने हेतु और भी सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन कौन सी ?

उत्तर

(१) लगभग २९ मील ।

(२) जी हां। निम्न सड़कों के बनाने की योजना है :-

(१) अरनोदा पीपलोद रोड

(२) निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़

(३) धरियावाद से प्रतापगढ़

(४) बांसवाड़ा से प्रतापगढ़

सड़क योजना-जिला झुंझुनू

५३. श्री शिवनारायण छाबिया (सूरतगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तृतीय पंच वर्षीय योजना में जिला झुंझुनू में किस मार्ग पर व कहां से कहां तक पक्की सड़क बनाने की योजना है व जो अधूरी पड़ी है उनको कब तक पूरी कराने का प्रोग्राम है ?

उत्तर

सूची प्रस्तुत है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला कोटा व झालावाड़ में सड़क निर्माण कार्य

५४. श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला कोटा व झालावाड़ में किन किन सड़कों को कितने कितने मील, कहां से कहां तक बनाने

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

का प्रावधान रक्खा गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(२) इनमें से कौनसी सड़कें ऐसी हैं जिनका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ और क्यों और अब कब तक प्रारंभ होगा और समाप्त कब तक कर दिया जायेगा ?

(३) क्या यह सही है कि कोटा जिला की शाहबाद ये किशनगंज तहसील जहां दस्युओं का भंयकर आतंक है, वहां सड़कों का पूर्णतया अभाव है और यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या उचित व्यवस्था करने की सोच रही है ?

उत्तर

सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

पेन्शन केसेज़, कोटा डिविज़न

५५. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या कोटा डिविज़न क्षेत्र में पी० डब्ल्यू० डी० (बी० एन्ड आर०) के ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पेन्शन केसेज़ का निपटारा होना शेष है ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं और कितने कितने समय पहले रिटायर हो चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। सूची प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

जिला झुंझुनू में सड़कों के लिए स्वीकृत धन-राशि

५६. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(अ) झुंझुनू जिले में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कें बनाने के लिए कुल कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई थी ?

(ब) अब तक कुल कितनी धन-राशि किन किन सड़कों पर खर्च की जा चुकी है ?

(स) तीसरी पंचवर्षीय योजना में झुंझुनू जिले में बन रही इन सड़कों की प्रगति क्या असन्तोषजनक नहीं है ? यदि हां, तो फिर सरकार इस दिशा में क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(अ) २५,२०,०००)रु.

(ब) सूची प्रस्तुत है।

(स) संतोषजनक है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

मजदूरों के लिए क्वार्टर्स, सादुल टैक्सटाइल मिल

५७. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के तहत गंगानगर में सर्व प्रथम किस वर्ष मजदूरों के लिये क्वार्टर्स बनाये गये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(२) तब से लेकर आज तक कितना रुपय इन क्वार्टर्स पर लग चुका है तथा कितने क्वार्टर्स निर्मित हुये हैं ?

(३) ये क्वार्टर्स सादुल टैक्सटाइल मिल से कितनी दूर हैं ?

(४) क्या यह सही है कि सादुल टैक्स टाइल मिल के मैनेजमेंट ने उपरोक्त क्वार्टर्स से मिल तक जाने वाले सीधे मार्ग को बंद कर दिया है तथा इस कारण मजदूरों को मिल तक पहुँचने के लिये बहुत लम्बा मार्ग अपनाना पड़ता है ?

(५) क्या यह सही है कि इसी कारण उपरोक्त क्वार्टर्स मजदूर किराये पर नहीं लेते ?

(६) इस समय कितने क्वार्टर्स खाली पड़े हैं तथा पिछले वर्षों में जब से ये क्वार्टर्स बने, कितने क्वार्टर्स खाली रहे हैं ? सूचना वर्ष वार सदन की मेज पर रखें ।

(७) इन क्वार्टर्स के खाली पड़े रहने से सरकार को कितनी हानि प्रति वर्ष होती रही है ? सूचना वर्ष वार दें ।

(८) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्वार्टर्स को खरीदने के लिये सादुल टैक्सटाइल मिल्स के मैनेजमेंट ने राजस्थान सरकार को प्रार्थना-पत्र भी दिया है ?

(९) यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह प्रार्थना-पत्र लेबर कमिश्नर द्वारा रिकमन्ड करके श्रम मन्त्री को भेज दिया गया है ?

(१०) क्या उपरोक्त मार्ग इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम द्वारा बनी इस कोलोनी को फेल करने के लिये ही बन्द किया गया है ताकि सादुल टैक्सटाइल मिल्स का मैनेजमेंट इस कोलोनी को सस्ते भाव में खरीद सके ?

(११) क्या सरकार उपरोक्त सारे मामले की जांच करायेगी ?

उत्तर

(१) एक कमरे वाले मकान जुलाई सन् १९६१ में व दो कमरे वाले अक्टूबर १९६१ में पूरे हुए।

(२) एक कमरे वाले व दो कमरे वाले क्रमशः २०० मकान व ५० मकान बनाये गये हैं; कुल ८,८८,०८१.३३ रुपये खर्च हुए हैं।

(३) इन्डस्ट्रियल हाउसिंग कॉलोनी में बने हुए मकान सादूल टैक्सटाइल मिल से करीब एक मील दूर हैं।

(४) जी हां।

(५) जी हां, यह भी एक कारण है।

(६) एक कमरे वाले केवल ३२) दिसम्बर ६३ तक) मकान खाली हैं व दो कमरे वाले पूरे भरे हुए हैं। जब से ये क्वार्टर बने हैं तब से हर महीने कितने कितने मकान खाली रहे उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(७) इन क्वार्टर्स के खाली रहने से सरकार को जो नुकसान हुआ उसकी सूचना निम्न प्रकार है :—

१९६१–६२	९८६८।२०
१९६२–६३	१२५५५।८०

(सार्वजनिक निर्माण-मंत्री)

(८) जी हां।

(९) जी हां। यह हाउसिंग विभाग को भेज दिया गया था, मामला सरकार के विचाराधीन है।

(१०) जी नहीं।

(११) सरकार जांच की कोई आवश्यकता नहीं समझती।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

(९.३७ म० प०)

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा सन्देश

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में जो सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है :—

"दिनांक २१ फरवरी, ६४ को विधान सभा में किये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया है उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त सन्तोष हुआ।"

(९.३८ म० प०)

राणा प्रतापसागर बांध पर मजदूरों द्वारा हुई हड़ताल इत्यादि सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव एवं श्रम मंत्री का वक्तव्य

राणा प्रतापसागर बांध पर मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति तथा एक मजदूर की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई है। इस हड़ताल द्वारा उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में पहले ही श्रम मन्त्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी जानकारी भी माननीय सदस्यों को श्रम मंत्री द्वारा दी जावे, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं माननीय श्रम मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे इस विषय पर एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा अब तक की स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें। अतः मैं स्थगन–प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

माननीय मन्त्री।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी एडजोर्नमेंट मोशन जो मूव होता है तो उसकी वास्तविक स्थिति देखने के बाद यह निर्णय लिया जाता है रूल्स के अनुसार कि इसको एडमिट किया जावे या नहीं। पार्लियामेन्ट में और बाकी की देश की अन्य विधान सभाओं में भी जब किसी एडजोर्नमेन्ट मोशन को रिजेक्ट किया जाता है तो उसके पहले जैसी आपने व्यवस्था दी है कि माननीय मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण करेंगे, अब उस स्पष्टीकरण में मान लीजिये कोई गम्भीरता आती है जिसका सम्बन्ध एडजोर्नमेन्ट मोशन से है और इसके कारण उसको मन्जूर किया जा सकता है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एडजोर्नमेन्ट मोशन को मन्जूर किया जावे या नहीं इसकी

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था उस समय ही हो सकती है जिस समय मन्त्री अपना स्पष्टीकरण दे दे और उससे यह मालूम हो जाय कि वाकई में गम्भीरता उससे झलकती है या नहीं। उस स्पष्टीकरण से जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी पदासीन हों, उनको सन्तोष हो जावे, उसके बाद ही प्रस्ताव को लिये जाने या रिजेक्ट किये जाने का निर्णय दिया जाय तो उचित होगा। अभी स्पष्टीकरण के अभाव में मालूम नहीं होता और ऐसे वक्त में अगर निर्णय होगा तो वह अधूरा, जानकारी के अभाव में, होगा। लोक सभा में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि पहले स्पष्टीकरण मांगते हैं और फिर उस मोशन पर निर्णय दिया जाता है। लोक सभा में अभी चार-पांच दिन पहले नाथपाई ने एक एड्जोर्नमेन्ट मोशन मूव किया था। उसे अलाऊ किया चेयर ने और कहा कि मन्त्री महोदय मोशन के बारे में कुछ स्थिति संक्षेप में स्पष्ट कर दें। इसके बाद में मन्त्री महोदय ने सारी स्थिति स्पष्ट की और इसके बाद में चेयरमैन महोदय ने व्यवस्था दी कि प्रस्ताव मूव किया जाय। प्रस्ताव मूव किया गया पर चूंकि जितने वोट उसके लिये होने जरूरी थे वे प्राप्त नहीं हो सके इसलिये वह गिर गया। यह दूसरी बात है। पर एड्जोर्नमेन्ट मोशन मन्जूर किया है सारी स्थिति के स्पष्ट कराने के बाद। तो इसी तरह से यहां भी स्पष्टीकरण होना पहले ज्यादा जरूरी है और इसके बाद ही मन्जूर किये जाने या न किये जाने की व्यवस्था हो तो अच्छा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पहले स्थिति का स्पष्टीकरण हो जावे, फिर क्या भविष्य होगा सारी स्थिति सदन के सामने आने के बाद आप निर्णय करें तो यह परम्पराओं के अनुरूप होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो निर्णय दिया गया है वह हमारे रूल्स के अन्तर्गत ही है।

श्री भैरोंसिंह : आपके और संसद के रूल्स एक से ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह इतना त्वरित लोक महत्व का प्रश्न नहीं है कि जिसके लिये सारी सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जावे, इस दृष्टि से आसन ने व्यवस्था दी है। माननीय मन्त्री इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट कर देंगे। इसके बाद फिर भी अगर कोई शंका रह जाती है तो उसके लिये इन रूल्स के अन्दर प्रावधान है। उनके अन्र्गत और भी कुछ प्रश्न हो सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : लोक-महत्व का प्रश्न नहीं है, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित किया जाये। इसका निर्णय, मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहे अग्रेतर हो या पूर्वोत्तर हो........

श्री उपाध्यक्ष : यह अधिकार आसन के पास सुरक्षित है और आसन को ही इस विषय में देखना है।

श्री भैरोंसिंह : मैं अधिकार को चुनौती नहीं देता हूं। लेकिन उस अधिकार को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए और सम्माननीय बनाने के लिए यह मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था कोई राजस्थान विधान सभा में ही चल रही हो ऐसी बात नहीं है, सब जगह है। जितना स्पष्टीकरण होता है मैं समझता हूं कि रूल्स के अनुसार

(श्री भैरोंसिंह)

आसन को अधिकार नहीं होता है कि किसी मंत्री को बाध्य किया जाये और वह स्पष्टीकरण करे। यह तो मंत्री महोदय की इच्छा पर है। ऐसी हालत में कॉन्टाडिक्शन होता है कि चेयर उसको लोक महत्व का प्रश्न नहीं समझती।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कॉन्ट्राडिक्शन का प्रश्न नहीं आता है। इसमें तो केवल मात्र पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित करने वाली कोई लोक-महत्व की बात हो तो लिया जा सकता है। अब वह लोक-महत्व की बात है या नहीं, इसका प्रश्न आता है। इसके अलावा यह भी सूचित कर दूं कि एड्जोर्नमेंट मोशन ऐसे समय में किया जाता था जिसके विषय में हमारे पूर्व लोक सभा के जो स्पीकर श्री मावलंकर थे उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी कि जिस समय एक विदेशी हुकूमत थी और उसकी कार्यवाही बिल्कुल अप्रजातांत्रिक ढंग से चलती थी....

श्री भैरोंसिंह : This has been overruled by the present Speaker.

श्री उपाध्यक्ष : आज जो भी कार्यवाही हम करते हैं वह संविधान के अन्तर्गत करते हैं और प्रजातांत्रिक प्रणाली से करते हैं और उसी के अनुसार एक कार्य सलाहकार समिति द्वारा एक निश्चित कार्यक्रम बनाकर कार्य-वाही चालू करते हैं। उन कार्यवाहियों के अन्दर कई लोक-महत्व के प्रश्न सम्मिलित रहते हैं और उसमें यही देखने की आवश्य-कता पड़ती है कि कोई विशेष प्रकार की जो बात उठी है वह क्या इतने लोक-महत्व की है कि दूसरी सब लोक-महत्व की कार्यवाही पिछड़ा दी जाये इसीलिए इस बात का विचार करके ही यह कहने की आवश्यकता पड़ती है कि वह इतने अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है और यह चान्स दिया जा रहा है कि संबंधित मंत्री महोदय उस विषय में स्पष्टीकरण कर दें। उसके पश्चात् ही यदि कोई शंका रह जाती है तो रूल्स में प्रावधान है जिनके अनुसार बहस उठाई जा सकती है....

श्री भैरोंसिंह : एड्जोर्नमेन्ट मोशन का टाइम तो खत्म हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में जो निर्णय दिया है वह सोच-समझ कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जैसी यह व्यवस्था दी कि लोक सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर साहब ने कोई इस प्रकार की व्यवस्था दे दी कि यह ब्रिटिश काल में मूव किये जाते थे और....

श्री उपाध्यक्ष : इस मन्शा को गलत तरीके से लेने की बात है, यह तो केवल एक उदाहरण उद्धरित किया है। जिस पार्लिया-मेन्टरी पद्धति को लेकर हम चलते हैं वहां किस प्रकार की कार्यवाही स्पीकर द्वारा हुई जिससे हम प्रेरणा लें और केवल उससे प्रेरित होकर ही और दूसरी परिस्थितियों को देखकर ही हम यहां से व्यवस्था देते हैं और उसी के अनुसार यह व्यवस्था दी गयी और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को पहले मौका दिया जाये कि वे स्थिति का स्पष्टीकरण करें और जैसा

Page No.57

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन उचित समझेगा उसी प्रकार की कार्यवाही होगी।

यस माननीय मंत्री महोदय।

श्री भीखभाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राणा प्रताप सागर बांध, रावतभाटा, कोटा में लगभग १२,००० मजदूर काम करते हैं; इसमें करीबन ५,००० मजदूर नहर विभाग के हैं। अन्य ७,००० मजदूरों में करीबन ५,००० मजदूर मॉडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी के तथा २,००० दूसरे ठेकेदार हैं।

२१ फरवरी, १९६४ को सिर्फ मॉडर्न कन्सट्रक्शन कम्पनी के लगभग ५,००० मजदूरों ने हड़ताल की। मजदूरों की मुख्य मांगें तनख्वाह में वृद्धि तथा सवेतन साप्ताहिक छुट्टी थी। इनके अतिरिक्त अन्य दस मांगें और थीं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। इन मांगों पर समझौता अधिकारी द्वारा तुरन्त समझौते के प्रयत्न किये गये; पर २५ फरवरी, १९६४ तक कोई विशेष प्रगति इस दिशा में न होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि मामला श्रम न्यायालय को सौंप दिया जाये। पर उसी समय कम्पनी के संचालक, श्री पटेल ने यह प्रार्थना की कि उन्हें दो दिन की मोहलत और दी जावे ताकि वे आपस में समझौता करने की पुनः कोशिश करें। जहां तक हो आपस में समझौता हो जाये यह इस विभाग का ध्येय है। अतः उनकी प्रार्थना मन्जूर कर ली गई। चूंकि पर जब समझौता २५ फरवरी तक न हो सका तब दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को जयपुर बुलाया गया तथा उच्च सरकारी स्तर पर समझौता के प्रयत्न किये गये। फलस्वरूप दोनों पक्षों ने मुख्य दो मांगों का पंच फैसले द्वारा तथा अन्य दस मांगों को समझौते अधिकारी द्वारा तय करने का निश्चय किया गया।

दूसरे दिन १ मार्च, १९६४ को लिखित रूप में आपस में समझौता हो गया। जिनके द्वारा वेतन वृद्धि व साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश की मांगें भी श्री किशोरीलालजी माथुर को पंच मान कर सुपुर्द की गईं तथा अन्य दस मांगें समझौता अधिकारी के समक्ष तय की गईं। मैं दोनों आग्युमेंट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखता हूँ।

(सूचियां कृपया विधान सभा के टेबल ऑफिस में देखें)

यह कहना कि इस झगड़े में एक मजदूर की मृत्यु हो गई है, बिल्कुल गलत है। वास्तव में श्री मामदेव बामल ब्लास्टर को दिनांक २० फरवरी को यानी हड़ताल से एक दिन पहले ब्लास्टिंग करते समय शारीरिक चोटें आई थीं। उन्हें उसी समय कोटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनकी २६ फरवरी को मृत्यु हो गई। क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इस प्रकार इनकी मृत्यु से इस झगड़े का कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपरोक्त समझौता प्रयत्नों के दौरान में श्री अब्दुल भाई मुकदमा ने तारीख २८ फरवरी से भूख हड़ताल शुरू की थी। इसका सम्बन्ध आम हड़ताल से था। अब उपरोक्त समझौते के आधार पर कल २ मार्च, १९६४ को बारह बजे दिन के हड़ताल तथा भूख हड़ताल समाप्त हो गई। मजदूर कार्य पर चले गये। श्रम स्थिति सामान्य है।

Page No.58

(श्री भीखाभाई)

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि श्रम विभाग इस मामले में सतर्क व जागरूक रहा है, इसने स्थिति पर काबू पाने के लिए आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की है। समझौता अधिकारी व क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त बराबर मौके पर रहे तथा इस विवाद को निपटाने के लिए प्रयत्न किये हैं। इधर श्रम विभाग के उच्च अधिकारी तथा नहर विभाग के सचिव भी विवाद को समाप्त करने की हर प्रकार की कोशिश करते रहे हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप यह समझौता हो गया तथा श्रम स्थिति सामान्य हो गयी।

(६.४८ म० पू०)

बीकानेर मेडीकल कॉलेज के विद्यार्थियों में हुए झगड़े सम्बन्धी विषय पर ध्यान दिलाना

श्री उपाध्यक्ष : Call attention notice Shri Hardutta Singh.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि इस कॉल अटेन्शन नोटिस को मैं मूव करूं।

"प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत बीकानेर मेडीकल कॉलेज के विद्यार्थियों में हाल ही में हुए झगड़े से उत्पन्न स्थति की ओर चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ।"

श्री उपाध्यक्ष : चिकित्सा मन्त्री।

श्री बरकतुल्ला खां (चिकित्सा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं थोड़ा सा डिटेल में इस सारे मामले के अन्दर जाना चाहता हूं। नवम्बर के आखिर में कुछ विद्यार्थी जयपुर आये और वे मुख्य मन्त्रीजी से और मुझसे भी मिले। १६१ लड़के और लड़कियों के दस्तखतों से एक रिप्रेजेन्टेशन दिया गया। यह रिप्रेजेन्टेशन नवम्बर की ३० तारीख के आस-पास हमें दिया गया और सरकार उस पर विचार कर रही थी कि पता लगा कि ३ दिसम्बर को कॉलेज के अन्दर हड़ताल हो गयी। कॉलेज के अन्दर कुल मिलाकर ४६४ लड़के और लड़कियां हैं। इनमें से १७० लड़के और लड़कियों ने कॉलेज में बराबर आना-जाना और पढ़ना जारी रखा। कुछ लड़के स्ट्राइक के दौरान में बीकानेर से अपने घर चले गये और कुछ लड़के-करीब २५० लड़के और लड़कियां स्ट्राइक में रहे। जो मेमोरेन्डम उन्होंने सरकार को दिया था उसमें बड़े भारी आरोप उन्होंने अपने प्रिन्सिपल के खिलाफ लगाये थे और उन आरोपों के लिए जब सरकार के सामने आये तो सरकार ने यह मुनासिब समझा कि उसकी सच्चाई और गहराई में जाना चाहिए कि उन आरोपों में कुछ तथ्य भी हैं या नहीं। इसीलिए सरकार ने ११-१२-६३ को एक इन्क्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति करने के लिए तय किया। उसके बाद में १८ तारीख को बीकानेर मेडीकल कॉलेज के स्टुडेन्ट्स जब हड़ताल तोड़ने जा रहे थे कुछ वाकयात हुए और उसके बाद यह सारा स्ट्राइक २१ तारीख को खत्म हुआ। २० तारीख को यह इन्क्वायरी ऑफिसर श्री मघोक वहां पहुँच गये थे। मैंने भी २१ तारीख को जाकर स्टाफ और स्टुडेन्ट्स-दोनों को एड्रेस किया और जो सबसे ज्यादा

(श्री बरकतुल्ला खां)

जोर दिया वह इस बात पर था कि स्ट्राइक के जमाने में स्टुडेन्ट्स के अन्दर दो तरीके के दल बन गये थे—एक स्ट्राइकर और एक नॉन-स्ट्राइकर। मैंने यह कहा था कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि वे विद्यार्थी हैं और यहां पढ़ने आये हैं। प्रो-स्ट्राइकर्स और एन्टी-स्ट्राइकर्स का कोई सवाल पैदा नहीं होता और अपने इन्स्टीट्यूशन को जिन्दा रखने के लिए अपनी पढ़ाई में वे लगें और सरकार ने भी इस दौरान में, जब प्रोवोकेशन हो सकता था और दूसरी चीजें सामने आईं इसका ख्याल रखा कि कोई ऐसा कदम न उठ जाये जिससे लड़के और लड़कियों की जिन्दगी के ऊपर बुरा असर पड़े। उसके बाद इन्क्वायरी ऑफिसर ने इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी करने के बाद गवर्नमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, गौर से उसको समझा, और उस रिपोर्ट के समझने के बाद जब यह गवर्नमेंट उस पर कुछ कदम उठाने जा रही थी, उस रिपोर्ट के अन्दर, मैं यह बता दूं कि जितने भी चार्जेज़ प्रिन्सिपल पर लगाये गये थे वे सब के सब रद्द माने, गलत माने; सिर्फ एक चार्ज के बारे में उन्होंने कहा कि जहां तक सख्ती से स्टूडेन्ट्स के साथ पेश होने का ताल्लुक है या हाथा-पाई का ताल्लुक है, उसमें कुछ सच्चाई नजर आती है। इसी दौरान में यह हुआ कि २३ तारीख को, मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर केसेज़ रजिस्टर हो चुके हैं बीकानेर के अन्दर, वह मैं बाद में अर्ज करूंगा; २३ तारीख की सुबह साढ़े सात बजे के करीब कुछ लड़के होस्टल नं० ३ के अन्दर नहा रहे थे तो आपस में मजाक हो रहा था। उस मजाक को एक लड़के ने गलत समझा; वह समझा कि मजाक उसकी तरफ किया जा रहा है। आपस में हाथा-पाई हुई, लेकिन उनमें मेल हो गया, और इसकी शिकायत न तो प्रिन्सिपल को की, न ही वहां के वार्डन को और न ही वहां के प्रिफेक्ट को की। उसके बाद शाम को जब एक लड़का दूसरे लड़के के कमरे में नमक लेने गया तो वहां पर वह लड़का जिससे सुबह झगड़ा हुआ था मौजूद था। उसके अन्दर फिर लड़ाई हुई और वार्डन बाहर निकल कर आया। बाहर जब लड़ाई बन्द हुई तो लड़के होस्टल में घुसे और मार-पीट शुरू हुई। दरवाजे तोड़े गये, शीशे तोड़े गये, और इस झगड़े के अन्दर जब कि वार्डन चाहता था कि बीच में पड़कर कुछ करे तो वार्डन को भी चोटें आईं तो उसने पुलिस को इन्फोर्म किया। इसके अन्दर ८ लड़के जख्मी हुए।

उसके बाद उसी रोज २३ और २४ की बीच की रात में रात के २–३ बजे के बीच के अन्दर फिर कोई १०० लड़कों के करीब होस्टल नं. ४ के बाहर निकले और होस्टल नं. २ की तरफ गये। वार्डन जागरूक था और वार्डन ने पुलिस को इत्तिला की, खबर करवाई और जब तक पुलिस आये उस वक्त तक और लड़के जख्मी हुए। इस तरीके से कुल मिलाकर २८ लड़के जख्मी हुए, जिनके कुछ छोटी-मोटी चोटें आईं, कुछ ब्रूसेज़ आये, लेकिन सिम्पल इन्जरी के तौर पर जिन लोगों के चोटें आईं वे आठ पहले वाले वाके में थे और आठ दूसरे वाके पर थे। इस तरीके से १६ लड़कों के इन्जरीज़ सिम्पल या मल्टीपल आईं। जिन लड़कों के सिर पर चोटें आईं

(श्री बरकतुल्ला खां)

उनको अस्पताल में ले जाया गया । इनको वहां पर २-३ दिन तक रखा गया, यानी तीन तारीख तक । आज तक सिर्फ एक लड़का अस्पताल के अन्दर मौजूद है । बाकी के जो वहां गये थे वे सब डिस्चार्ज हो गये ।

इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त यह स्ट्राइक हुआ तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखा कि फुल और इम्पार्शियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। जो स्टूडेन्ट्स की तरफ से यह भय बिठा दिया गया कि वहां के प्रिन्सिपल के रहते हुए कोई इन्क्वायरी नहीं हो सकती तो प्रिन्सिपल को यहां बुला लिया गया । उसके बाद में जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे उनको प्रिन्सिपल का चान्स दिया गया। सीनियर मोस्ट प्रोफेसर के खिलाफ भी जो लोग स्ट्राइक पर नहीं गये थे उन लोगों ने शिकायत की । उनकी चर्चा हुई और हमने यह मुनासिब समझा कि उनको जयपुर में बुलाकर हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट बना दिया जाय । यह सब कुछ करते हुए सरकार की हमेशा मन्शा यह रही थी कि कोई ऐसे वाकैआत न हो जायं जिससे लड़के और लड़कियों का साल खराब हो जाय, क्योंकि जो मां-बाप हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, तो उनका २०-२५ हजार के करीब खर्च होता है, और इस जमाने के अन्दर बहुत कम मां-बाप यह जरिया मुहैया कर सकते हैं कि वे अपने बच्चों पर २०-२५ हजार रुपया खर्च कर सकें और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि मिडल क्लास के हैं वे रुपया उधार लेकर, कहीं से कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यह आइडिया हमारे दिमाग में सब प्रकार से था कि किसी न किसी तरीके से लड़के और लड़कियों का साल खराब न हो। लेकिन जब ये हालत पैदा हों, लड़ाई-मुकद्दमें-बाजी हो, हाथा-पाई हो, मार-पीट हो, तो उसके बाद और कोई चारा नहीं रह गया था। यह फैसला करने से पहले भी सरकार ने वहां के प्रिन्सीपल से राय ली, वहां के लोकल स्टाफ से ली, एडमिनिस्ट्रेशन से ली, और सबने यह कहा कि जैसे हालात हैं उसमें अगर इस कॉलेज को चलाया जाय तो आपस के अन्दर ज्यादा झगड़ा बढ़ने का अन्देशा है, झगड़ा कम होने का अन्देशा नहीं है और जैसी हालत बन रही थी उसके अन्दर तरह-तरह के र्‍यूमर्स पैदा होने लगीं । कभी यह र्‍यूमर पैदा हुई कि लड़कों ने पेट्रोल जमा कर लिया ताकि गर्ल्स होस्टल को आग लगा दी जाय। इन्क्वायरी करने पर यह पता चला कि कोई गर्ल्स होस्टल में आग लगाने का अन्देशा नहीं है, लेकिन जहां तक लड़के और लड़कियां का ताल्लुक था उनके हृदय के अन्दर बहुत बड़ा भय था।

इसी सिलसिले के अन्दर मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि जब एक लड़के ने यह कहा कि उसका बिस्तर जला दिया गया और रेडियो चोरी हो गया। उसके ऊपर होस्टल की तलाशी ली गई, इन्सपेक्शन किया गया तो होस्टल के अन्दर, मैं समझता हूँ होस्टल के अन्दर ४० डंडे और लाठियां, एंगल आयरन के टुकड़े निकले, कुछ पाइप निकले, कुछ गेड्स निकले, और एक तलवार निकली। तो यह भी एक ऐसी चीज थी जिससे झगड़ा होने का अन्देशा था और इस तरह का टेन्शन रहा तो मामला बद से बदतर हो जायगा। ये लड़के जिनको हम बचाना

(श्री बरकतुल्ला खां)

चाहते थे, बचने के अलावा मुकद्दमों में फंस जायेंगे, कुछ मुकद्दमों में फंस चुके हैं, और लड़के मुकद्दमों में फंसने के बाद पढ़ाई करेंगे या अदलतों में जाकर खड़े होंगे। इस पर सरकार ने बड़े रंज और गम के साथ यह फैसला किया, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ में यह फैसला किया कि टिल फर्दर ऑर्डर्स इन्डेफिनिट पीरियड के लिए सरदार पटेल मेडीकल कॉलेज, बीकानेर को बन्द कर दिया जाय। इन हालात को देखते हुए सरकार के पास कोई चारा नहीं था।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि सरकार ने बड़े रंज और गम के साथ बीकानेर के मेडीकल कालेज को टिल फर्दर ऑर्डर्स बन्द करने का निर्णय लिया है। इन सारे झगड़ों में वहां दो ग्रुप्स बन गये, इस फैक्ट से कोई इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ३० दिसम्बर के पहले जब कि कॉलेज खुला था उसके बाद में सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाये कि जिससे वहां पर जो दो ग्रुप्स बन गये थे उन विद्यार्थियों में ग्रुपिज़्म की भावना समाप्त हो जाती और आपस में ब्रदर्ली फीलिंग पैदा होते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने बीकानेर के सरदार पटेल मेडीकल कॉलेज में जो प्रिन्सीपल भेजने का निर्णय नहीं किया, जब आपने प्रिन्सीपल मेहता के खिलाफ जो रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि डॉक्टर मेहता पर जितने भी चार्जेज़ हैं उनसे उनको एक्सटर्मिनेट (एग्ज़ोनरेट) किया जाता है और उन पर कोई चार्ज नहीं है, और जब आपने यह माना और केबिनेट ने यह फैसला कर लिया कि उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद में आपको यह चाहिए था, सरकार को यह चाहिये था कि आप वहां पर जो प्रिन्सिपल की पोस्ट थी वेकेन्ट, उसको फिल-अप करते। आपने पोस्ट फिल-अप नहीं की और हड़ताली और गैर-हड़ताली बराबर, माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी के पास में आते रहे और यह कुछ कहते रहे कि डॉक्टर मेहता को भेज दो और दूसरे कहते रहे कि डाक्टर मेहता को मत भेजो। मैं भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला था और मैंने निवेदन किया था कि डॉक्टर मेहता, चाहे वे अच्छे होंगे लेकिन बीकानेर मेडीकल कॉलेज में उनके रहते हुए शान्ति नहीं रह सकती, और जब विद्यार्थी उनके यहां जयपुर में रहते हुए, बीकानेर से २५० मील दूर रहते हुए भी ग्रुप्स में इस तरह से बुरी तरह से बंट गये और आपस में एक-दूसरे के उन्होंने सिर तोड़ दिये रॉयट हुआ जिसमें ८ विद्यार्थी पहले रॉयट के अन्दर हॉस्पिटल के अन्दर भर्ती हुए और तीन बजे रात को दूसरा रेड हुआ, उसमें आठ-नौ आदमी घायल हुए और हॉस्पिटल में दाखिल हुए। जो पहला रेड हुआ उसमें विद्यार्थी जख्मी हुए, तो सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया। ऐसे समय में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते जो दोनों पक्षों में समझौता करा सकता तो विद्यार्थियों में यह भावना समाप्त हो जाती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जो एमर्जेन्सी हमारे देश में है, दो दुश्मन–चीन और पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर गड़बड़ी कर रहे हैं.........

(१०.०० म० पू०)

Page No.62

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : डिबेट नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म में कह दें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उन फौजियों को मेडीकल व्यवस्था के लिए डॉक्टरों की जरूरत है । ऐसी परिस्थिति में सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिए ताकि मेडीकल कॉलेज पुनः जल्दी से जल्दी खुल सके । सरकार इस........

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म में जो जानकारी करना चाहें उसके लिए कह दें । इसमें डिबेट तो नहीं हो सकती ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिर्फ जानकारी का प्रश्न नहीं है । जानकारी हमें बहुत है........ ...

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स के मातहत इस पर डिबेट नहीं हो सकती, इस प्रश्न पर रूल्स के मातहत डिबेट नहीं हो सकती ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि अब राज्य सरकार बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में किन प्रिन्सिपल साहब को भेजना चाहती है ? साथ ही जो वहां स्थिति एब्नोर्मल हो गई उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है, यह मैं पूछना चाहता हूँ ? मैं समझता हूँ कि जब तक आप इसका फैसला नहीं करेंगे तब तक बीकानेर मैडीकल कॉलेज की नोर्मल स्थिति नहीं हो सकती । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्यों कि करोड़ों रुपया लगाया है । उसके लिए राज्य सरकार ने किन परिस्थितियों में बन्द करने का फैसला किया ? आप परिस्थिति बतायें, फिर देखेंगे कि जो फैसला आपने लिया है...........

श्री मथुरादास माथुर : फिर डिस्कशन में जा रहे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कब तक आप वहां प्रिन्सिपल को भेज रहे हैं और किसको भेज रहे हैं, इस सारी स्थिति को नोर्मेलाइज़ करने के लिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : २०, २२ नवम्बर को एक आदेश दिया...........

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्नों पर माननीय मंत्री कुछ कह देते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूँ कि सारी बातें रख दी जायं और फिर सब पर जवाब दे दिया जाय ।

मैं निवेदन कर रहा था कि नवम्बर के महीने में मुख्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उप-स्वास्थ्य मंत्राणी-ये जब बीकानेर गये और मेडीकल कॉलेज में दावत खाई थी तब वहां के लड़कों ने कोई शिकायत की थी क्या ? और अगर शिकायत नहीं की गई थी तो दस दिन के बाद ऐसे क्या डेवलपमेंट हो गये कि एक साल, छः महीने पहले की शिकायतें सामने रखी गई ? जब आप वहां बीकानेर कॉलेज में जाते हैं और वहां पर दावत खाते हैं—चीफ मिनिस्टर, मेडीकल एण्ड हैल्थ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर फोर हैल्थ,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ये तीनों वहां जाते हैं और दावत दी जाती है तब वहां के लड़के इस बात का आपको जिक्र नहीं करते हैं। उस मौके पर लड़के आपसे बात करते हैं और एनुअल फंक्शन होता है, फिर दस दिन में क्या डवलपमेंट हो गये आपकी विज़ीट के बाद कि दिसम्बर के महीने में लड़कों ने आपको मेमोरेन्डम सब्मिट किया और वहां के प्रिन्सिपल पर एलोगेशन्स लगाये। उस वक्त अगर नहीं लगाये तो क्या आपने उनको कहा कि आपने प्रिन्सिपल के खिलाफ शिकायत बीकानेर में आपकी विज़ीट और इस मेमोरेन्डम के बीच के समय में नैरेट नहीं की और इस बीच के पीरियड के बाद करते हैं तो उसके क्या कारण हैं ? और अगर जब आप गये थे उस समय उन्होंने ऐसा संकेत किया था तो आपने क्या कार्यवाही की थी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री ने दिया है उसमें इस बात को नहीं बताया कि जिस समय पहली लड़ाई हुई थी सवेरे ८ बजे और उसके बाद वार्डन के नोटिस में वह मामला आ गया था और शाम को ८ बजे फिर लड़ाई हो गई, जिसमें आठ लड़के जख्मी हो गये और उनको अस्पताल में भर्ती कर लिया, तो उस समय आॅथोरिटीज़ की तरह से और उस समय जो पुलिस आई उनकी तरफ से क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिये गये कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। आपने माना है कि पहले से दो दल वहां बने हुए थे जिनमें टेन्शन बराबर जारी था। तो इतना झगड़ा होने के बाद और जैसा कि आपने बताया बाद में इतने हथियार वगैरह बरामद हुए और स्थिति साफ जाहिर हो गई थी तो क्या एक्शन अधिकारियों ने या पुलिस ने लिया ? इस बात को मंत्री महोदय ने नहीं कहा है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सारी बातों से स्पष्ट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि १८, २१ दिसम्बर को कॉलेज की स्ट्राइक खत्म होती है और इन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर होता है। उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट भी दे दी उस रिपोर्ट में तमाम इल्ज़ामों से उनको एग्ज़ोनरेट कर दिया। सिर्फ इस बात को मंत्री महोदय ने, माना है कि उनका बर्ताव सख्ती का था। उनका बर्ताव ज्यादा तेज था। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है, तो यह जो सारी स्थिति बन रही है, दो ग्रुप बन रहे हैं, उनका लिक्विडेशन नहीं हुआ, लड़के स्टडीज़ में नहीं लग सके—इस सबका मुख्य कारण इस बात से साफ जाहिर होता है कि सरकार दो बातों पर निर्णय नहीं ले सकी है, जो इमीजियेटली लेना चाहिए। इन तमाम इल्जामों से एग्ज़ोनरेट करने के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया। मेजोरिटी ऑफ लड़के उनको नहीं चाहते और उनके व्यवहार के प्रति उनमें असंतोष है.........

श्री मथुरादास माथुर : There should be no debate.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको न भेजा जाकर............

श्री उपाध्यक्ष : It should be very brief, please.

Page No.64

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय......

अनेक माननीय सदस्य : हमने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर तो हाउस की कार्यवाही स्थगित की जाकर बहस होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : I am allowing it to be clear. There can be no debate on this. You can only ask for clarification.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं क्लेरीफिकेशन जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि रिपोर्ट आने के बाद भी उस मामले को सस्पेन्शन में रखते हुए केबिनेट के दो मंत्री – मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों अलग अलग ग्रुपों को डारेक्टली या इन्डाइरेक्टली अश्वासन देते रहे जिसकी वजह से वहां ग्रुपिज़्म के लिक्वीडेट होने के बजाय मंत्री-मंडल के मतभेद के कारण वह बढ़ता रहा है............

श्री मथुरादास माथुर : Absolutily wrong.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कहा, वह रोंग नहीं है । मंत्रिमंडल में ग्रुप थे ।

श्री मथुरादास माथुर : Ii is wrong.

श्री उपाध्यक्ष : I will request the hon. Member not to make discussion.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत मुख्तसर कहें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मंत्री महोदय ने निर्णय लिया है कॉलेज क्लोज़ करने का, जिससे लड़कों की एक साल खराब होने की स्थिति पैदा हो गई है और १२ तारीख से प्री-मेडीकल एक्ज़ामिनेशन वगैरह शुरू होने वाले हैं ऐसी स्थिति में सरकार क्या सम्भव मानती है, कि किसी भी दूसरे आदमी को भेजने के बाद स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी और इन लड़कों का एक साल पूरा खराब किया जायगा । इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जानकारी है....

श्री उपाध्यक्ष : Please don't make it a speech.

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी स्थिति नहीं है और लड़कों का एक साल खराब नहीं किया जाना चाहिए । मैं समझता हूँ कि आप किसी आदमी को भेज कर, दूसरे प्रिन्सिपल को भेज कर दोनों पक्षों का कॉन्फीडेन्स कमाण्ड करें । मैं आशा करता हूँ कि सरकार सारी स्थिति को देख कर फिर कॉलेज खोलेगी और सारी समस्या को हल करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री अब जवाब देंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं पूछना चाहता था....

Page No.65

श्री भैरोंसिंह : मैं जानना चाहूंगा कि सरकार हिम्मत महसूस क्यों नहीं करती और ऐसी परिस्थिति में भी कॉलेज बन्द करने की घोषणा करती है तो सरकार इतना अपने को फेल्योर समझती है और उस कॉलेज को शुरू करने की क्षमता नहीं है ? अगर क्षमता है तो फिर सरकार उसको चालू क्यों नहीं करती ? अगर चालू नहीं करती है तो वह बिल्कुल फेल्योर है।

श्री मथुरादास माथुर : स्टेटमेंट देने लग गये।

श्री भैरोंसिंह : मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि स्टूडेन्ट्स ने ३ दिसम्बर से स्ट्राइक की और मंत्री महोदय को प्रिन्सिपल के खिलाफ मेमोरेन्डम दिया। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहता हूँ कि जब मेमोरेन्डम में स्टूडेन्ट्स ने स्ट्राइक द्वारा इन्क्वायरी करने की मांग की थी तो उस मेमोरेन्डम के अनुसार इन्क्वायरी ऑफिसर उस समय क्यों मुकर्रर नहीं किया जिसके कारण स्टूडेन्ट्स को स्ट्राइक करनी पड़ी और सरकार को मजबूर होकर १३ दिसम्बर को इन्क्वायरी करने का ऑर्डर देना पड़ा ?

दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि मधोक साहब इन्क्वायरी के लिए अपॉइन्ट किये गये दिसम्बर में और उन्होंने इन्क्वायरी करके गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सब्मिट कर दी। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट के ऊपर जो कुछ भी डिसीज़न लिया, मेहता साहब के पक्ष में या विपक्ष में, उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जिसके कारण स्टूडेन्ट्स के दिमाग में भ्रम बना रहा कि मेहता साहब अपोइन्ट होंगे या नहीं; या ओझा साहब अपोइन्ट होंगे या नहीं ? कौनसा प्रिन्सिपल आयेगा ? इस गवर्नमेंट डिसीज़न की जानकारी लड़कों को होनी चाहिए लेकिन इसे लेकर स्टूडेन्ट्स में झगड़ा चलता रहा। इसके बावजूद भी सरकार महसूस नहीं करती है और जो उसने डिसीज़न लिया उसको इम्प्लीमेंट करने में देरी करती है जिसके कारण स्टूडेन्ट्स में यह स्थिति पैदा हुई ?

तीसरा प्रश्न यह है कि ८ बजे लड़कों में झगड़ा हुआ, पुलिस पहुंची। मेरी जानकारी के अनुसार वार्डन ने कह दिया कि कोई झगड़ा नहीं था, स्टूडेन्ट्स में तनाव था। जब एक बार पुलिस आई तो उसने एन्टीसिपेट क्यों नहीं किया ? जब कि उसे यह जानकारी मिल गई कि लाठी है, पाइप पड़े हैं और लोगों के पास तलवारें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : That will do.

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन और।

श्री उपाध्यक्ष: No questions. That's all.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : केवल एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में ही कहें।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेंट ने यह डिसीज़न ले लिया है कि डॉ० मेहता को वहां से हटा कर उसके स्थान पर ओझा को किया जावे और क्या सरकार इस प्रकार की हिम्मत कर सकती है ? क्या सरकार की यह हिम्मत है ?

श्री रामकिशन : मेरा एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : It has been dealt with now.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यों तो इसका स्पष्टीकरण करेंगे लेकिन एक दो बातें मेरे सम्बन्ध में भी आई हैं उनके लिये मैं कुछ निवेदन करूंगा। मुझे तारीख तो याद नहीं और न मैं तारीखों में पड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि जब उनका एनुअल फंक्शन वहां पर था तो उस अवसर पर मैं वहां पर गया हुआ था और वहां पर दो तीन बार अलग-अलग फंक्शन में अलग-अलग लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला, लेकिन वहां पर किसी ने भी मेरे सामने किसी प्रकार की शिकायत या कोई मेमोरेन्डम पेश नहीं किया। इसलिये जब वहां से डेप्यूटेशन डॉ० मेहता के खिलाफ मेरे पास आया तो मैंने कहा कि दो-तीन रोज पहले मैं आपके यहां पर ही था, आपने मुझे वहां पर मेमोरेन्डम नहीं दिया और आज अचानक इस प्रकार की बात आप कहते हैं यह अचानक इस प्रकार की परिस्थिति क्यों पैदा हुई ? उपाध्यक्षजी, मेरे पास पहला डेप्यूटेशन मिलने के लिये आया उस वक्त भी मैंने यही कहा कि इस सम्बन्ध में जो भी एलीगेशन्स हैं उनकी गवर्नमेंट को तरफ से जांच की जावेगी। जब कभी भी डेलिगेशन आया हमने यही उत्तर दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से निष्पक्ष जांच की जावेगी।

आम तौर से स्टूडेन्ट थे उनकी यह मांग थी कि हम यही मांग करते हैं कि सबसे पहले डॉ० मेहता को वहां से हटाया जावे और उनका ट्रान्सफर कर दिया जावे। उनके ट्रान्सफर होने से पहले हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में जयपुर व बीकानेर मेडिकल कॉलेज के छात्रों का मिला-जुला डेप्युटेशन आया। उनको भी हमने यही कहा कि हम ऑफीसर को नियुक्त करके जांच करावेंगे और जो कुछ करना होगा करेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं और यही इम्पोर्टेन्ट फैक्टर हमारे दिल में रहा है कि स्टूडेन्ट्स पीसफुली पढ़ते रहें। इसके बाद मथोक को इन्क्वायरी के लिये नियुक्त किया गया और उसके बाद पीसफुली काम शुरू हुआ। अब प्रश्न यह है कि इन्क्वायरी के बाद तुरन्त हमने मेहता को वहां से क्यों नहीं हटाया ? इसके लिये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि डॉ० ओझा को प्रोवीज़नली वहां प्रिन्सिपल डॉ० मेहता के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कौनसी तारीख से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी दो तीन दिन पहले से यह हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अभी तो वे यहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जोइनिंग में उनको वक्त लग सकता है, मगर उनके बारे में फैसला किया जा चुका है।

एक दूसरी बात यह है कि इसका फैसला लेने से पहले यहां जयपुर में जो मेडिकल कॉलेज के सीनियर ऑफीसर्स हैं उनसे भी बात चीत की गई कि आया उनमें से कोई जाने को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तैयार हो। उनके सामने बहुत सी डिफिकल्टीज़ थीं और दूसरी भी कई बातें सामने आईं तो यह सारी जानकारी के बादे डॉ० ओझा को वहां पर लगाया गया। इसलिये यह कहना की जानबूझ कर यह कन्फ्यूज़न बढ़ाया गया, यह ऐसी बात नहीं है। डिफिकल्टीज़ दोनों तरफ की आती थीं और दोनों तरफ की डिफिकल्टीज़ की जानकारी करके और सारी कन्डीशन्स को देखते हुए गवर्नमेंट फैसला करेगी। हम चाहते हैं कि स्टूडेन्ट्स में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं हो और वे मिल-जुल कर चलें और पीसफुली पढ़ते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, यही इम्पोर्टेन्ट फैक्टर हमारे दिल में रहा है और हमारी यही इच्छा रही है कि स्टूडेन्ट्स की पढ़ाई पीसफुली होती रहे और उनके रास्ते में कम से कम रुकावटें पैदा हों। ये ही फैक्टर्स सबसे ज्यादा काम करते रहें कि पीसफुली वहां पर काम होता रहे और लड़के पढ़ते रहें। हमने शुरू से लेकर आखिर तक यही कोशिश की कि सिचुएशन किसी तरह से डिटीरियोरेट न हो और इसके लिये हम शुरू से आखिर तक यही कोशिश करते रहे।

पुलिस के उपयोग के सम्बन्ध में, मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट होस्टल में जहां तक हो सके हम यही चाहते हैं कि पुलिस न आये। आपस में डिस्प्यूट होते हैं वे आपस में ही निपटा लिये जावें। पुलिस की जरूरत जब आती है जब कि लॉ एन्ड आर्डर बिगड़ता हो। जब तक ऐसा नहीं होता हो हम यही चाहते हैं कि वहां के टीचर्स और प्रोफेसर्स के जरिये आपस में मिल-जुल कर जो मामले तय हो सकते हों, तय किये जाएं और इसमें भी हम यही चाहेंगे कि प्रोफेसर्स और टीचर्स मिल कर और एक दूसरे को आपस में समझायश करके सारा मामला निपटाया जाय। हमने डॉ० काटजू को वहां ऑफिशियेटिंग प्रिन्सिपल बनाया, वे किसी ग्रुप के नहीं थे। हमने डॉ० मेहता और बनर्जी दोनों को वहां की सेवाओं से मुक्त करके भी सिचुएशन को ठीक करने के लिये मौका दिया, मगर फिर भी परिस्थितियें ऐसी हो गईं कि जिसके कारण हमको कॉलेज को बन्द करना पड़ा। हमने इसलिये बन्द किया, जो हालत थी उससे भी ज्यादा हालत डिटीरियोरेट हो सकती थी। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में एज्युकेशनल इन्सटीट्यूशन अपने ढंग के हैं इसलिये हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये कि शांतिपूर्वक सारा मामला हल हो और ऐसा न हो की हमारे यहां की बहस से कोई प्रोवोकेशन पैदा न हो जाय, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। मैं समझता हूं कि डॉ० ओझा के अपॉइन्टमेंट के बाद में सिचुएशन को ठीक करने के लिये हर सदस्य कोशिश करेंगे। हम किसी को विक्टेमाइज़ करना नहीं चाहते।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर पहले से ही अमल किया जाता और यह बात जनता के सामने पहले ही आ जाती कि दो-तीन दिन में ही डॉ० ओझा को उनके स्थान पर नियुक्त किया जाने वाला है तो इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई। १० जनवरी को इस पर विचार किया गया और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस मामले को केबिनेट में रखा व केबिनेट ने फैसला किया कि कोई टेक्निकल टीचिंग लाइन का आदमी जाने को तैयार हो, उन्हें वहां भेजा जाय जो वहां की सिचुएशन को ठीक तरह से संभाल सके। यह सारी चीज बीकानेर मैडिकल कॉलेज को ठीक तरह से चलाने की मंशा से की गई थी। गवर्नमेंट की कोई मंशा नहीं थी कि कोई झगड़ा हो और समय लगे। मगर इन सारी चीजों को करने में वक्त लगा और वक्त लगता ही है। इस बीच में हमने जिस व्यक्ति को वहां पर ऑफीशियेटिंग प्रिंसीपल बनाया था वह किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता था, और ऐसे ही व्यक्ति को वहां पर लगाया जा सकता था जो किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता हो।

श्री भैरोंसिंह : अगर डॉक्टर ओझा की नियुक्ति पहले ही हो जाती और मेहता वहां से चले जाते तो यह झगड़ा कभी नहीं होता व सिचुएशन नहीं बिगड़ती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां पर जो आपस में फीलिंग पैदा हो गये हैं उनको ठीक करने में समय लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : I will draw the attention of Hon'ble Members,

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान Rule 131 (2) of our Rules of Procedure की ओर आकर्षित करूंगा :—

"(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made."

आपने स्पष्टीकरण कर दिया है, और भी आवश्यकता हो तो विधि-विधान के अनुसार कार्य हो सकता है।

(दो तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : I shall allow only one question.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने डॉक्टर मेहता और बेनर्जी को सेवाओं से हटाया उसी तरह से वहां दोनों ग्रुपों से संबन्धित और भी ट्यूटर्स हैं, क्या गवर्नमेंट यह मुनासिब नहीं समझती कि उनको भी वहां से हटाया जावे और लड़कों को भी इस बात का डर है उस ग्रुप और दूसरे ग्रुप में भी ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन्स हैं उनका ट्रान्सफर दूसरी जगह कर दिया जावे और उनको एग्ज़ामिनर्स न रखा जावे। एग्ज़ामिनर्स भी दूसरी कॉलेज के हों, जिससे उनके बारे में लड़कों को संतोष हो सके जिससे कि उनका विक्टीमाइज़ेशन नहीं हो सकेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डाक्टर ओझा वहां जा रहे हैं, वे इस सारी चीज को स्टडी करने के बाद एडवाइज़ करेंगे वैसा गवर्नमेंट करेगी। एग्ज़ामिनेशन्स यूनिवर्सिटी लेती है इसलिये एग्ज़ामिनर्स को चैंज करने वाला फैसला तो हम नहीं कर सकते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मधोक कमेटी ने फैसला किया है कि प्रोफेसर बनर्जी ने स्टूडेन्ट्स को इन्साइट किया है तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishads (Amendment) Bill.

श्री भैरोंसिंह : Point of order, Sir,...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : Can there be a point of order when the Chair is on its legs, Sir ?

श्री भैरोंसिंह : You have resumed your seat, Sir.

मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि मधोक एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का रेफरेंस सदन में इस बहस के दौरान दिया गया है और वह रिपोर्ट सदन को जानकारी देने का बेसिस रही है तो जिस रिपोर्ट के बेसिस पर सदन में डिस्कशन्स होते हैं, जो रिपोर्ट इस बहस का आधार रही है तो सदन का यह प्रिविलेज हो जाता है कि उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय। इसलिये मैं चेअर से यह चाहूंगा कि मधोक एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का गवर्नमेंट को आदेश दे।

आप तो गवर्नमेंट को आज्ञा दे दीजिये कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रखे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की एन्क्वायरीज़ होती हैं। इन एन्क्वायरीज़ की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की परम्परा रखी जाय तो वह उचित नहीं होगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना उचित नहीं होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of information, Sir, ..

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any point of information on this subject.

(१०.२३ म० पू०)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६४

(संकल्प की प्रस्तुति, विधेयक पर विचार-विमर्श एवं उसका पारण)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद (अमेंडमेंट) बिल १९६४ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

इससे पहले मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कार्यवाही काफी है और समय कम है इसलिये जो रिज़ोल्यूशन माननीय सदस्य यहां रख रहे हैं वे १५ मिनट बोलने की कृपा करेंगे। इसके बाद यदि ऐसा अवसर आया तो, अमेंडमेंट मूव करने वाले माननीय सदस्य दस-दस मिनिट बोल कर कार्यवाही को जल्दी पूरा करने में मदद करें। आशा यही है कि अधिक से अधिक १२॥ बजे तक अमेंडमेंट हो जायं ताकि क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन हो सके

(श्री उपाध्यक्ष)

और सदन का समय न बढ़ाना पड़े और माननीय सदस्यों को भोजन आदि की कठिनाई न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : [संकल्प इस प्रकार है : "यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ एवं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६३ को अस्वीकृत करता है"।]

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद (अमेंडमेंट) अध्यादेश (नं० ४) १९६३ और ऑर्डिनेन्स नं० ५, १९६३ इन दोनों के सम्बन्ध में मैंने दो संकल्प प्रस्तुत किये हैं, और इन दोनों संकल्पों के जरिये इन दोनों संकल्पों को निरस्त किये जाने के बारे में मैंने प्रस्ताव रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इन अध्यादेशों को निरस्त करने के सम्बन्ध में जिस समय मैंने कल एक संकल्प इस तरह का प्रस्तुत किया था तो मैंने सदन के समक्ष रखा था कि राजस्थान सरकार आर्टीकल २१३ के अन्तर्गत किस प्रकार हल्के तरीके से और गैरजिम्मेदाराना तरीकों से अपने पॉवर्स का उपयोग करती है। इन अध्यादेश, विशेष करके अध्यादेश संख्या ४ के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यादेश संख्या ४ सदन के सामने है। १९ दिसम्बर, १९६३ को जारी किया गया। इसमें कोई बड़ी भारी बात हो, ऐसी बात नहीं है। केवल एक धारा के लिये अध्यादेश जारी किया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (साचोर) : दो धाराएं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक धारा में तो अध्यादेश का नाम होता है। असली धारा तो एक ही है। तो केवल एक धारा के लिये अध्यादेश जारी किया गया है। सदन विचार करे कि क्या इस एक धारा के लिये अध्यादेश जारी करना जरूरी था। इस एक धारा में जो व्यवस्था की गई है उसके लिये राज्य सरकार क्या दो महीने का इन्तजार नहीं कर सकती थी ? ऐसी कौनसी आवश्यकता, ऐसी कौनसी संकटपूर्ण परिस्थिति आ गई थी कि एक धारा के लिए सरकार को अध्यादेश जारी करना पड़ा ? ऐसा कौनसा यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर को हटाने का मामला था, ऐसा कौनसा हाई कोर्ट द्वारा इनूवेलिडेट करार दिये गये मसले को वेलिडेट करने का प्रश्न था जो अध्यादेश जारी किया गया ?

पंचायतों के सरपंच के बारे में जो व्यवस्था है वही पंचायत समिति और जिला परिषद् के बारे में रखी है। इनको हटाया जा सकता है। किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, इस सम्बन्ध में सब प्रावधान १९५९ में पारित किये गये कानून में हैं। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों को हटाने के बारे में उसके अनुसार फैसले होते रहे हैं, उसके लिये इस अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी ? वह भी एक क्लॉज़ और उसमें भी केवल तीन शब्द बढ़ाना चाहते हैं ? "any disgraceful conduct" इस पर भी हटाया जा सकता है। एनी डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट इस पर भी हटाया जा सकता है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो चार कारण धारा में दिये हैं तो इस पांचवें कारण को दो महीने बाद नहीं जोड़ सकते थे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : टाइम के एक्सटेन्शन का भी सवाल था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पढ़ कर आया कीजिये। वह अध्यादेश नं० ५ की बात है और मैं इस समय अध्यादेश संख्या ४ की बात कह रहा हूं। अध्यादेश संख्या ५ का जस्टिफिकेशन मैं मान सकता हूं, चुनावों को आगे सरकाने का सारे राजस्थान का सवाल था पर इन तीन शब्दों के लिये अध्यादेश जारी करना जोकि दो महीने बाद सदन की बैठक होने पर जोड़े जा सकते थे, इस छोटी सी बात के लिये अध्यादेश निकालें, तो यह सरकार के लिये कलंक की बात है और सदन के माननीय सदस्यों के लिये भी सोचने की बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir,...

ट्रेज़री बैंचेज़ पर रामानन्दजी अग्रवाल बैठे हैं, तो क्या वे भी इसमें आ गये हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He has crossed the floor, सदन में इन कन्वेन्शन्स का तो खयाल रखना चाहिये। आप तो वैसे कन्वेन्शन्स तोड़ने में ही रहते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : माथुर साहब तुड़वाते रहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : हमारी तो ख्वाहिश है कि आप सब इधर आ जावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबंध में जो विधेयक पेश किया गया है उसमें सरकार ने कारण रखे हैं कि किन कारणों से यह विधेयक ला रहे हैं, उस आधार पर भी सदन विचार करे :

"The Rajasthan Panchayat Act, 1953 provides for the removal of a panch or sarpanch, if he is found to have been guilty of any disgraceful conduct. That Act also provides for the power to extend the term of a panchayat by a period not exceeding one year in the aggregate. There is no similar provision contained in the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 for removal of a Pradhan, Up-Pradhan or member of a Panchayat Samiti on the ground aforesaid or for extension of the term of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad."

कौनसा डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट ? इसके बारे में पंचायत समिति और जिला परिषद् के कानून में यह व्यवस्था नहीं है जो कि पंचायत एक्ट, १९५३ में है और इसलिए ऐसी व्यवस्था इस पंचायत समिति और जिला परिषद् कानून में होनी चाहिए कि उनको इस आधार पर हटाया जायगा प्रधानों, उपप्रधानों को। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि १९ दिसम्बर, १९६३ से लेकर आज तक आपने डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट के आधार पर राजस्थान के कितने उपप्रधानों और प्रधानों को हटाया है, और हटाने की नौबत आई ? उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद नहीं आई। सवाल यह उठता है कि राजस्थान मंत्रि मंडल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में जो हेरफेर हुआ, विभागों में जो अदला-बदली हुई तो जो विभाग पंचायत का था वह नए उपमंत्री और मंत्री महोदय के पास आया। उसके बाद ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार ने कुछ पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रधानों और उप-प्रधानों को डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट के आधार पर उनको रिमूव करने की दृष्टि से उनको सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद जब अदालत में मामले गए तो सरकार के सामने आपत्ति आई और लॉ डिपार्टमेंट ने शायद कहा होगा कि आप यह रिमूवल या सस्पेंशन नहीं कर सकते क्योंकि डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट के आधार पर आप नहीं हटा सकते। तो फिर सरकार ने सोचा कि क्या किया जाय ? यही सोचा कि ऑर्डिनेन्स निकाला जाय। उसमें उसको वेलिडेट नहीं किया है। मैं सरकार की होशियारी कहूं, चालाकी कहूं या सरकार की बेईमानी कहूं कि इस सदन को सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में नहीं बताया कि १९ दिसम्बर, १९६३ से पहले हमने पंचायत समितियों के प्रधानों और उप-प्रधानों को बिना कानून के सस्पेन्ड किया या रिमूव किया। अगर आपने नहीं किया तो श्रीमान् तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर आपने यह क्यों लिखा है :

"these words shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted."

यह इन्सर्ट किया हुआ माना जायगा, ये शब्द जोड़े जायं और शुरू से जोड़े हुए माने जायेंगे। भीखाभाईजी आप जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। आखिर मुख्य मंत्रीजी ने यह पंचायत विभाग क्यों आपको सौंपा ? राजस्थान में लोकतंत्र के विकास की जो मूल-भूत इकाई है, राजस्थान लोकतंत्र भवन की जो नींव है, उसका काम आपको सौंपा है और बड़े अफसोस की बात है कि वह शायद इसलिए सौंपा होगा कि पंचायतों में जितने गड़-बड़ घोटाले कराए जायं, उनके लिए सबसे उपयुक्त आदमी आप हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आप उनके हाथ का हथियार क्यों बनते हैं ? यह अदला बदली कैसे होती है ? यह विभाग पहले श्री नाथूरामजी मिर्धा के पास था। मालपुरा के पास एक पंचायत है। वहां का जो सरपंच था उसको उस समय सरकार ने सस्पेंड किया और उसके ऊपर चार्ज लगाया, उसके बाद दफा १७ के अधीन उस पर जांच हुई। पूरी एन्क्वायरी के बाद श्रीमान नाथूरामजी मिर्धा ने उनको एग्ज़ोनरेट कर दिया। उसके बाद विभाग बदलकर दूसरी जगह गया। फिर पोलटिकल प्रेशर आया। फिर उन्हीं चार्जेज़ के आधार पर पंचायतों के डिप्टी मिनिस्टर, जो यहां सदन में मौजूद नहीं हैं, श्री भवानीशंकर नन्दवाना, उनके आदेशों से उस सरपंच को सस्पेंड किया। उसने सारी बात कुछ एम.एल.एज़. को बताई कि सरकार में इस तरह से विभाग बदलते हैं और हमारे साथ अन्याय हो जाता है। यह बात गवर्नमेंट होस्टल की है, मैं भी था, श्री भैरोंसिंह भी थे, और भी कई माननीय सदस्य वहां थे। मैंने कहा ऐसा व्यवहार तो सरकार का नहीं होना चाहिए। आपको सुनकर ताजुब होगा कि सरकार ने उनके खिलाफ उन्हीं चार्जेज़ पर जब सस्पेंड किया और एन्क्वायरी की तो उस आदमी ने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन की और रिट पिटीशन पेश करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि राजस्थान सरकार को उस सरपंच के खिलाफ जिसको उन्हीं चार्जेज़ के आधार पर एक बार एग्ज़ोनेरेट कर दिया, दुबारा सस्पेंड करके, रिमूव करके एन्क्वायरी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप उन सारे अधिकारों का इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। कहते हैं डिसग्रेसफुल कन्डक्ट, कहते हैं मिसकंडक्ट, तुम्हारे पर ये चार्जेज़ हैं, तुमने यह गलत काम किया है। इस प्रकार से जो विरोधी पक्ष के लोग हैं और सत्तारूढ़ दल में भी जो विरोधी गुट है उसमें भी ऐसे लोगों के साथ यह विक्टीमाइज़ेशन होता है। उन लोगों के साथ सरकार का रवैया यह रहता है। शायद मंत्री महोदय के पास हाई कोर्ट का यह फैसला न हो, लेकिन मेरे पास इस समय मौजूद है।

मंत्री महोदय सदन के सामने वे तथ्य रखें, उन-प्रधानों और उपप्रधानों के आंकड़े रखें कि किन-किन स्थानों पर और कब-कब आपने सस्पेंड किया, रिमूव किया १९६३ से पहले जिस समय आपने यह आध्यादेश जारी किया।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

आप इस बारे में रिट्रोस्पेक्टिव व्यवस्था करवाना चाहते हैं। लेकिन राज्य सरकार को यह सदन कोई ऐसा अधिकार नहीं दे सकता कि जिन प्रधानों और उप-प्रधानों को जनता ने चुनकर भेजा है उनको इस तरह से हटाया जाय या निलंबित किया जाय। इन सारी बातों पर सदन के माननीय सदस्य विचार करें कि जैसे हम चुनकर आए हैं और हमको कोई गलत तरीके से हटाए और उसके बाद प्रेसीडेन्ट आॅफ इंडिया से उसको वैलिडेट करवाया जाय, तो हम निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्या परिस्थिति होगी? छोटी लेवल पर से लोग हमारे भाई हैं। लोकतंत्र की जो मूल इकाई है उनके जिम्मे हमने वह काम सौंपा है और राज्य सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों पर इस प्रकार कुठाराघात करना चाहती है। बिना कानून के उनको हटा दिया जाय, उनको रिमूव किया जाय, सस्पेंड किया जाय, यह सब पार्टीबाजी की वजह से होता है और अब सरकार क्या चाहती है? चाहती है कि सदन उस पर मुहर लगाए। सदन उनको यह अधिकार दे सकता है कि डिसग्रेसफुल कन्डक्ट के आधार पर हटाने के बारे में व्यवस्था जोड़ी जाय, लेकिन इसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं बनाया जाय। जिन प्रधानों और उप-प्रधानों को सरकार ने बिना कानून के निलंबित किया या हटाया उनके आंकड़े सरकार पेश करे, और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में जो रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन की बात है उसको हटाया जाय और उसी दृष्टि से मैंने इस संकल्प को रखा है।

अगर सरकार इस बात को स्वीकार कर ले कि रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं होगा, इस ऑर्डिनेंस का केवल प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा और वह उन शब्दों को डिलीट करे तो मैं विरोध होने के बावजूद भी अपना संकल्प वापस ले लूंगा।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री सतीशचन्द्रजी

(श्री भीखाभाई)

ने बड़ी वक्तृत्व कला के साथ, बड़े नाटकीय ढंग से अपना संकल्प प्रस्तुत किया........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, I take a serious objection to this language.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपने 'खोटा' कह दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'खोटा' कह दिया तो वे कहें तो। नाटक में तो छोटे-मोटे, काले-कलूटे सब तरह के आदमी लाये जाते हैं, मेरे ढंग का आदमी थोड़े लाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले विधेयक को विचारार्थ ले लिया जाय।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अब आप प्रकाश डालना चाहें तो डालियेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एक साथ ही डाल दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑर्डिनेन्स के बारे में यह मूव करते समय ही प्रकाश डालें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एक ही जवाब में आ जायेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप खाली वकालत कर रहे हैं। ऑर्डिनेन्स इश्यू किया, इसके बारे में परिस्थितियों की जानकारी तो हो जाय कि किस कारण से यह इश्यू किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : I think you must give some reasons.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने संकल्प रखा उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि सरकार को इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। दो महीने के लिए उन्होंने इन शब्दों को क्यों जोड़ा, यह बात उन्होंने उठाई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि समय को देखते हुए ब्रीफ में कहें।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था। आपकी आज्ञा हुई तो बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे मैं तो छोटा आदमी हूं, छोटे ढंग से बोलता हूँ, खोटा बोलता हूँ और जरूरत होती है तो बोलता हूं। मैंने इसमें छोटा सा अमेन्डमेन्ट ही कराया है :—

'Or of any disgraceful conduct.'

यह कोई नयी बात इसमें नहीं जोड़ी है। इन चीजों की आवश्यकता पड़ गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऑर्डिनेन्स निकाला तो आवश्यकता क्यों हुई, इस पर बतायें आप।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री भीखाभाई : उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? राज्य सरकार के सामने कुछ ऐसे मामले प्रस्तुत हुए जहां ऑफिशियल कन्डक्ट, ऑफिशियल फन्क्शनिंग, ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ में कोई सदस्य, सरपंच, प्रधान काम करता था तो उसमें दंडित करने की व्यवस्था है, लेकिन कोई ऐसा सदस्य जो निजी तरीके पर, इन्डिविजुअल केपिसिटी में, अगर इस प्रकार का कोई अपमानजनक दुराचरण करता है और ऐसे मामले सामने आने पर उस समय तात्कालिक आवश्यकता प्रतीत हुई कि इस प्रकार का इस एक्ट में संशोधन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह उचित नहीं होगा कि मैं उन मामलों की विगत में जाऊं। राज्य सरकार के सामने कुछ ऐसे मामले आये जिनमें कुछ व्यक्ति-पंच, सरपंच, प्रधान इन्वोल्व्ड थे। चूंकि इस प्रकार के कन्डक्ट को रोकने के लिए और चूंकि कानून में यह लेकुना रह गया था इसलिए इन शब्दों को 'or of any disgraceful conduct'; यहां जोड़ना जरूरी हो गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा कौनसा मामला है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार के मामले हैं, उनके लिए निवेदन करूं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बतायें कि डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट के ऐसे कौनसे मामले आये हैं जिस कारण ऑर्डिनेन्स इश्यू करना पड़ा ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आर्बिट्रेरी ऑर्डिनेन्स निकाल दिया।

श्री भीखाभाई : यह कोई आर्बिट्रेरी नहीं किया गया है। विधेयक में व्यवस्था है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कौनसी घटनाएं थीं, कौनसी ऐसी कार्यवाही थी जिस कारण से यह ऑर्डिनेन्स इश्यू करना पड़ा, यह बतायें ?

श्री भीखाभाई : विगत की बात थोड़े बता सकता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको बताना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, उन मामलों को आपको बताना पड़ेगा।

श्री भीखाभाई : आपके खिलाफ कोई मामला आये और मैं आपका नाम यहां लेऊं तो क्या उचित होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल लीजिये; कार्यवाही किस किस्म की थी यह तो बताइये।

श्री भीखाभाई : निजी तरीके पर कोई आदमी चोरी करे, छिनाली करे, ४२० करे उस तरीके के मामले हैं। ऑफिशियल केपेसिटी में करे तो सजा दी जा सकती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उसके लिए तो ऑर्डिनरी कानून मौजूद है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे क्या कह रहे हैं पास में, जरा उनको सुन लीजिये।

श्री भीखाभाई : राजस्थान पंचायत एक्ट में यह मौजूद है, म्युनिसिपल एक्ट में भी मौजूद है। इसमें यह लीगल लेकुना रह गया था। मामला तात्कालिक था और इसमें उसको करने की आवश्यकता हुई इसलिए ऑर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता महसूस हुई।

माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता नहीं थी। अगर नहीं होती तो हरगिज भी सरकार ऑर्डिनेन्स इश्यू नहीं करती। तात्कालिक आवश्यकता थी, उसको मीट करने के लिए यह किया गया।

दूसरे के लिए माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान अधिनियम में प्रावधान है। उसके लिए उन्होंने एतराज नहीं किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कॉम्प्लीमेन्ट्स दिये हैं उनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूं कि इस स्पष्टीकरण के पश्चात् माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे दें कि जब से ऑर्डिनेन्स जारी किया है अब तक इस ऑर्डिनेन्स के मातहत किस-किस का चालान किया है? किस-किस के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? कौन से कारण ऐसे थे जिनके कारण यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया? बाकी का भाषण आप करना चाहें तो करें? ऑर्डिनेन्स इश्यू करने के बाद किस किस सरपंच, प्रधान और पंच के खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे, एक्शन लिया? अगर इस ऑर्डिनेन्स को इश्यू नहीं करते तो आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे इसलिए ऑर्डिनेन्स इश्यू किया? लम्बे-लुआब जवाब में आप बता दीजिए।

(श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर)

श्री रामानन्द अग्रवाल : Let the Minister-in-charge say.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : Anybody can say. It is a combined responsibility.

माननीय उपाध्यक्षजी, इस ऑर्डिनेन्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि खास तौर से इसका प्रावधान हमारे पंचायत एक्ट में है। म्युनिसिपल एक्ट में भी है, एक प्रश्न राज्य सरकार के सामने इस प्रकार का पैदा हुआ।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक पर्टीनेन्ट क्वेश्चन पूछता हूं। "है या नहीं" उसमें क्यों सदन का समय लिया जाय? आपको जानकारी हो तो जवाब दे दीजिये....

श्री मथुरादास माथुर : मैं जवाब दे रहा हूं। आप थोड़ी तसल्ली रखें। एक प्रधान के खिलाफ रेप का चार्ज होकर कोर्ट में उसका प्रोसीक्यूशन हुआ। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन हुआ, उसमें गवर्नमेंट सर्वेन्ट भी इन्वोल्व्ड थे। चार-पांच आदमी थे। मुकदमा रजिस्टर होकर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। जिस व्यक्ति के खिलाफ रेप का चार्ज हो उसको मौजूदा पंचायत समिति एन्ड जिला परिषद् एक्ट के मातहत सस्पेन्ड नहीं कर सकते। रेप करना, यह एक डिस्ग्रेसफुल एक्ट है। अदालत में जाते रहे, पेशी पड़ती रही और पंचायत

(श्री मथुरादास माथुर)

समिति के प्रधान भी रहे तो इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य भी इस स्थिति को पसन्द नहीं करेंगे। मुझे इसीलिए मालूम है कि मैं उस समय जब कि होम मिनिस्टर भी था और लॉ मिनिस्टर भी था यह केस ओपिनियन के लिए आया था, लॉ मिनिस्टर की हैसियत से मुझे रेफर किया गया था, जो प्रधान थे वे पंच भी चुन कर आये थे। पंचायत एक्ट में यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति, पंच के खिलाफ इस प्रकार का चार्ज हो उसको पंच के ओहदे से सस्पेन्ड कर दिया जाय। यह सोचा गया कि जब पंच के ओहदे से सस्पेन्ड हो जायगा तो प्रधान नहीं रह सकेगा। उस वक्त तो यह कर दिया। हर वक्त में इस प्रकार की डिफिकल्टी हो तो लॉ डिपार्टमेन्ट ने यह सलाह दी कि इस एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सलाह कब दी ?

श्री मथुरादास माथुर : ऑर्डिनेन्स लाने के पहले दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सितम्बर के आस-पास दी होगी, सैशन के पहले।

श्री मथुरादास माथुर : तारीख मालूम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात साफ हो गई। इस ऑर्डिनेन्स को निकालने से पहले लॉ डिपार्टमेन्ट ने राय दी। तो उस पर्टिक्युलर केस के मामले में पंच को उसके पद से सस्पेन्ड करके किया जा सकता था तो इस ऑर्डिनेन्स को निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसको निकाले बगैर ही काम चल सकता था।

श्री मथुरादास माथुर : आप सुन लीजिये। उसने हाईकोर्ट में रिट की। मैंने जजमेन्ट नहीं पढ़ा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It has been stayed by the High Court.

श्री मथुरादास माथुर : हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया एज़ प्रधान। इस प्रकार की यह डिफिकल्टी हुई और यह ऑर्डिनेन्स निकाला गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, एक प्रधान के खिलाफ मुकदमा था। उसके सस्पेन्शन के ऑर्डर्स कर दिये। उन्होंने रिट फाइल की हाईकोर्ट में। चूंकि 'डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट' के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए हाईकोर्ट ने स्टे कर दी। स्टे हो जाने के बाद प्रोसीक्यूशन नहीं हो सकता था। इसलिए इस लीगल लेकुना को दूर करने के लिए ऐसे मामलों में सस्पेन्शन होना चाहिये, यह आवश्यक समझ कर प्रावधान किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि एक प्रधान के खिलाफ तस्कर व्यापार में शामिल होने का चार्ज लगाया गया और डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट के एक्ट में पावर्स लेने के बाद उसको डिस्ग्रेसफुल एक्ट में न मान कर उस तस्कर व्यापार करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों रेप के केस हैं और तस्कर व्यापार का नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Let the amendments be moved.

श्री भैरोंसिंह : जानकारी इतनी सी बता दें। समय कम खर्च होगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय में तो कोई कमी होगी नहीं, वह तो होगा ही। आप पहले अमेन्डमेन्ट हो जाने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : सारी चीज क्लीयर हो जायगी।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब नहीं देना होगा तो नहीं देंगे।

श्री भैरोंसिंह : माथुर साहब बैठे हैं। जवाब देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह : हाईकोर्ट ने केवल स्टे किया है ऑर्डर को। उनका कभी यह डिसीज़न नहीं कि डिसग्रेसफुल एक्शन पर सस्पेन्शन का प्रोवीज़न नहीं हो, गवर्नमेंट सस्पेन्ड नहीं कर सकती।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जिस केस को रेफर किया है वह केस बहुत पुराना है, आज का कोई नया केस नहीं है। इस केस के आने के बाद कई दिनों के बाद में सस्पेन्ड किया है। इस समय कोई प्रोब्लम ऐसी नहीं आयी जिससे किसी को इमीजियेटली सस्पेन्ड करना हो। हाई कोर्ट से जो स्टे ऑर्डर हुआ उससे एमर्जेंसी किस प्रकार से पैदा हुई ?

पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट में डिसक्वालिफिकेशन के लिए जो क्लॉज़ है उसमें 'मोरल टर्पीट्यूड' वर्ड है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : कन्विक्शन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेप का कन्विक्शन नहीं होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Discharge of duties......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिस कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में कोई प्रधान उप-प्रधान नहीं रह सकता, यह डिसक्वालिफिकेशन नहीं हुई। जैसे कि विधान सभा के सदस्य के लिये डिसक्वालिफिकेशन है ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में रिट के जरिये यह मामला चल रहा है। ये सारे पॉइन्ट्स वहां आर्ग्यू हो रहे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पॉइन्ट पर बहस न की जाय।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, अभी उप-मंत्री महोदय ने बताया कि यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है इसलिये इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता; वैसी हालत में सरकारी स्तर पर इस बिल को भी नहीं लाया जा सकता। मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूँ। जब

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार इसको सबजुडिस मानती है तो इस बिल पर डिस्कशन बन्द किया जाय और इस बिल को पारित न किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो उस प्रसंग में यह बिल भी नहीं लाया जा सकता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस आधार पर उन्होंने हुक्म दिया, सस्पेन्शन का स्टे ऑर्डर किया, यह पॉइन्ट डिस्प्यूटेड था। We cannot discuss that here.

श्री भैरोंसिंह : इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते और न बिल पास कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपत्ति उठाई गई है सब-जुडिस के बारे में। हमारे रूल्स में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रावधान हैं सब-जुडिस मामलों को डिस्कस करने के बारे में। इसमें कोई विशेष बात हो, ऐसी बात नहीं है। कोई मामले सब-जुडिस भी हों, उनको नहीं ले सकते, यह बात नहीं है। कई ऐसे मामले हो सकते हैं जिनका विधान के जरिये निराकरण करना आवश्यक हो जाता है और वह निराकरण जन-हित के लिये आवश्यक है, तो इसके लिये पार्लियामेंट और विधान सभायें हमेशा कदम उठाती रही हैं। उसी के अनुसार इस बिल को लिया गया है। इसको किस प्रकार लिया जाय, यह तो सदन की मर्जी पर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो हिन्दुस्तान में कोई एक भी मिसाल इस प्रकार की दे दें जिसमें किसी के सस्पेन्शन के बारे में ऑर्डिनेन्स लाया गया हो।

श्री उपाध्यक्ष : Let us now take the amendments.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है : "राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे"।]

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत करते हुए सदन के सामने कई महत्वपूर्ण बातें रखीं उसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय नहीं दे सके, इस बात का मुझे खेद है। जो भी उत्तर दिया गया उससे सदन में किसी प्रकार भी सन्तोष नहीं हुआ। अगर माननीय मंत्री महोदय दो-चार इस प्रकार के केसेज़ बताते जिसमें प्रधान, उप-प्रधानों को सस्पेन्ड किया गया हो, हटाया गया हो। जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चार्जेज़ लगाये सरकार ने कई प्रधान और उप-प्रधानों को जिनके खिलाफ चार्जेज़ लगाकर पहले ही रिमूव कर दिया अब इस कमी की पूर्ति करने के लिये इस बिल में इस प्रकार का प्रावधान लाया गया है। मैं समझता हूँ जहां तक लज्जाजनक आचरण का सवाल है कोई भी माननीय सदस्य इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहेगा। लेकिन यह बात सरकार के लिये भी उतनी ही लज्जाजनक है

Page No.80

(श्री मुरलीधर व्यास)

जब कि सरकार इस प्रकार के मामलों में कोई कार्यवाही नहीं करती ।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा था कि ऐसे तस्करी प्रधान, उप-प्रधान जिन्होंने समाज विरोधी कार्य किया, तस्करी का मामला सरकार के सामने लाया गया, क्या सरकार उन लोगों को जो प्रधान हैं, उप-प्रधान हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है । यदि इस प्रकार की कार्यवाही उनके खिलाफ की जाती तो वे निडरता के साथ कहते । लेकिन हमें इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया । यह सरकार मानती है तस्करी करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला या अन्य तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करने वाला कार्य लज्जाजनक कार्य नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी अनेक घटनायें पंचायतों में पंचायत समितियों में देखने को मिलती हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है । इस प्रकार की शिकायतें भी की गई तो एक पक्ष के लोगों को, जो विरोधी पक्ष के हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तो कार्यवाही कर देती है, लेकिन जो अपने पक्ष के हैं, अपने साथ में बैठने वाले हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती । उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ के अन्दर एक प्रधान जो कि कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी का भाई है उसके खिलाफ नाना प्रकार के चार्जेज़ हैं गबन के, अपने पद के दुरुपयोग के, खुद प्रधान होते हुए उन्होंने बीज खरीदा, अपने नाम से खरीदा, अपने नाम का बिल बनाया और वह बिल पेश किया गया । इस प्रकार नाना प्रकार के मिस-यूज़ करने के आरोप हैं । एक आदमी अगर पद पर बैठकर अपने नाम से माल खरीदता है, बिल बनवाता है, यह क्या लज्जाजनक बात नहीं है । उदाहरण के रूप में मैंने यह बात कही है ।

बीरबल प्रधान ने बीज अपने नाम से खरीदा, जिसका बिल नम्बर ३८१ है १७-८-६१ का है जिसकी रकम ११,७२५ रुपया है । आप ही बताइये पंचायत समिति का प्रधान स्वयं अपने यहां से बीज खरीदे, हजारों रुपये का बिल अपने नाम से बनाये, यह कितनी लज्जाजनक बात है ? ऐसे एक नहीं इस प्रकार से माल खरीदा उसका बिल नम्बर है ५४६ उसके बाद में और भी बिल हैं जिनके नंबर भी हैं । लगातार पंचायत समिति के प्रधान ने इस प्रकार से बीज खरीदा, अपने नाम से खरीदा । शिकायत जब सरकार को की गई तो किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, यह तो मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है । सरकार की यह जो मनोवृत्ति है अपने आदमियों को इस प्रकार से आश्रय देकर के इस प्रकार का कानून लादने की कोशिश करे, यह सरकार के लिये भी कम लज्जाजनक बात नहीं है ।

कोई पक्ष का हो, चाहे विरोधी पक्ष का हो, चाहे सरकारी पक्ष का हो, सबमें समान रूप से खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, जो सरकार ने नहीं की । जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा जिस प्रकार आप इसको पहले से लागू करना चाहते हैं उसका नतीजा यह होगा विरोधी पक्ष के लोग हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही कर चुके हैं उसको हमारे जरिये मोहर लगाकर जारी रखना चाहते हैं । हम कहना चाहते हैं कि इस ऑर्डिनेन्स से इतनी

(श्री मुरलीधर व्यास)

सी बात हटा दें पहले की जो कार्यवाही हुई है, जिन लोगों को हटाया है, कम से कम उसको तो वापिस ले लें ।

(११.०० म० पू०)

आगे के लिये यह जरूर रक्खें कि जो आगे इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी । तो इतनी सी बात भी आप मन्जूर करने को तैयार नहीं और कहते हैं कि यह ऑर्डिनेन्स तो अच्छे के लिये लाये हैं । हम भी मानते हैं इसे । पर मिस्-यूज़ जिस सीमा तक हो उस हद तक हटा देना चाहिये । यह बात मानी नहीं । ठीक है । आप मत मानिये । पर दूसरी बातों का जहां तक सवाल है यह महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है और इसे जनमत जानने के लिये भेजा जाना चाहिये । पंचायत परिषद् और जिला परिषद् जब से बनी हैं तब से इसमें कई प्रकार की खामियां आम जनता के सामने आई हैं । वह काफी अच्छे सुझाव दे सकती है ।

आपने सादिकअली कमेटी अपोइन्ट की । उसकी रिपोर्ट भी पहले देखनी चाहिये । पंचायत समिति और जिला परिषद् के फोर्मेशन वगैरह में आमूल परिवर्तन लाना चाहिये । आपने पंचायतों के चुनाव एक साल के लिये बढ़ा देने की बात कही है । यही नहीं, कई परिवर्तन इसमें आवश्यक हैं । मैं खुद महसूस करता हूं कि इसमें बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । जिला परिषद् को रखा जावे या नहीं; रखा जावे तो कैसे पॉवर दिये जावें, पंचायत समिति में कोऑप्शन का सवाल आता है और कोऑप्टेड ही प्रधान बन जावे तो बन सकता है या नहीं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : Probably it is beyond the scope of this Bill.

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो मैं इसलिये कह रहा हूं ताकि सरकार इस पर सोच सके कि इस प्रकार का संशोधन लाया जावे या नहीं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : But that cannot be incorporated in it. Therefore it is beyond the scope of the Bill.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो इसलिये कह रहा हूं कि सरकार इनके बारे में भी अपनी नीति को स्पष्ट कर दे कि अब जो चुनाव होंगे वे सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के सुझावों को देखकर और सारी खामियों को निकाल कर किया जावेगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह तो मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण में बता दिया था ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो बुनियादी परिवर्तन भी करने हों तो ऐसों पर जनमत जानना बहुत उचित है ।

यह प्रावधान जो रखा है इतना महत्वपूर्ण है कि प्रधान, उप-प्रधान जिनको कि हटाने का प्रावधान रखा गया है अब इसमें जब तक सब तरफ की सारी बातें प्रमाणिक रूप से न मालूम पड़ें तो इसके दुरुपयोग की संभावना

(श्री मुरलीधर व्यास)

बहुत रहती है। आपने कहां कहां किस तरह के कांड किये हैं ये सब जनमत प्रसार के लिये भेज देंगे तो आम लोगों के सामने ये आ जावेंगे। इसलिये कहता हूं कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है : "राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिये जन-मत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"] मैंने भी एक मोशन जनमत का रखा है। अभी जैसा मेरे पूर्व वक्ता जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अध्यादेश को चुनौती दी है और उसे अस्वीकृत करने की मांग की है उसका समर्थन करता हुआ मैं अपने मोशन को रखना चाहता हूं।

यह जो अमेंडमेंट बिल, ६४ लाया गया है इसमें मुख्यतया एक्ट की तीन धाराओं पर संशोधन है; १४, ४० और ४६।

प्रथम और अन्तिम संशोधन के द्वारा तो पंचायत समिति व जिला परिषद् के कार्यकाल की अवधि के बाद भी एक साल तक अवधि बढ़ाये जाने की मांग की है। तो जब तक सादिकअली रिपोर्ट न आवे, और उस पर सदन न विचार कर ले तब तक कुछ मूल परिवर्तन एक्ट की धाराओं में हो और उस आधार पर चुनाव हों, यह बात समझ में आ सकती है। तो आज की स्थिति में तो मानने को तैयार हूं। पर स्थायी तौर से इस संशोधन को लागू करना चाहें तो यह जनतन्त्र के प्रति खिलवाड़ होगी। यह स्थायी रूप से सरकार को अधिकार देना कतई उचित नहीं होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जब एक में ही संशोधन कर रहे हैं तो सरकार की मर्जी का क्या सवाल है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अगर यह व्यवस्था स्थायी हो जाती है तो जैसे दृष्टांत दिये गये जहां सरकार यह समझेगी कि उनके ढंग के उनके पक्ष के लोग हैं वहां तो चुनाव नहीं करावेगी, चाहे अनियमितताऐं कितनी भी हों और विरोधी दल के सदस्य चाहे अनियमितताएं भी न की हों उन्होंने, तो भी उनको हटा दिया जावेगा और वहां चुनाव करा देंगे। इस प्रकार की सरकार की मंशा जो है उसका विरोध करना चाहिये।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : आप कोई स्पेसिफिक दृष्टांत तो दीजिये कि किसको हटाया ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, बाजार) : नाम तो मैं बहुतसे बता दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नाम तो मैं भी बता दूं आपको बहुत से। लिखिये आप। सरपंच, पंचायत कांवट, श्रीमाधोपुर, सीकर। गबन के मामले में १३-१२-६१ को सस्पेन्ड किया। चार्ज शीट दी गई, उनका कोई जवाब नहीं आया। और आपने उनको आराम से रिइन्स्टेट कर दिया। क्या यह जनतन्त्र है ? क्या इसी पर आप गर्व करते हैं।

श्री भीखाभाई : इसका इस प्रोवीज़न से क्या ताल्लुक है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : और लिखिये। गांव पंचायत आवां, तहसील कैन-

Page No.83

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वास । अब तहसील सांगोद हो गई है, सरपंच बद्रीप्रसाद था । उनको आपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी रखा । अपने कार्य-काल में अकाउन्ट्स बुक्स थीं, उनको टेम्पर विथ किया, लगभग १।। हजार की रकम इधर उधर कर दी, और २।। हजार का कर्जा छोड़ कर चला गया । ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट ने ऑब्जेक्शन किया है । सब कुछ मौजूद है, लेकिन आज तक कोई इन्क्वायरी नहीं है और सरपंच मौजूद है । इसके अलावा पंचायत समिति, लाडपुरा जो कि आपकी है वहां के प्रधान ने स्वयं का भत्ता यह बात कह कर लिया कि मेरा मकान ५ मील से ज्यादा दूर पड़ता है और एरियर वह वर्षों से लेता आ रहा है । ऑडिट का ऑब्जेक्शन है कि वह गांव नज़दीक हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं है और उसी लाडपुरा पंचायत समिति के उप-प्रधान हैं उन्होंने कैटल ब्रीडिंग के लिए तीन चार हजार रुपया कर्ज लिया । मैं उस बैठक में मौजूद था । मैंने कहा कि जो कर्ज लिया गया है उसका यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट होना चाहिए, लेकिन आज तक यूटीलाईज़ेशन सर्टीफिकेट पेश नहीं हुआ है और कई महीने बीत चुके हैं; कोई कार्यवाही नहीं है । कोई एक दृष्टान्त हो तो बताऊं । तो मैं यह निवेदन कर रहा था ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो कह रहे थे कि ऑर्डीनेन्स के नीचे विरोधियों को हटाया वह तो एक भी नाम नहीं बताया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह तो पूरा पुराण है, पूरी गाथा है; कोई कमी नहीं आयेगी यह कोई पंचायतों का ही अनुभव नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के अन्दर भी इसी प्रकार का कटु अनुभव है कि अगर कहीं पर विरोधी दल बैठ गया तो सत्तारूढ़ दल क्या कसर उठा रखता है, यह किसी से छिपा नहीं है ।

अब मैं इस तरफ अधिक न जाता हुआ यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार चाहती है कि धारा १४ और ४६ में संशोधन करके गवर्नमेंट को अधिकार मिल जाये कि एक साल बिना चुनाव किये हुए पंचायत समिति और जिला परिषद् कार्य करें । यह एक बिल्कुल अनुचित बात है । मैंने भी एक संशोधन रखा है कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार अवधि बढ़ाये, उसके पहले विधान सभा की पूर्व स्वीकृति लें और उसके बाद वह कार्य कर सकती है । आज हमारे सामने कई उदाहरण हैं कि कई म्युनिसिपैलिटीज़ जिनकी कि अवधि समाप्त हो गयी थी फिर उनको एक्सटेन्शन दे दिया गया है । मर्जी से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो जाते हैं और स्वयं का ही चुना हुआ आदमी है उसको चेयरमैन बना दिया जाता है । ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है । जो संशोधन रखा गया है उसकी मन्शा यह है कि इस प्रकार का राजनैतिक षडयंत्र जनतंत्र के साथ किया जा सके और अपनी स्वेच्छा से उनका एक्सटेन्शन कर दिया जाये और जहां खुद नहीं हों वहां उनको समाप्त कर दिया जाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह संशोधन लाने का जो मूल ध्येय है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा जिसके ऊपर

Page No.84

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाला है। यह लेंग्वेज जो लिखी है डिस्ग्रेसफुल, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि ऑर्डीनेन्स के पूर्व क्या इस प्रकार की स्थिति थी या ऑर्डीनेन्स के बाद इस प्रकार के कौनसे केसेज़ थे जिनका निपटारा सरकार ने किया। कोई उदाहरण तो दें कि हमें यह व्यवस्था करनी पड़ी। इसका उदाहरण एक भी मंत्री महोदय की ओर से पेश नहीं किया गया है। हालांकि मैं आशा करता था कि इस प्रकार के उदाहरण पेश किये जायेंगे जिनके बारे में यह बताया जायेगा, यह ऑर्डिनेन्स क्यों लाया गया लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज भी राजस्थान पंचायत और जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था मौजूद है कि जैसा कि विधि मंत्री ने बताया कि अगर कोई मंत्री रेप का केस करता है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा आरोप कोई नही हो सकता और ऐसे व्यक्ति वहां पर रहने के काबिल नहीं है। हां, केसेज़ ब्लैक मेलिंग के हो सकते हैं, स्मगिंलग के हो सकते हैं लेकिन रेप से और बड़ा आरोप कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज सारी की सारी व्यवस्था इसमें है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केवल थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह कौनसी धारा में दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इतनी तड़पन क्यों है! अधिनियम की धारा १५ है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसमें नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसका भाग (६) है :

"15. Disqualifications for becoming a member :—A person shall be disqualified to become a member of the Panchayat Samiti, if he...........
(g) has been convicted by a competent court of an offence involving moral toupitude or of an offence under the Untouchability (Offence) Act, 1955 (Central Act 22 of 1955) or under any other law notified in this behalf by the State Government,"

एक तो यह है। दूसरा इसके अन्दर है, १६ वीं धारा सदस्यता का समाप्त होना :

"16. Cessation of membership :—(1) Subject to the provisions of section 17, a member of a Panchayat Samiti shall not be eligible to continue to be such member if he—(a) is or becomes subject to any of the disqualifications specified in section 15, or..........."

इसके बाद दूसरी व्यवस्था दी गयी है उसके अधिकारों का संरक्षण देते हुए। आप इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। जैसा कि विधि मंत्री ने कहा था कि यह तो कन्विक्शन के बाद ही होगा। तो वास्तव में किसी को अधिकार दिया गया है, किसी को यह कह देना कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तुमने रेप केस किया है तो आसानी से उसको नहीं हटाया जा सकता और अधिकारों की रक्षा धारा १७ के द्वारा की गयी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त करता हूँ।

"17. Judge to decide questions of disqualifications:—(1) Whenever it is alleged that any member of a Panchayat Samiti is or has become disqualified and such member does not admit the allegation, or wheneve^r any member is himself in doubt whether or not he is or has become disqualified for the office, such member or the State Government or any other member may, and the Pradhan at the request of the Panchayat Samiti shall apply to the Judge for a decision on the allegation or doubt.

(2) The Judge, after making such inquiry as he considers necessary, shall determine whether or not such member is or has become disqualified and his decision shall be final.

(3) Pending such decision, the member shall be entitled to act as if he were not disqualified."

तो इस प्रकार से आज पूर्ण व्यवस्थायें मौजूद हैं। जिन केसेज़ के आपने इन्स्टान्सेज़ दिये हैं उनकी व्यवस्थायें मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का वेग वर्ड लाकर आप कौनसी व्यवस्था नई ला रहे हैं?...

श्री भीखाभाई : किस तरह से मौजूद है? इस एक्ट में नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डिस्क्वाली-फिकेशन के अन्दर मौजूद है।

श्री भीखाभाई : उसके बाद का सवाल होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : धाराएं १५ और १६ पढ़िये। चुनने के पूर्व और पश्चात् अयोग्यता हो जाती है तो धारा १६ के अन्दर आ जाता है। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार डिस्मिस शब्द को लाकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके पीछे कोई न कोई पोलीटिकल मोटिव है जिसके आधार पर आप किसी भी विरोधी दल के सदस्यों को समाप्त कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पंचायत समिति और जिला परिषद्....

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : Point of order, आपका बाद में है....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब सीरियली चल रहे हैं तो उसी ऑर्डर से बुलाया जाना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सीरियली की बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आंख जिसको पहले पकड़ ले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट के अन्दर बहुत सारे अमेन्डमेन्ट्स आने की चर्चा काफी समय से चली आ रही है और आवश्यकता भी थी कि इस संबंध में अमेन्डमेन्ट्स आते और जैसी कि सरकार की घोषणा थी कि पंचायत समितियां, जिला परिषदें वगैरहों का चुनाव सरकार अप्रेल माह तक निश्चित रूप से करवा देगी, उस घोषणा के अनुसार यह आशा की जाती थी कि बहुत से गंभीर परिवर्तन इस एक्ट के अन्दर किये जायेंगे; लेकिन जहां सरकार ने इन चुनावों को दूर फेंक दिया वहां एक सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट भी मध्य में स्थित है और उसके लिए बारबार कहा गया कि अगर कोई भी संशोधन आयेगा तो वह सादिक अली रिपोर्ट के बाद ही प्रस्तुत किया जायेगा। उसके बीच में एक ऑर्डिनेन्स आया और उसकी गम्भीरता सरकार स्थापित करना चाहती है। उस ऑर्डिनेन्स के जरिये ३ संशोधन जिला परिषद और पंचायत समिति एक्ट में किये गये हैं। एक दफा १४ के अन्दर और २ दफा ४० और ४६ के अन्दर। इन संशोधनों के जरिये सरकार ने पंचायत समिति और जिला परिषद की अवधि बढ़ाई है और एक संशोधन १४ के अन्दर प्रस्तुत किया जिसमें सरकार ने प्रधान के द्वारा डिस्ग्रेसफुल एक्ट किये जाने के संबंध में उसे सस्पेन्ड करने के अधिकार को लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात को कहती है और बहुत से केसेज़ के सिलसिले में सरकार ने कहा है कि जहां कोई प्रधान डिस्ग्रेसफुल एक्ट कर देता है तो बहुत कठिनाई उपस्थित हो जाती है कि उसको सस्पेक्ट किया जाये वैसे तो यह शब्द 'डिस्ग्रेसफुल' कोई स्पष्ट शब्द नहीं है और काफी वैग वर्ड है, फिर भी सरकार की मन्शा यह है कि कुछ जघन्य कार्य, कोई एन्टी नेशनल एक्टीविटी या कोई और जघन्य कार्य; डाका, रेप, अगर किसी प्रधान के द्वारा किया जाता है तो सरकार के हाथ में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह तुरन्त ही उन लोगों को हटा सके। मैं जहां तक सोचता हूँ सरकार की इस मन्शा के अन्दर सन्देह है। एक केस मेरे जिले का बहुत मशहूर केस है, उस सिलसिले में ऐसी ही एक अड़चन की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी। हमारे प्रधान एन्टी नेशनल एक्टीविटी में डी० आई० आर० के अन्दर, करणपुर के श्री भोलारामजी धर दिये गये थे और वहां की कांग्रेस कमेटी ने इस तरह की गम्भीर मांग उठाई थी कि उनको फौरन सस्पेन्ड कर दिया जाय। इन्होंने बाकायदा स्मगलिंग किया है, और भोलारामजी के चार साथियों के खिलाफ पुलिस बाकायदा जीपें लेकर आज भी फिर रही हैं और वे लोग लाखों रुपयों का स्मगलिंग अब तक करते थे। उनके एक साथी गोपीरामजी के यहां गांजा पकड़ा गया था और यहां के मजिस्ट्रेट के यहां उसका केस चल रहा है और वे मफरूर हैं और किस प्रकार से वे मफरूर हैं उसके पहलू में मैं नहीं जाना चाहूँगा। भोलारामजी ने लगातार स्मगलिंग किया है; यह गंगानगर का बच्चा बच्चा जानता है और जब भूतपूर्व गृहमंत्रीजी ने उनको गिरफ्तार किया था तो वहां से बधाई के तार प्राप्त हुए और बहुत सन्तोष हुआ उस इलाके के अन्दर। अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि भोलारामजी एन्टी स्मगलिंग एक्टी-

Page No.87

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

विटी, स्मगिंलग में पकड़े गये; ऐसे व्यक्ति लगातार प्रधान जारी रहें, यह प्रश्न बहुत गम्भीर प्रश्न सामने आया है तो लॉ डिपार्टमेंट ने यह अड़चन लगाई कि यह डिस्ग्रेसफुल एक्ट है और भोलारामजी को इस एक्ट के अन्दर सस्पेन्ड नहीं कर सकते। आज, उपाध्यक्ष महोदय, इस अड़चन को दूर करने के लिए यह डिस्ग्रेसफुल एक्ट करने वाले व्यक्ति को सस्पेन्ड करने का अधिकार सरकार लेती है। लेकिन मैं आपके सामने इस सत्य को प्रकट करूंगा कि वह भोलारामजी जिनको सस्पेन्ड करने के लिए यह 'डिस्ग्रेसफुल' शब्द लिखा गया है आज तक आजाद है, उनको छोड़ दिया गया है और गंगानगर में वे दुबारा स्मग्लिंग कर रहे हैं और यह कहा जाता है कि वे प्रधान भी हैं बाकायदा, और उनको डी० आई० आर० के अन्दर छोड़ दिया गया है, उनके बहुत से साथियों को छोड़ दिया गया है।

एक सरपंच है मिड्डाजी, जिनको डी० आई० आर० में पकड़ा गया। उनका स्मग्लिंग का धन्धा चलता था। एक सड़क का नाम तो डी वाई० एस० पी०, एस० पी०, और एन्टी करपशन डिपार्टमेंट ने मिड्डा रोड रख दिया है। वे लगातार वहां से उस माल को ले जाते रहे हैं और बाकायदा उनके घर पर छापा मार कर वहां के डी० आई० जी० और आर० ए० सी० के लोगों ने हजारों का माल बरामद किया। वे रात-दिन यह धन्धा करते हैं। वे सरपंच आज तक खुले फिर रहे हैं। उनको छोड़ दिया गया है, बाकायदा आजाद कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे सरकार की मन्शा बहुत स्पष्ट हो जाती है कि डिस्ग्रेसफुल एक्ट के नाम पर किसी को छोड़ देने की बात या किसी के अन्दर कोई कठिनाई उपस्थित होने की बात सरकार के सामने नहीं, बल्कि सरकार के सामने यह बात है कि अपनी तरफ से सरकार अधिक से अधिक अधिकार लेना चाहती है अपने सरपंचों का प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको रियायत देने के लिए।

आपके सामने मैं एक केस और रखना चाहता हूं। श्री हुक्माराम गौड़ लूणकरणसर पंचायत के सरपंच थे। उपाध्यक्ष महोदय, मिसएप्रोप्रियेशन ऑफ मनी का उनके विरुद्ध एक केस चलाया गया, जिनके अन्दर उनको सस्पेन्ड कर दिया गया। उसकी बाकायदा इन्क्वायरी हुई। नाथूरामजी मिर्धा उस समय पंचायत के मंत्री थे, और पंचायत द्वारा जो इन्क्वायरी हुई थी उन फाइन्डिंग्स पर उन्होंने अपना यह अन्तिम निर्णय दिया कि श्री हुक्माराम ने कोई मिसएप्रोप्रियेशन ऑफ मनी नहीं किया है; लेकिन कुछ समय बाद ही उसी चार्ज पर हुक्माराम गौड़ सस्पेन्ड कर दिये गये और वह भी किसके हुक्म से, उपमंत्री श्री नन्दबानाजी के हुक्म से। राज्य का एक मंत्री फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर यह निर्णय देता है कि फलां सरपंच इस कसूर का भागी नहीं है, लेकिन उसी निर्णय को राज्य के उपमंत्री फ्लाउट करते हैं। और ऐसी परिस्थिति हुई, उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां के प्रधान राजा महाजन हैं। यह पुलिस के पास जानकारी है और भूतपूर्व गृहमंत्रीजी के पास जानकारी है कि राजा महाजन किस किस नेफेरियस एक्टीविटीज़ में लगे हुए है। उनके गढ़ पर जगमालसिंह ने चाय पी है। उनके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रिश्तेदारों ने जगमालसिंह को प्रोटेक्शन दिया है। राजा महाजन ने कांग्रेस वर्कर्स को और वहां के प्रगतिशील वर्कर्स को जगमाल-सिंह को बताया और उससे उनकी जुबान कटवाई है, नाक कटवाई है और एन्टीकरपशन में उनके खिलाफ केसेज़ रजिस्टर्ड हैं कि डिफेन्स फण्ड में राजा महाजन ने किस किस प्रकार से गबन किया है, ऑडिट पार्टी ने इसको सामने रखा है, लेकिन सरकार नहीं इस्तेमाल करना चाहती है इस प्रावधान को राजा महाजन को सस्पेन्ड करने के लिए और हुक्माराम गौड़ जो एक गरीब आदमी है, वर्कर है, उसको सस्पेन्ड करते हैं इस अधिकार को इस्तेमाल करके।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने पक्ष के लिए सरकार इस अदला-बदली को लेती है। यह जो डिसग्रेफुल शब्द और जोड़ा है तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि सरकार की मन्शा यह है कि अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे। इस सदन का समय मैं इस सिलसिले में और अधिक नहीं लेना चाहूंगा। मेरे पास ऐसी गम्भीर मिसालें हैं कि राजा महाजन ने इसी हुक्माराम गौड़ के जब कि अपने दफ्तर में कार्य कर रहा था तो पंचों को ले जाकर और १० आदमी और तहसीलदार को लेजाकर उठवाकर पंचायत घर से बाहर फिंकवा दिया। वहां के एस० डी० एम० श्री रामचन्द्र मीणा ने इस बात की एन्क्वायरी की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अन्दर लिखा है कि राजा महाजन का यह कार्य बहुत ही अनुचित था। उनको कोई अधिकार नहीं था

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि इस तरह से उठाकर बाहर फिंकवा देते। लेकिन बावजूद इसके उस प्रधान को इस प्रकार का प्रोटेक्शन हो और आज भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई कदम उसके विरुद्ध नहीं उठाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस कानून को अपने पक्ष के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, हर तरह से करना चाहती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट लूंगा।

इस हुक्माराम गौड़ ने अपनी लड़की की शादी सादूलगढ़ के एक स्थान पर तय की है और जिस घर में शादी थी वह लड़का भादरा के बी० डी० ओ० साहब का भतीजा होता था और भादरा के जो प्रधान थे उनका राजनैतिक विरोध इस हुक्माराम से था। उपाध्यक्ष महोदन, यह एक कथन है और सत्य है और हमारी संस्कृति इस बात को मानती है कि लड़की सब के साझे की, लड़की से कोई बैर नहीं होता है, लेकिन बी० डी० ओ० साहब और वहां के प्रधान को ले जाकर लड़के को उठा लाये और अपने घर में बन्द कर दिया, और हुक्माराम की लड़की जिस पर कि तेल चढ़ा हुआ है भादरा के चौक में बैठी हुई है और हुक्माराम भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ है। इसके लिए गृह-मंत्रीजी को कहा जा चुका है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहा जा चुका है। आज भी वह लड़की वहां के चौक के अन्दर बैठी हुई है। वह हमारी कन्या है। ऐसे प्रधान इस प्रोटेक्शन के नीचे आ जाते हैं। तो उस एक्ट के लिए मैं यही कहूंगा कि, उपाध्यक्ष महोदय, यह

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अगर किसी को डिस्ग्रेसफुल एक्ट के सम्बन्ध में सरकार सस्पेन्ड भी करना चाहे तो उसके बारे में जज जरूर होना चाहिए। कोई जज इस बात को कहे तभी इस बात को किया जा सके, वर्ना यह जो भी प्रावधान करना चाहते हैं मेरे ख्याल से अपने पक्ष के उपयोग के लिए है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी यह संशोधन बिल हमारे सामने अभी विचाराधीन है, इसके सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन करना है कि कोई भी कानून और उसमें संशोधन समाज में उठी हुई समस्याओं के लिए किया जाता है, जिस प्रकार की घटनाओं का इस सदन में जिक्र किया गया उनको कितना ही दोहराया जा सकता है और ज्यादा घटनाओं का उल्लेख करके इस बात को बताया जा सकता है कि सरकार इस प्रकार के अधिकारों को जो इस सदन द्वारा उनको प्रदान किये गये है उनका उपयोग वास्तव में जिस मन्शा से यह सदन उन अधिकारों को देता है, उस दृष्टिकोण से नहीं करती। हमें बहुत खेद के साथ इस सरकार की मन्शा और नीयत में इस अनुभव के आधार पर सन्देह है और इसलिए हम नहीं चाहते कि इस संशोधन बिल के द्वारा इस प्रकार की कोई शक्तियां इस सरकार को दी जायं। जिसका इस्तेमाल आर्बीट्रेरी तरीके से हो सके, जिसका इन्टरप्रिटेशन करने का अधिकार इस सरकार के हाथ में रहे

(११.३० म० पू०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

इस संशोधन बिल में 'डिसग्रेसफुल' शब्द की कोई डेफीनेशन नहीं दी गई है। कोई भी टर्म रिलेटिव होती है और एडजेक्टिव विशेषण-तो खास तौर से रिलेटिव होता है। इस संशोधन बिल की दृष्टि से इस सदन में यदि आप देखें तो डिस्ग्रेसफुल एक्शन की परिभाषा इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों की अलग अलग है। इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों-विशेष तौर पर ट्रेज़री बैंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों के लिए इस प्रकार की घटनायें होती रहें, चाहे वह भोलाराम की हो, चाहे राजा महाजन की हो और उसके बारे में सरकार एक्ट न करे तो भी कोई महत्व नहीं होता, लेकिन हमें तो यह सबसे बड़ा डिस्ग्रेसफुल एक्शन सरकार का मालूम पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार की प्रतिक्रियायें उनके चेहरे पर इन घटनाओं के बारे में सुनने के बाद हम देखते हैं जिस प्रकार की एक हंसी....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : हंसी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक हंसी उनके होठों पर हमें देखने को मिल रही है, उससे महसूस होता है कि पार्टी इन्ट्रेस्ट, पार्टी के अन्दर ग्रुप इन्ट्रेस्ट ज्यादा हैं। हमारे संविधान के अनुसार डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स की रक्षा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारे कन्धों पर आई है, उसके बजाय वे पार्टी इन्ट्रेस्ट और ग्रुप इन्ट्रेस्ट ज्यादा समझते हैं। यह हो सकता है कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों, विशेष तौर पर ट्रेज़री बैंचेज़ पर बैठने वाले माननीय सदस्यों को हम लोगों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के भाषण, हम लोगों के एक्शन डिस्ग्रेसफुल मालूम पड़ते हों और हमारी आलोचना और क्टाक्ष, हम जिस बात को कहना चाहते हैं वह पसन्द नहीं आती हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधन बिल में इस डिस्ग्रेसफुल एक्ट की पूरी तरह परिभाषा की जाय ताकि उसकी परिधि के अन्दर ही खुद सरकार इसका इन्टरप्रिटेशन करे और इसका इन्टरप्रिटेशन करने वाली ऑथोरिटी को पूरा पता लग जाय और आखिर मन्शा क्या है, इस डिस्ग्रेसफुल एक्ट से यह सदन को पता लग जाय। मैं समझता हूँ कि इस डेमोक्रेटिक एज में इस प्रकार की संस्थाओं, पंचायत समिति, जिला परिषद या वहां के संगठनों या इन्स्टीट्यूशनों को यदि सरकार के किसी एक्शन से रोष हो तो उनको अधिकार है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के अन्दर रिज़ोल्यूशन के जरिये, भाषण के जरिये अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। यह सरकार, जिसको क्रिटिसिज़्म सुनने की कम आदत है, डी० आई० आर० का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, चाहे वह तस्करों के खिलाफ न करे बल्कि पालिटिकल विरोधियों के खिलाफ करने की आदत है; ऐसी स्थिति में पंचायत समितियों में किसी सरपंच के द्वारा सरकार की टैक्स लगाने की नीति का विरोध किया जायगा और मुख्य मन्त्री या पंचायत मन्त्री, जो भी उस मीटिंग में उपस्थित हों और वहां के सरपंच, वहां की जनता ब्लेक फ्लेग डिमोन्सट्रेशन करे सरकार की इस जन विरोध नीति के प्रति तो सरकार उस पर चार्ज लगा सकती है डिस्ग्रेसफुल एक्शन का। आज की सरकार का १९४७ के पहले जो डिस्ग्रेसफुल एक्शन था जन-आन्दोलन का, जनता का अपनी ताकत के आधार पर सरकारी अत्याचारों का मुकाबला करने का जो ऑनरेबल तरीका था, डिग्निफाइड तरीका था या सिम्पल तरीका था, जो महात्मा गांधी ने हमारी जनता को सिखाया था आज इस सरकार में बैठने वाले ये माननीय सदस्य इन्हीं तरीकों को डिस्ग्रेसफुल कहने लगे, एन्टी-डेमोक्रेटिक कहने लगे, एन्टी-पीपुल कहने लगे हैं। इसलिए इस सरकार को हम इस तरह के अधिकार नहीं दे सकते हैं, जिसका इन्टरप्रिटेशन और व्याख्या में उनके द्वारा दुरुपयोग हो। तो एक तो मैंने मोशन रखा है वह रखा है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय ताकि इस बात की भी पूरी जानकारी सरकार को लगे कि जनता की इस सम्बन्ध में क्या राय है और किस प्रकार की लैंग्वेज, किस प्रकार की प्रवृत्तियों को वह रखने की कोशिश करना चाहती है।

दूसरी बात यह है कि मौजूदा कानून में धारा १५, धारा १६ के अन्तर्गत इस प्रकार का आरोप किसी भी अदालत के अन्दर सिद्ध हो जाने के बाद एक्शन लिया जाता है। यह आज की हालत में, जो प्रावधान डिस्ग्रेसफुल एक्शन के बारे में रखा जायगा, यह सरकार के हाथ में न छोड़ा जाकर एक जुडिसियल ऑथोरिटी या हाई कोर्ट जज के पास गवर्नमेंट द्वारा अधिक से अधिक रेफर करने का प्रावधान हो और तब जो ऑथोरिटी का निर्णय हो, उस निर्णय का अनुकरण, सरकार के अधिकारी हैं, वे करें।

तीसरे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन बातों की ओर संकेत किया था

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और कहा था, इस बात की आवश्यकता है कि वास्तव में इस प्रकार का प्रावधान मौजूदा कानून में भी हो। यह तो नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की धारायें हैं, वे डिस्क्वलिफिकेशन्स न केवल अफिशियल केपैसिटी में जो पंच, सरपंच या प्रधान काम करें, उन पर लागू होती है बल्कि जो प्राइवेट लाइफ में कार्य करते हैं वे निन्दनीय कार्य हों तो वे भी डिस्क्वालिफिकेशन की तारीफ में आते हैं। इस तरह का प्रावधान कर दिया तो न केवल चुनाव के पहले डिस्क्वालिफिकेशन के रहते हुए वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता वल्कि चुने जाने के बाद अगर वह डिस्वालिफिकेशन इन्कर कर ले तो उसे हटाया जा सकता है और....

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : कौनसी धारा है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : १६।

श्री भीखाभाई : १६ में ऑफिशियल कैपेसिटी का है, नॉन आफिशियल कैपेसिटी कहां है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिस्क्वालिफिकेशन वाली धारा देखिये। कौनसी बात डिस्क्वालिफिकेशन है ? यह कोई आदमी पूछे कि शुरू से जो डिस्क्वालिफिकेशन है वह डिस्क्वालिफिकेशन पहले की है और बाद में वह इन्कर कर ले तो भी वह पंच–सरपंच पद पर खड़े होने लायक नहीं रहता। उन डिस्क्वालिफिकेशन्स के इन्कर करने के बाद वह नहीं रह सकता, इस प्रकार की बात है।

चौथी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि कुछ इन्स्टान्स मेरे जिले में भी हुए। एक प्रधान गोविन्दगढ़ पंचायत समिति के हैं। उस पंचायत समिति के माल को चोरी हुई। तो खुद प्रधान उस चोर के वकील बने और अदालत के सामने उस चोर की पैरवी की। यह उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन की बात है। सेशन जज की अदालत में, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में वह बच गया और डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से अदालत में घोषणा कर दी गई कि इस प्रधान ने कार्यवाही की है, यह उसके लिए अनुचित है और इसलिए उसको वहां से पदच्युत् कर दिया जाय, उसको हटा दिया जाय। आप ताज्जुब करेंगे, अदालत के फैसले के बावजूद पालिटिकल प्रैशर लाया गया सरकार के ऊपर। वैसे कानून की पोज़ीशन यह है, प्रेक्टिस यह है कि जब तक सरकार फैसले को गजट में छापा न कर दे तब तक वह प्रधान पद पर बना रहेगा। इस सरकार ने पोलिटिकल प्रेशर की वजह से उसे कितने ही महीने तक गजट से छापा नहीं किया, गजट में प्रकाशित नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह प्रधान बावजूद एक अदालत के डिक्लेरेशन के, अपने पद पर काम करता रहा। जब वहां की जनता ने हजारों की तादाद में वहां प्रदर्शन किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया और उस पंचायत समिति को घेर कर कहा-हम उस प्रधान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब सरकार की आंख खुल गई। ज्यादा झगड़ा न बढ़ जावे, ज्यादा जनता में उलझन पैदा न हो जावे तब तक आप उस पर अमल नहीं करते। जब गैर कानूनी तरीकों से उस प्रधान ने काम

Page No.92

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर लिया और यह तय हो गया और लोगों ने बहुत झगड़े किये तब आपने जाकर उस फैसले को गजट में निकाला है और अब प्रधान ने अपने प्रधान पद से काम छोड़ा है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि अगर सरकार अपने पॉवर का उपयोग ठीक तरह से करती तो शायद हमें कोई इस प्रकार के पॉवर्स सरकार को देने में दिक्कत नहीं होती।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस आधार पर हमको सरकार को इस प्रकार का अधिकार देना उचित नहीं होगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें अभी कोई जल्दी नहीं है। इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे। इतने में हमारे पास सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट भी आ जावेगी और हम अच्छा कानून बना सकेंगे और इसमें कोई सुधार करना होगा वह भी कर सकेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री संपत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : सभानेत्रीजी,....

श्रीमती सभानेत्री : मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि १० मिनट का समय दिया जावेगा, सबको १० मिनट का समय दिया जावेगा।

श्री रामकिशन : इसमें विशेष तौर से मुझे कहने की क्या आवश्यकता है? जब सब को १०-१० मिनट दिये हैं, इसमें हमारा दो मिनट का समय चला गया।

सभानेत्रीजी, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर जो विचार सदन को मिले हैं और खास तौर से वित मन्त्री और पंचायत मन्त्री ने जबाब दिया और इस अध्यादेश को लागू करने का कारण बताया उसको सुन कर मेरी यह धारणा बन गई कि उनके पास इस अध्यादेश को लागू करने के कोई कारण नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक रेप के केस को लेकर सदन को भयभीत करने के लिये वित मन्त्री जी ने डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट बता कर भयभीत किया है, मैं यह कहूँगा कि यह रेप का मामला है या और किसी तरह का मामला हो वह तो अदालत में तय हो सकता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि अध्यादेश निकालने की आदत सरकार की बनती जा रही है और इस पक्ष और सरकारी पक्ष की ओर से और खास तौर से नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य लगातार इस प्रकार से आॅर्डीनेन्स निकालने के तरीके का विरोध करते आ रहे हैं। विधान की धाराओं में राज्यपाल को आॅर्डीनेन्स निकालने का जो अधिकार दिया गया है; जैसे २१३ धारा रखी है उसमें यह है कि कम से कम इसका उपयोग होगा। मैं यह कहूंगा कि इससे विधान सभा के सदस्यों के विचारों के बिना

(श्री रामकिशन)

जाने हुए कानून बना दिया जाता है तो यह एक प्रकार से लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। जहां तक लोकतन्त्र का प्रश्न है, यदि आप इसे लोकतांत्रिक कहें तो मुझे इस पर हंसी आती है। ऑर्डिनेन्स से लोगों को पता नहीं लगता कि साधारणत: कोई कानून उनके लिए आ रहा है। मैं यह कहूंगा कि आपने इसके अन्दर 'रेप' शब्द को न रख कर डिस्ग्रेसफुल शब्द रखा है यह आपत्तिजनक है। यह चार्ज इधर और उधर बैठने वाले के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। क्योंकि हम सदन में देखते हैं कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत पाप कर्म जीवन में करता है, क्या उसको सजा मिले इसके लिए अलग से नियम हैं, क्या आप डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट के लिए या उनके व्यक्तिगत पाप कार्य के लिये उनको उनके पदों से हटा देंगे ? क्या किसी मंत्री को आप उसके मंत्री-पद से हटा देंगे ? मैं कहूंगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति ने रेप किया है तो उसके लिये इस प्रकार का बिल लाने की आवश्यकता नहीं, वह केस तो कोर्ट में जावेगा और कोर्ट में उसको सजा मिल सकती है। आप यह कैसे मानते हैं कि आपसे नीचे वाले ही पाप-कर्म करते है और ऊपर वाले नहीं ? क्या आप और हम पाप-कर्म नहीं करते ? क्या आप उन लोगों के लिए भी जो विधान सभा में बैठे हुए है, कोई ऐसा कानून सदन में लाने की मंशा रखते है ? यदि आप ऐसा कानून लावेंगे तो सबसे पहले इसका असर मंत्री महोदय पर ही पड़ेगा और उन्हीं को सबसे पहले इसका शिकार बनना पड़ेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप एक मंत्री को इस प्रकार कहते हैं, यह बिल्कुल गलत परम्परा है।

आप बिल्कुल गलत प्रथा डाल रहे हैं। हम इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं।

आप यहां पर गालियें खाने नहीं आये हैं, ये राज्य करने आये हैं।

श्री रामकिशन : मैं यह कह रहा था कि सबसे पहले उसका असर मंत्री महोदय पर पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : राज्य करने वालों को थोड़ी बहुत गालियें भी खानी चाहिये।

श्री रामकिशन : सभानेत्रीजी, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की पॉवर्स लेने की एक प्रकार से आदत बन गई है। आप सभी एक्टों को देखे तो आपको मालूम होगा कि एक बार अधिकार दे दें तो धीरे-धीरे सभी अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं।

यह बिल जो लाया गया है, मैं समझता हूं कि इसका असर विरोधी पक्ष के प्रधानों पर ज्यादा होगा, विरोधी पक्ष का कोई प्रधान होगा और वह बदनाम हो जावेगा तो उसको शीघ्र इस कानून द्वारा समाप्त किया जा सकता है और अगर किसी मंत्री महोदय की पार्टी का या सुखाड़ियाजी के ग्रुप का प्रधान या सरपंच हो तो आप चुप हो जावेंगे। मैं यह कहूंगा कि ज्यादा लोग बदनाम नहीं हैं और यह बिल जो यहां पर लाया गया है वह जान-बूझ कर डराने के लिए लाया गया है, जिस किसी प्रधान के खिलाफ आपको कार्य-

(श्री रामकिशन)

वाही करनी होगी, आप करेंगे। खास कर आदिवासियों के लिये मैं यह कहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में जो भी सरपंच और प्रधान होंगे उन पर सबसे पहले इसका असर होगा क्योंकि उनकी संस्कृति और सभ्यता ही ऐसी है जिसे हमारे मंत्री महोदय खुद जानते हैं और उसका दंड उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आपको इस बिल को बगैर नेता के पूछे ही वापिस ले लेना चाहिये। इसमें कोई झंझट की बात नहीं है।

माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने इस संबंध में काफी उदाहरण दिये हैं। मैं और उदाहरण देकर उनमें जोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि अब तक जो कानून है उसमें भी इस प्रकार का प्रावधान है, यदि उसके अनुसार भी इस प्रकार के कर्म करने वालों को अगर रोकना चाहते हैं तो रोका जा सकता था, लेकिन अभी तक किसी को रोका नहीं गया। मैं आपको बताऊं कि जितने सरपंच और प्रधान होते हैं, भरतपुर में कई प्रधानों के खिलाफ शिकायतें हैं, कुम्भेर के व नगर के प्रधान के खिलाफ गंभीर आरोप और शिकायतें थी। वे डिस्ग्रेसफुल हैं या नहीं, इसके चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अगर उनके खिलाफ शिकायतें है तो उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिये। मगर आज तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिये मैं कहूंगा कि इस कानून का मतलब एक प्रकार से लोगों में आतंक पैदा करने का ही है और सरकार इस कानून का सही उपयोग नहीं करेगी। सरकार केवल डराना चाहती है, अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ कार्य करता है तो उसके ऊपर यह चार्ज लगाया जावे, इसलिये यह कानून जो ऑर्डिनेन्स द्वारा लाया गया है, इसको एकदम रद्द किया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर आप इसको रद्द नहीं करना चाहते तो इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। जब प्रवर समिति बैठेगी उस समय गंभीरता से 'अपमानजनक' पर आपत्ति पर विचार करेगी। मान लीजिये किसी बी.डी.ओ. ने लिख दिया कि फलां प्रधान या सरपंच का कन्डक्ट डिस्ग्रेसफुल है, यदि वह विरोधी दल का प्रधान या सरपंच हुआ तो उस पर फौरन यह एक्ट लागू हो जावेगा। आप जानते हैं, लोकतन्त्र का भार विरोधी पक्ष पर ज्यादा होता है। जब एक्शन होगा तो उस समय हमारे और समाज के लिये संकट पैदा होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो अध्यादेश है उसको रद्द किया जावे और वापिस लिया जावे। अगर आप इसे रद्द नहीं कर सकते और न वापिस लेते हैं तो इसको प्रवर समिति के पास भेजा जावे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६४ को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे। ऑर्डिनेन्स के बारे में मेरी यह मान्यता है कि अगर हम ब्रिटिश पॉर्लियामेंट पैटर्न की १०० साल की हिस्ट्री को देखें तो आपको यह मालूम होगा कि उन्होंने बहुत कम ऑर्डिनेन्स पास किये। मगर हमारी सरकार ने इतने कम अर्से में बहुत ज्यादा ऑर्डिनेन्स पास

(श्री केदारनाथ)

किये हैं। महारी सरकार इसके लिये यह कह कर जस्टिफिकेशन कर सकती है कि हम अभी बहुत बेकवर्ड हैं। अभी हम डेमोक्रेटिक और सोशियलिज्म और प्लानिंग के बारे में फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। इसलिये हमें अमेन्डमेंट्स लाने पड़ते हैं। मैं इसमें इस समय ज्यादा जाना नहीं चाहता, मैं इस संबन्ध में राजस्थान यूनिवर्सिटी वेलिडेटिंग बिल पर बोलते समय बताऊंगा कि ब्रिटिश संसदीय इतिहास में कितने कितने अमेन्डमेंट्स कब कब हुए और कितने नम्बर के थे।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब राजस्थान सरकार ने पंचायतों के उसूल को इन्ट्रोड्यूस किया था उस समय उनकी मंशा ठीक थी। मगर जिस समय अमल सामने आया और जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने अपने कन्ट्रोल से स्पेशल एलीमेन्टों पर चैक अप किया तो यह महसूस हुआ कि अगर इनको और पॉवर्स देते रहेंगे तो ब्यूरोक्रेसी कन्ट्रोल को मजबूत करते जावेंगे और डेमोक्रेसी सफल नहीं होगी।

कभी सरकार यह कहती है कि पंचायतों में पोलिटिक्स का वास्ता नहीं होना चाहिये। तो मैं इस नीति के बारे में कह रहा हूं कि यह ठीक है, उन्होंने ऐलान किया पर जहां प्रधान का चुनाव हुआ, जिला प्रमुख का चुनाव हुआ तो टिकटे दे दी। जहां हार गये वहां कह दिया कि हमारा इस इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं और जहां जीत गये तो कह दिया कि हमारा कांग्रेस केन्डीडेट है। कहने का मतलब यह है कि यदि सरकार चाहती है कि पंचायतों को पोलिटिक्स से फ्री रखना चाहिये, उनको मजबूत करना चाहती है तो इस नीति का पूरो तरह से पालन करे। इसके विपरीत आप यदि यह चाहते हैं कि पंचायत राज्य स्लोगन्स मात्र रहें तो जो पॉवर्स आप एरोगेट कर रहे हैं, उसके लिये यह अमेंडमेंट कर रहे हैं वह जस्टिफाइड हो सकता है। पर इसकी आज आपको आवश्यकता किसलिये पड़ी कि कोई इन्डिविज्युअल रूप में डिस्ग्रेसफुल काम करता है, उसको रिमूव किया जा सकता है। 'डिस्ग्रेसफुल' शब्द इतना वाइड है कि एटीकेट की कमी रहे तो वह भी इसमें आ सकता है। तो यह जरूरी है कि इसकी डेफिनिशन होनी चाहिये। जिन सरपंचों, प्रधानों और जिला प्रमुखों के खिलाफ गबन के सीरियस केसेज़ आये और जिस तरह उनको सरकार की मशीनरी ने डिस्पोज़ ऑफ किया है, उससे सरकार का साफ पक्षपात जाहिर होता है; तो हमें साफ मालूम होता है कि सरकार इस प्रकार का अमेंडमेंट लाकर पॉवर्स एरोगेट कर रही है डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइज़ेशन के लिये बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं।

श्री सादिकअली की अध्यक्षता में स्टडी टीम पंचायतों के मामलों पर स्टडी कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने पर इन सब बातों पर विचार किया जाकर आप कोई डिसीज़न लें। पर आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये, पंचायतों को अपने हाथ में रखने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, वह उचित नहीं है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे राजस्थान में जैसा ढांचा आज है, सारे देश में जो ढांचा आज है, हमने पहले स्लोगन दिया पर उस पर हमने आगे प्रोग्रेस

(श्री केदारनाथ)

नहीं की, महाराष्ट्र आगे बढ़ गया। हमारी सरकार ने सबसे पहले शुरूआत की, जिन्होंने हमारे स्लोगन का पीछा किया, हमारे बाद में कार्य शुरू किया, वे हमसे आगे बढ़ गये और हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की।

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह अमेंडमेंट मूव करने की अभी जरूरत नहीं है, स्टडी टीम की रिपोर्ट हमारे सामने आने वाली है, उस पर विचार करने के बाद इसमें ऐसे शब्द जोड़ दिये जायं कि अगर कोई इन्डिविजुअल केपेसिटी में डिस्ग्रेसफुल काम करता है तो उसे हटाया जा सके।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री (श्रीमती लक्ष्मी-कुमारी चूंडावत) : श्री अब्दुलजब्बार !

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदया, इस अमेंडिंग बिल पर सदन में चर्चा हो रही है। इस प्रकार का अमेंडमेंट लाकर सरकार क्या करना चाहती है ? इब्राहिम लिंकन के ये शब्द थे :

"Government of the public, by the public and for the people."

लेकिन आज यह देखने को मिलता है :

"Government of Congress, by the Congress and for the Congress."

अगर यह एलीगेशन सरकार पर लगाता हूं तो वह गलत नहीं, शत-प्रतिशत सही उतरता है क्योंकि इस सरकार में हर चीज को पार्टी बेसिस पर आंका जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार का अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। इस पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद अमेंडमेंट बिल को पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि किसी को प्रोटेक्शन देने के लिये, अपनी छत्र-छाया में किसी को फलने-फूलने का मौका दिया जा रहा है। इसमें एक शब्द 'डिस्ग्रेसफुल' दिया है। पर यह नहीं दिया है कि डिस्ग्रेस टुवार्ड्स हूम। मिस्कन्डक्ट का सवाल आता है तो हाई कोर्ट की शरण ले कर स्टे हासिल कर लिया जाता है; तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेन्स जारी कर देती है, क्या गवर्नमेंट दावा कर सकती है कि उस ऑर्डिनेन्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ? जब इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता तो ऐसे अध्यादेशों को लाने की क्या आवश्यकता है ? 'डिस्ग्रेसफुल' शब्द ऐसा है कि इसे हर जगह इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं दो-तीन उदाहरण रखता हूं।

ग्राम पंचायत गुड़गांव में वहां के सरपंच द्वारा २४०० रु० का गबन किया गया। गुड़गांव का सरपंच २,४००)रुपये के खाद का गबन कर जाता है, पर ताज्जुब के साथ आज सदन के सामने यह व्यक्त करना पड़ता है कि उसको चालान करने के आदेश हो जाते हैं, पर उस सरपंच को सस्पेन्ड करके पुलिस को हेन्ड ओवर करने की आवश्यकता को सरकार आज तक महसूस नहीं करती और यह वर्ड 'डिस्ग्रेसफुल' इसमें लाकर दूसरों पर सरकार डंडा चलाना चाहती है। आज यह हाल है:—

"पंच नहीं, सरपंच नहीं,
नहीं पंचायत का नाम।
लड्डू खानी पंचायत हैं,
लज्जा राखो राम ॥"

(श्री अब्दुलजब्बार)

इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने से इस तरह का काम चलेगा कि जिसको चाहा बचा दिया, जिसको चाहा भयंकर चार्ज से प्रोटेक्शन दे दिया और जिसको चाहा मामूली सी बात पर खत्म कर दिया। उसी क्षेत्र के केदारलाल नामक एक व्यक्ति हैं जो पंच थे उनको मामूली से अपराध में बड़ी सजा दी, पर सरपंच ने २,४००) रुपयों का गबन किया, फिर भी अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

एक लालजी पटेल नाम के सरपंच हैं, वहां तमाम विकास का काम अधूरा है, फिर भी यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं और इस तरह बिना पूरा काम किये ही पेमेंट करा दिया जाता है। इस तरह जो आज बड़े-बड़े अपराध करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और ये वर्ड्स डिस्ग्रेसफुल रख कर जिनका कोई मिसकन्डक्ट नहीं होगा और जो बिल्कुल सजा पाने के हकदार नहीं होंगे उनको इससे सजा दे दी जायगी। डिस्ग्रेस टूवर्ड्स हूम ? यह तो बताना चाहिये, किसको गवर्न करना चाहते हैं इस शब्द से ? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पंचायतों से और जितने विकास कार्य हैं इनसे नेता लोग फायदा उठाते हैं गरीबों को, किसानों को इससे कोई राहत नहीं मिली है। ग्राम पंचायत विजयपुर के सरपंच को जिला प्रमुख किस तरह प्रोटेक्शन देते हैं, इसका उदाहरण मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे पास चीफ इन्जीनियर रोड्स एण्ड बिल्डिंग्ज़ के ओरीजिनल लेटर काफी है। ठेका स्वयं के नाम से लेते हैं, आपत्ति होती है तो दूसरे के नाम ट्रान्स्फर कराया जाता है। सरपंच इस तरह के काम करता है और जिला प्रमुख जो कि यहां पर डिप्टी मिनिस्टर भी हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हरनियां पंचायत ने पट्टे लोगों को दे दिये, पर मकान नहीं बनाने दिये, क्या यह ग्रेसफुल है, पैसे खा जायं और मकान नहीं बनाने दें ? फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता।

(१२.०० मध्यान्ह)

तो यदि कोई खराब काम करते हैं और सरकार की रोशनी में लाए जाते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और 'डिस्ग्रेसफुल' शब्द के लाने के बाद में गलत को हम सही करें। पंचायतों में चलिये और देखिये, हमने थोड़ी सी बात कर दी। हाउस टैक्स लेना कम्पलसरी कर दिया। आपने इसको डिस्ग्रेसफुल करार दे दिया। दो मिनट में आपने निकाल कर फेंक दिया। फिर कहां रहा जनतन्त्र ? मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य की तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि यह जो अध्यादेश निकाला है वह काला कानून है और केवल व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने का तरीका होता है। उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा है। मैं उनका समर्थन करता हूँ। ऐसे आध्यादेश निकालकर जनतन्त्र पर कुठाराघात करना है, विरोधियों को मार डालने की व्यवस्था होती है, उनका मुंह बंद करने की व्यवस्था होती है। इतना ही नहीं चित्तौड़गढ़ जिले के पास भौंर पंचायत है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

(श्री अब्दुलजब्बार)

तो मैं आपको बता रहा था कि भौंर का सरपंच तस्कर व्यापार करता है, कई खराबियां हुईं, फिर प्रेशर आया लेकिन हमारी सरकार ने आज तक भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : किसी सरपंच के खिलाफ तस्कर व्यापार की बात आती है, सजा देनी हो तो उस पर जब तक डिस्ग्रेसफुल का आरोप नहीं लगाओगे तब तब वह ठीक होने वाला नहीं है। मैं आपको सपोर्ट करता हूं कि एक्शन लेना चाहिए।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप उन आदमियों के खिलाफ एक्शन लेते जो क्वालीफाइड नहीं हैं। They are qualified, ये योग्यता रखते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में एक बहुत लज्जा की बात हुई है। वहां का प्रधान श्री मोहनलाल सोनी है। १७०० रुपये की लागत से एक मुर्गी केन्द्र बनाया गया। वही व्यक्ति फिर प्रस्ताव रखते हैं कि वहां से मुर्गीखाना हटाया जाय क्योंकि सड़क पर जब धूल उड़ती है तो मुर्गियां मर जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि वहां तो मुर्गियां मरती नहीं, अंडे देती हैं। आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि प्रधान क्या कहते हैं। कहते हैं हट नहीं रहेगा। मैंने उनसे कहा कि यह कोई किसी के रिश्तेदारों की हुकूमत नहीं है, यह जनतंत्र है। यह सब प्रोसीडिंग्ज़ में दर्ज है। तो सरकार को ऐसे मामलों में एक्शन लेना चाहिए।

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के संशोधनों को कभी भी पास नहीं करना चाहिए। जहां दो करोड़ और कई लाख व्यक्ति रहते हैं उनके जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए। यह संशोधन कम से कम उनके पास भेजा जाय ताकि वे अच्छी तरह से पढ़ें, सुनें और समझें और उसके बाद में अपनी राय व्यक्त करें। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्षजी, थोड़े से शब्दों पर एक बहस हो गई। सवाल शब्दों का नहीं है। सवाल यह है कि जो संविधान है जिसमें हमारी आस्था है, उस आस्था का प्रतीक जो संविधान है, उसमें अनुच्छेद २५३ है। उसका सहारा लेकर सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि हमें अधिकार है इस तरह से निकालने का। पर इन शब्दों से मुझे कोई एतराज नहीं है; लेकिन एतराज इस बात से है कि जो विशेष अधिकार गवर्नर के हैं उन विशेष अधिकारों को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए, किस तरह से इस संविधान में, जनतंत्र में जनता की रुचि हो सके। इसके लिए कैसे प्रिसीडेंट्स कायम करने चाहिए, हम कैसी परंपराएं डालें, उसका सवाल है। अगर हम ऐसी ही परंपराएं डाल गए तो मैं कहना चाहता हूँ कि न यह राज होगा, न सेंटर का राज रहेगा, न पंचायती राज रहेगा। आज अगर दो मेम्बरों की कमी है, मेजोरिटी बनती है दूसरों की या और किसी की, सरकार का फर्ज है कि उसको चलने दे। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट चुप रहती है, आप भी चुप रहो, आप किसी की बात में नहीं आओ। दो वोटों से भी अगर कोई

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जीतता है तो उसे काम करने दो । उसको काम करने देना चाहिए । जनता उसको वोटों के जरिए हटा सकती है, वह अधिकार इसमें दिया है ।

मैं आपसे कहूँ कि एक राइटर है । उसने एक पुस्तक लिखी है, 'How to win Friends' उसमें लिखा है, दोस्तियां कैसे की जायं । मिसाल देते हैं कि अगर कोई दलाली करता हो तो दफ्तर में घुसो । घुसते ही वहां पर जो मैनेजर बैठा हो उसके कपड़े की तारीफ करो और फिर उसकी सिलाई की तारीफ करो । जिससे कि वह रिसेप्टिव हो जाय, फिर दलाली का काम अच्छा हो जाता है । एक लड़के के हाथ में यह किताब आई । वह एजेंट हो गया । फिर एक बड़े दफ्तर के अन्दर घुस गया, उसके बाद में उसने मैनेजर से कहा कि आपने यह कपड़ा कहां से खरीदा, यह तो बहुत बढ़िया है, फिर कहा यह आपने कहां से सिलवाया । मैनेजर ने जवाब दिया इससे क्या तुम्हारा मतलब, "गेट आउट ऑफ माई ऑफिस" उसको निकाल दिया । इस तरह से अगर कॉन्स्टीट्यूशन में लिखा है जैसे कि सरकार बीकानेर के मैडीकल कालेज के मामले में फेल रही है, तो गवर्नर सारा राज्य अपने हाथ में ले ले और जवाब दे कि यह तो संविधान में प्रावधान है, मेरा हक है तुम्हें निकालने का; तो क्या आप इसको वाजिब समझेंगे ? इस जनतंत्र के अन्दर यह बात सही होगी, क्या जनतंत्र एक्सेप्ट करेगा ? कभी नहीं । इसलिए ये ऐसे प्रोवीज़न्स नहीं हैं जिनका सरकार रास्ते चलते उपयोग करे, जिस तरह से कॉमन मैन पर किया जाता है । ये धाराएं इस तरह की है कीजिस वक्त सरकार यह समझे कि देश किसी तरह से केऑस में है उस वक्त इनका उपयोग करे । जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार घुमेड़ना ठीक नहीं है ।

मैं इस अध्यादेश के ऊपर कॉन्श्यसली इसके खिलाफ प्रचार करूंगा । It is a question of my conscience and my living belief in democracy.

हम विधायक कानून के पंडित नहीं हैं । हमको कोई डिग्री देकर यहां पर नहीं भेजा गया है । हमको जनता ने चुनकर भेजा है । हम अपने विश्वासों के लिए, अपने आदर्शों के लिए जनता के सामने खड़े हुए हैं । हमारे संविधान में यह कहा है कि इस प्रकार का हमारा राज्य होगा । हम और आप चुने हुए विधायक कहलाते हैं । हम कानून बनाने वाले कहलाते हैं । लेकिन इसका गलत मतलब न हो । जो कानून हम बना कर जाते हैं उसको उसी प्रकार लोगों के अन्दर बैठ कर, जनता में जाकर देखता हूँ कि सरकार उसका उसी प्रकार से पालन कर रही है या नहीं । यहां कानून के अन्दर बहस होती है, जिस रोशनी में बहस होती है, उसी रोशनी में जनता में जाकर हम देखते हैं कि सरकार उस कानून को जनता पर उसी प्रकार से लागू करती है या नहीं ।

तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पंचायत एक्ट किसी प्रकार से लागू हो रहा है ? मैं जानना चाहूँगा, किसी से नाराज हो गये फिलम्ज़ी ग्राउन्ड्स पर और उसको सस्पेन्ड कर दिया, कितने लोग सस्पेन्ड पड़े हैं ? वे सलाम नहीं कर सके, इसलिए आप लोगों से

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नाराज हो गये और सस्पेन्ड कर दिया ! आपने आज तक उनका फैसला नहीं किया। दो दो साल घूमते २ जिनके पैर घिस गये, दो साल से रिप्रेज़ेन्ट कर रहे हैं....आप जरा मेज ठोक दें तो मजा आ जाय कि कौन कौन है....मैं कहना चाहता हूँ कि जिस स्पिरिट में यह कानून पास किया गया था, जनतन्त्र को जड़ें जमाने के लिए इसको पास किया था। इसलिए पास किया था कि राजा नहीं हैं, जैसे चले आ रहे थे कि कभी पृथ्वीराज राज्य करता था, मुगल का राज्य आ गया, चला गया, किसान ने परवाह नहीं की थी, हमने कहा था कि हमको चप्पे चप्पे के लिए लड़ना है, दुश्मन की निगाहें अन्धेरे में भी नहीं उठे, जनतन्त्र को खेड़े-खेड़े में, मजरे-मजरे में, कस्बे-कस्बे में जमाये । हमने इसीलिए इसको पास किया था। ऑर्डिनेन्स किसी बात पर आ सकता है तो इस बात पर आ सकता है और आना चाहिये कि चुने हुए आदमी को एक महीने से अधिक सस्पेण्ड नहीं रखेंगे। आप भी उन्हीं वोटों से चुने हुए हैं जिनसे सरपंच चुना हुआ है, कोई आपके अलग लाल पीला निशान नहीं था। आपके कोई अलग लाल रंग नहीं था। उन्हीं इलेक्टोरेट से चुने हुए सरपंच हैं और आप भी और हम भी उन्हीं इलेक्टोरेट से चुने हुए हैं। वे भी उतनी ही इज्जत वाले हैं जितनी हमारी इज्जत है। यदि उनकी इज्जत नहीं हुई तो समारी इज्जत भी नहीं होने वाली है, हमारी नहीं हुई तो आपकी तो नहीं होने वाली है। आपकी इज्जत नहीं होगी तो संविधान की इज्जत नहीं होगी।

मैं 'कॉन्शियन्स' का सवाल इसलिए करता हूँ कि राजस्थान में ऑर्डिनेन्स का राज्य न हो, राज्य हो इस जनतन्त्र का, राज्य हो चुने हुए प्रतिनिधियों का। इन चुने हुए प्रतिनिधियों को जरा जरा सी बात पर सस्पेंड कर देना, जरा जरा सी बात पर टल्ला दे जाना, झपकी दे जाना, यह कोई कबड्डी नहीं, जनतन्त्र है।

मैं इसलिए कहना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब दें। जब तक सारे देश की बहबूदी का सवाल नहीं है, राज्य भर में खतरे का सवाल नहीं है। जवाहरलाल, भारत सरकार के १७ वर्ष के शासन में भी, इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स निकालने की इजाजत नहीं देता. राष्ट्रपति कभी इजाजत नहीं देता। वहां भी ऑर्डिनेन्स के पावर्स हैं। आपने तो कह दिया कि डिसग्रेफुल वर्ड जोड़ कर ऑर्डि-नेन्स निकाल दिया। केन यू टेल एनी इन्स्टान्स ? क्या कभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रकार का कोई ऑर्डिनेन्स निकाला है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया. जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं इस ऑर्डिनेन्स पर बोलूंगा।

अब मैं उस बात पर आ जाता हूँ। आप इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कभी किया नहीं, कभी आपका यह कन्डक्ट नहीं रहा कि तीन महीने सस्पेन्ड आदमी को इतला दी हो। वह तो चलता जावेगा। सम्माननीया सदस्या सुमित्रा ने और कइयों ने मामले उठाये हैं कि किस प्रकार से मनमानी की जाती है। श्रीमानजी बरकतुल्ला खां साहब इसलिए ऑर्डिनेन्स नहीं निकालेंगे कि एक पाकिस्तानी स्पाई सदन में आकर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

खड़ा हो जाता है उसके लिए कोई ऑर्डिनेन्स नहीं निकालेंगे, उसको नहीं रोका जाता। वह इस मुल्क का आदमी नहीं है फिर भी उसको नहीं रोका जाता, उसको रोका जाता है जो इस मुल्क का आदमी है। हमारी संविधान में आस्था और विश्वास है, जनतन्त्र में हमारी आस्था और विश्वास है। जब तक हम अपने में राष्ट्रीयता नहीं अपनायेंगे तब तक देश की रक्षा नहीं होगी।

(विपक्ष द्वारा हियर हियर)

गुलाम मोहम्मद, पाकिस्तानी स्पाई म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में चुना जाता है, १३ तारीख को १४ तारीख को रहता है, इस हुकूमत को मालूम होता है। कुछ नहीं किया जाता। पाकिस्तानी स्पाई को इस एमर्जेन्सी के समय में भी यहां शरण दी जाती है। उनके लिए ऑर्डिनेन्स नहीं। वहां गवर्नमेंट फैल हुई। यहां पर स्टे नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ? डिसग्रेसफुल के लिए स्टे ला सकते हैं। आपने ऑर्डिनेन्स निकाल दिया। गवर्नर का उपयोग हुआ। वे वहां पर मजे से बैठे हुए हैं। इस कागज का क्या मतलब?

एक पोइन्ट और है। सिलेक्ट कमेटी में जायं। आप चाहते हैं एक साल के लिए अधिकार दिया जाय। लीजिये। आपने जो कारण दिये हैं अकाल के वे कोई विशेष कारण नहीं हैं। अकाल का नाम लेकर आप टालना चाहते हैं। राजस्थान के दूसरे प्रदेश हैं जहां अकाल की स्थिति नहीं हैं वहां तो आपको चुनाव करा देने चाहिये। चुनाव में इस प्रकार से आड़ देना आवश्यक नहीं है। मैं यह समझता हूं कि नागौर और दो चार जगह चुनाव न हो। जहां अकाल की स्थिति है, भाई पीड़ा में हैं, वहां आप उसको रोक दें। लेकिन आप सारे राजस्थान को उसी गली से निकालना चाहते हैं। सारे राजस्थान की ऐसी स्थिति नहीं है कि आप चुनाव रोकें। इस पर विचार करना चाहिये। तीन दिन में विचार हो सकता है, अभी सेशन चलेगा। इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में तीन दिन के लिए रेफर कर दिया जाय। मैं एक शेर कह देता हूं:

"मुझसे ला हासिल है मेरी हसरतों का पूछना।"
यानी मेरी इच्छाओं का पूछना फिजूल है।
"मुझसे ला हासिल है मेरी हसरतों का पूछना।
तुम वही आखिर करोगे जो तुम्हारे मन में है।।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मुकरर इरशाद्।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभानेत्रीजी, मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैंने अवधि १५ दिन की रखी है। मेरे से पूर्व जिन माननीय सदस्य ने भाषण दिया है उन्होंने तीन दिन की अवधि रखी है। दोनों की अवधि से कोई झगड़ा नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : ट्रेज़री बैंचेज़ खाली पड़ी हुई हैं।

एक माननीय सदस्य : बैठे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसका मतलब यह नहीं होता कि मंत्रीजी छोटे हों तो आपको दीखे ही नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : खम्मे से धोखा हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपको क्या महसूस हो रहा है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभानेत्री जी, यह सारा समय मेरे समय से निकाल दिया जाय। डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट कोई प्रधान या मेम्बर करे पंचायत समिति में या जिला परिषद् में तो सरकार यह चाहती है कि रिमूव कर दे। प्रावधान जो बिल में रखा है मैं उसकी पूरे तौर पर खिलाफत करता हूं। इसका कारण यह है कि आज तक जितने भी आई०ए०एस०, आई०सी०एस० ऑफिसर्स हमारे देश में हैं, आर.ए.एस., आर.पी.एस. हैं, इन्डियन सर्विसेज़ में जो सर्विसेज़ हमारी हैं, इन्डियन स्टेट्स के नीचे जितनी सर्विसेज़ हैं, हमारी इस स्टेट के लाख, सवा लाख कर्मचारी हैं उनके सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट पर उनको उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया हो। राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि उनको सर्विसेज़ से निकाल दें। जब लाख, सवा लाख कर्मचारियों के लिए कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं है तो आप फिर हजार, दो हजार चुनिन्दा आदमियों के लिए, पंचायत समिति के मेम्बरों के लिए क्यों इस प्रकार का प्रावधान करना चाहते हैं ? मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): 'डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट' कोई लीगल टर्म नहीं है, नोन जस्टिफाएब्ल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस बात के लिए कर्मचारी को नहीं हटा सकते उस बात के लिए चुने हुए प्रधान को हटाना मैं उस बात को सोच ही नहीं सकता। आप कह सकते हैं कि आपने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन का ईजाद किया। आप अपने को कह सकते हैं कि हम यह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन हिन्दुस्तान में पहले लाये हैं।

इस प्रकार से सरकार ऐसा क़ानून लाना चाहती है, ऐसे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है जिसके जरिये प्रधानों को हटाया जा सके, जिला प्रमुखों को हटाया जा सके। मैं इसका व्यवहारिक पक्ष रखना चाहता हूं....

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : जिला प्रमुख का नाम नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रधानों का है, उपप्रधानों का है; लेकिन जो प्रधान होते हैं उनमें से कभी कभी जिला प्रमुख चुन लिये जाते हैं। जब आपके विधि मन्त्रीजी जवाब दे रहे थे कि दो प्रधानों को हटाने के लिये प्रावधान नहीं था। चूंकि एक सरपंच जो चुन कर आता है वह प्रधान होता है पंचायत एक्ट में जो प्रावधान हैं डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर हटाने के वे इसमें काम नहीं ले सकते, इसलिये यह प्रावधान करना पड़ा। हो सकता है आज प्रधान को हटाने के लिए यह लाया जा रहा है, उसका उपयोग जिला प्रमुख के लिये भी कर लेंगे। इसलिये आप जिस तरीके से इसका उपयोग करते हैं, रिमूवल के पॉवर किसको दे रखे हैं;

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जिले के कलेक्टर को दे रखे हैं, जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या कमिश्नर को नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकार को ये पॉवर्स दे रखे हैं....

श्री भीखाभाई : स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर दे रखे हैं, आप इसको देख लीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रिमूवल के पॉवर्स आपने कलेक्टर्स को डेलीगेट कर रखे हैं, आप उसके बारे में नोटिफिकेशन देखना चाहें तो वह भी मैं लाया हूँ।

आप पंचायत एक्ट की कह रहे हैं। प्रधान और उप-प्रधान को हटाने का प्राव-धान नहीं मिला और जिसके लिए यह कानून ला रहे हैं वह प्रधान सरपंच था और जब वह सरपंच था तो उसको राजस्थान पंचा-यत एक्ट के तहत ही हटाया जा सकता है; उनको इसकी तहत हटाने की सलाह दी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप लीगल प्रोसेस को क्यों काम में लेते हैं ? एक तरफा आर्बिट्रेशन क्यों करते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिला प्रमुख को हटाने के लिये पॉवर नहीं लिया है, यह जो आप कहते हैं, मैं पूछता हूं कि प्रधानों को हटाने की आवश्यकता है ? जिला प्रमुख ठीक ढंग से काम कर सकता है वह डिसग्रेसफुल एक्ट नहीं कर सकता....

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला प्रमुख जो होते हैं वे जिला परिषद् के प्रमुख होते हैं, जो एक प्रकार से एडवाइज़री बोडी है। उसके पास एक्ज़ी-क्युटिव फंक्शन्स नहीं है, इसलिये ऐसा नहीं कर पाते हैं; दूसरी तरफ प्रधान, उप प्रधान होते हैं उनके एग्ज़ीक्युटिव फंक्शन्स होते हैं

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप तो इस प्रावधान को समझे ही नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप क्या यह मानते हैं कि जिनके पास एग्ज़ीक्युटिव फंक्शन्स होते हैं वे ही ऐसा काम करते हैं। वे तो आपके भी पास हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अपनी ड्यूटीज़ के, फंक्शन्स के दौरान में गड़बड़ी करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है; आप इसके लिये डिसग्रेसफुल कन्डक्ट यूज़ करना चाहते हैं, इसको भी आपने कन्डक्ट ऑफ ड्यूटीज़ के बाहर माना है। मैं आपके सामने इन्स्टान्सेज़ कोट कर सकता हूं जिसके अन्दर रेप आदि को डिसग्रेसफुल एक्ट में नहीं माना है। रेप को डिसग्रेसफुल कन्डक्ट नहीं माना है, मोरल टर्पीट्यूड में आ सकता है। इसको आप रखना चाहते हैं कि आपका लॉ डिपार्टमेंट जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं क्या इसके लिये ऐसी भाषा में इसको नहीं बना सकते। चार्ज शीट किसी प्रधान के खिलाफ पेश कर दी है तो उसके खिलाफ सुन-वाई राज्य सरकार कर सकती है। इसलिये आप जो यह मिथीकल (mythical) में पावर्स लेना चाहते हैं, जब कि डिसग्रेसफुल कन्डक्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, मैं इसका बराबर विरोध करता हूं।

एक हाई कोर्ट का जज डिसग्रेसफुल कन्डक्ट करे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोई

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कानून ऐसा है क्या कि उसके अन्दर आप उसको हटा सकते हैं। जिन हाई कोर्ट के जज ने जिनको लेबर ट्रिब्यूनल में बिठाया है मुझे उनके बारे में जानकारी मिली है, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स से मजदूरों के केस में पैरवी करवा ली, आॅर्डर के खिलाफ सुनवाई हुई, उस फैसले के लिये यह कहा जाय 'यू केन टीअर इट'; यह फैसला फड़वा दिया जाय। आप इसको फाड़ भी सकते हैं। न्यायाधीश के लिये आसन पर बिठाना और वह लेबर ट्रिब्यूनल का आसन था उनको इस तरह से कहना 'you may tear it,"; यह आप फाड़ भी सकते हैं। बहुत डिस्ग्रेसफुल है।

आई० ए० एस० अधिकारी होते हैं जो बर्मा में थे वहां पर अपने बीबी-बच्चों को जो छोड़ आये और यहां पर आकर कुछ ने दूसरी शादी कर ली। मेरी परिभाषा के अनुसार मैं इसको डिस्ग्रेसफुल मानता हूँ। क्या आप कोई इस प्रकार की परिभाषा करना चाहते हैं। बिना परिभाषा किये हुए डिस्ग्रेसफुल एक्ट को जज करना चाहते हैं, यह बिल्कुल गलत है, इससे आप अच्छी परम्पराओं का निर्माण नहीं कर सकते।

हमारे यहां ७ हजार के करीब पंचायत समितियों के मेम्बर्स हैं। एक एक में दो-दो, तीन-तीन व्यक्ति कोआॅप्टेड होते हैं। इस तरह से २५० के करीब को-आॅप्टेड होंगे। इस तरह से ७५० को-आॅप्टेड मेम्बर्स के लिये यदि डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट किया जाय तो उनके लिये यह प्रावधान लाना चाहते हैं। आपके पास इसके लिये कोई लोजिक नहीं कि जिससे यह अधिकार आपको दिया जाना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि इसको स्पष्ट रूप से डिफाइन किया जाय।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डिसक्वालिफिकेशन जो सेक्शन १५ है, क्या उसके अनुसार आप डिसक्वालिफाई नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट जज दफा १७ में कर सकता है। जिसके अन्दर किसी मेम्बर या प्रधान के लिये डिसक्वालिफिकेशन मेन्शन्ड है। यह डिस्ग्रेसफुल एक्ट है उसके आधार पर आप इतना चाहते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि वह मेम्बर न बना रहे तो उसके लिये आप दफा १५ में अमेन्डमेन्ट क्यों नहीं करते? डिस्ट्रिक्ट जज के केडर के सामने काज़ेज़ बता सकता है कि यह एक्ट डिस्ग्रेसफुल एक्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आप प्रधान को भेजना नहीं चाहते, ये अधिकार आप अपने पास रखना चाहते हैं स्वोर्ड आॅफ डेमोक्लीज़ मेम्बर के सर पर लटकाये रखना चाहते हैं ताकि जो मेम्बर या प्रधान हो वह सरकार की हां में हां मिलता रहे, जी हजूरी करता रहे और जिस किसी प्रकार से गलत काम करवाना चाहे करवा लें, गलत नीतियों को क्रियान्वित करा लें, इसी लिये आप यह स्वोर्ड आॅफ डेमोक्लीज़ आप मेम्बर पंचायत समति और प्रधान पर लटकाना चाहते हैं, इसलिये मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

आज क्या सरकार ने किसी बी०डी०ओ० को हटाया है, किसी डिस्ग्रेसफुल एक्ट के कारण? आप प्रधान को तो हटाना चाहते हैं उसके नीचे बी०डी०ओ० है, बहुत से इन्स्टान्सेज़ हैं बी०डीओज़० के बारे में डिस्ग्रेसफुल एक्ट के क्या आपने किसी को

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हटाया है आप उनको हटाना नहीं चाहते। उसके ऊपर जो प्रधान बैठता है ; पंचायत समिति में प्रधान और बी०डी०ओ० के बीच अधिकारों का संघर्ष चल रहा है। बी०डी०ओ० समझता है कि मैं आर०ए० एस० अधिकारी हूं इसलिये मेरा अधिकार है शासन करने का, दूसरी तरफ प्रधान अपने अधिकार की रक्षा करना चाहता है। आज यह जबरदस्त रूप से यह संघर्ष चल रहा है। आप भी यह चाहते हैं कि प्रधान की सुप्रीमेसी न रहे, उसका एक्सुअल कन्ट्रोल न हो। इसलिये यह डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट का क्लॉज़ लाना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। इसको लाना ही चाहते हैं तो इसको कम्प्लीटली डिफाइन किया जाय और इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : पहले की व्यवस्था के अनुसार १२॥ बजे यह बहस खतम हो जानी चाहिये। १२॥ बज रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक ही क्लॉज़ है। हो जावेगी।

श्रीमती सभानेत्री : जो अमेंडमेंट मूव किये जा चुके हैं वे हो गये। अब निवेदन करूंगी कि माननीय मन्त्रीजी अपना उत्तर दें। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ अमेन्डमेन्ट बाद में आवेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस बिल का मैं विरोध करना चाहता हूं। अमेन्डमेन्ट की जरूरत ही नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : अब माननीय मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : फिर मैं क्या बोलूंगा ? मैं जनरल बिल के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैं भी कहना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे खेद है कि समय की कमी होने के कारण जिन माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेन्ट मूव नहीं किये हैं उनको बोलने का समय नहीं दिया जा सकेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मैंने भी दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : लिस्ट में नहीं है।

थर्ड रीडिंग में होगा तो देखा जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : थर्ड तो उस स्टेज में आवेगा जब प्रिन्सिपल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तो मैं चाहता हूं कि बिल को अन्डर कन्सीडरेशन लिया है उसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ नहीं लिया जावे।

श्रीमती सभानेत्री : समय लिमिटेड है।

श्री भैरोंसिंह : समय लिमिट तो नहीं हो सका। बिल बड़ा इम्पोर्टेन्ट है। ऐसे बिल के विषय में समय कर्टेल करके चलते हैं तो या तो शुरू से ऐसी व्यवस्था होती कि समय निर्धारित किया गया है इसमें इसे पास करना है।

श्रीमती सभानेत्री : ऐसी व्यवस्था की गई है। इस समय निर्धारित किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : बिजनैस एडवाइज़री कमेटी में यह जरूर बात आई थी, पर उसके अनुसार अमल होना चाहिये था वह नहीं किया गया। चेयरमैन लिबरल रहे और इस लिबरल एटीट्यूड का कुछ मेम्बर फायदा उठावें और कुछ महरूम रहें, यह आपके लिये और सदन के लिये और आपके लिबरल एटीट्यूड के लिये भी अच्छी बात नहीं रहेगी। इसलिये कुछ ही मुझे दिया जाय, मैं उसी में समाप्त कर दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (बीच) उनको दिया जावे तो हमें भी दिया जावे।

श्रीमती सभानेत्री : मैं दस मिनिट का समय देती हूं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, जो बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके उन पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत नहीं करूंगा कि जिनका उल्लेख अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों में आ गया है।

मेरा ऐसा मत है कि जब इस प्रकार का कोई ऑर्डिनेन्स आता है जिस ऑर्डिनेन्स के द्वारा पंचायत और पंचायत समितियों, जिला परिषदों या म्यूनिसिपैलिटियों के इलेक्टेड मेम्बरों को किसी प्रकार से कर्ब किया जाकर सरकार के अधीन रखा जा सकता है; यह जो प्रवृत्ति है, इसके लिये मैं ऐसा समझता हूं, कि जो माननीय मन्त्रीगण जनता से चुने हुए आकर यहां बैठते हैं उनकी नहीं हो सकती। लेकिन यह प्रवृत्ति एक संघर्ष का परिणाम है।

वह संघर्ष कहां से पैदा होता है? जब इलेक्टेड मेम्बर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उसे ब्यूरोक्रेसी पर कन्ट्रोल करने का अधिकार मिलता है। तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा इस बात की प्रतिज्ञा में रहती है कि इलेक्टेड मेम्बर एफीशियेन्ट हैं या नहीं इसे जांचा जावे, देखा जावे, डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल को ये मानने वाले हैं या नहीं, डेमोक्रसी के कन्वेन्शन डेवलप होने चाहिये, उन कन्वेन्शनों को इवेड करने वाले ये हैं या नहीं? कुछ वे इस प्रकार की प्रवृत्ति इन मंत्रि मंडल के सदस्यों में देखते हैं, उनकी इन-एफिशियेन्सी प्रकट रूप में उनके सामने आती है, उनको डेमोक्रेसी के प्रति अवस्था में कभी जब ब्यूरोक्रेसी के सामने आती है तो यह ब्यूरोक्रेसी का एक इम्पोर्टेन्ट नेचर है कि किसी प्रकार से डेमोक्रेसी को कर्ब किया जावे।

आज बदकिस्मती यह है कि हमारी आज की सरकार इस ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डेमोक्रेसी के हितों की सुरक्षा करने में बिलकुल ही इनएफिशियेन्ट साबित हुई है।

जब इस प्रकार की कोई बात आती है, डिस्प्रेसफुल के नाम पर इलेक्टेड मेम्बरों की एक्टीविटी को कर्ब करने के उद्देश्य से सरकार अपने हाथ में ऐसे अधिकार लेना चाहती है तो इसका मतलब यह है कि जो यह ऑर्डिनेन्स या बिल पेश हुआ है यह ब्यूरोक्रेसी की पहली जीत है। और वह जीत हमारे इलेक्टेड मेम्बरों की इनएफिशियेन्सी के आधार पर

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार पहले यह मानकर चले कि हम इनएफिशिन्ट हैं और आज वह अपने को इस ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से उसके कन्ट्रोल से अपने आपको मुक्त नहीं कर सकते।

आज आप कानून में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। आज विधान सभा का मेम्बर या लोकसभा का मेम्बर बलात्कार भी कर सकता है, वह मिसएप्रोप्रियेशन भी कर सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कर सकता है, किडनैपिंग भी कर सकता है; दुनिया का कोई आचरण ऐसा नहीं, जो वह नहीं कर सकता, पर डेमोक्रेसी के अन्दर वह उसी समय सजा का अधिकारी हो सकता है जब किसी काम्पीटेन्ट कोर्ट से गिल्टी प्रूव कर दिया जावे। मैं विधान सभा के सदस्यों से बड़ी नम्रता से यह पूछना चाहता हूं कि जब रेप करने का अधिकार, मिसएप्रोप्रियेशन का अधिकार, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अधिकार, किडनैपिंग का अधिकार और इस प्रकार के क्राइम्स में से बचकर निकल जाने का अधिकार लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बरों को और लोकसभा के मेम्बरों को है, तो आप किस हालत में इस बात को गलत मानकर चलते हैं कि हम भी चुने हुए व्यक्ति हैं, एक लाख व्यक्तियों ने चुनकर हमें भेजा है उनको तो इन सब क्राइमों से प्रोटेक्शन और जिसको ग्राम सभा का मेम्बर चुनकर भेजा उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं, उसको बिना किसी कोर्ट ऑफ ला में गिल्टी साबित किये सरकार अपने वहम पर निकाल सकती है। डेमोक्रेसी में यह डिस्क्रिमिनेशन पैदा क्यों किया जाता है ?

तो इसका रिज़ल्ट यह होता है कि डेमोक्रेसी का जो लोकल यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, उसकी आस्था डेमोक्रेसी की बेसिक यूनिट है उसमें नहीं बन पाती और उसके परिणाम हैं आज जो हम देख रहे हैं कि पंचायती राज के द्वारा जो अचीवमेंट हम करना चाहते थे वह पूरा नहीं कर पाये। पंचायती राज वालों की आस्था सरकार में नहीं, और सरकार की उनमें नहीं। दोनों में तालमेल ठीक प्रकार से नहीं। एक दूसरे में अविश्वास ! यह अविश्वास कैसे पैदा हुआ ? २४२ के करीब पंचायत समितियां आपकी हैं। इनमें से दो के प्रधान ने रेप कर लिया। आप उनको सस्पेन्ड करना चाहते हैं। कानून लेकर आप गये, पर उनको सस्पेन्ड नहीं कर सकते। दोनों को सजा देने की गरज से आप २४० की इन्डिपेन्डेन्स को खत्म करना चाहते हैं। यह आपकी कौनसी व्यवस्था है ? अगर क्राइम किया है और आप उन दो को सजा दिलाना चाहते हैं तो और कई रास्ते हैं, क्रिमिनल कोर्ट हैं, वहां जाएं, सजा मिलेगी। अगर वे सजा में बहाल होते हैं तो अधिकार होगा आपको अपील का। पर अब दो ने गलती की, इसलिये बाकी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जावे। यह कहां का न्याय है ? यह कौनसी आपकी डेमोक्रेसी है। अगर इनके प्रति रेप की आशंका है, तो क्यों नहीं आप कोर्ट में उनको प्रोसीक्यूट करते। एविडेन्स कोर्ट में पेश करें। आपने यह सब किया। पर फिर एविडेन्स कोर्ट में प्रोड्यूस क्यों नहीं की ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है। अगर रेप का आपको इतना दर्द है तो अपने भूतपूर्व गृहमन्त्रीजी को पूछिये। तीन तीन डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने महिला के साथ रेप किया। वे आज भी अन्डर सस्पेन्शन तक नहीं हैं। टाट

Page No.108

(श्री भैरोंसिंह)

से काम कर रहे हैं अपने पदों पर। सरकार कहती है इनको हम सस्पेन्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ? हमारी इन्क्वायरी कम्पलीट नहीं हुई। रेप से आपको जलन है। तो यह जलन यहां ठीक करो न। अकेले सरपंच पर अपनी इस जलन को लागू मत करो। इस जलन को इन विभागों की तरफ भी करो, अगर करना है और अगर इतनी ही जलन है रेप से आपको तो आप सबके साथ उस जलन को निकालो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जलन रेप से नहीं है। आपको तो जलन इसलिये है कि हमें तो अधिकार मिले, पर बाकी के लोगों को न मिले। यह आपकी टेन्डेन्सी डिस्ग्रेसफुल है। यदि इस डिस्ग्रेसफुल टेन्डेन्सी के कारण आप हैं कॉन्स्टीट्यूशन में व्यवस्थित रूप में ला सकते हैं। अपनी प्रोटेक्शन की बात तो यह डिस्ग्रेस गवर्नमेंट की है, २४२ सरपंचों की नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्ग्रेसफुलनैस के इस किस्से में मैं अधिक नहीं जाना चाहता, पर साथ ही यह भी कह देता हूं कि आपने डिस्ग्रेसफुल की डेफीनिशन भी इसमें नहीं दी। कोई भी काम उनका डिस्ग्रेसफुल हो सकता है। किसी भी प्रकार का काम दुनिया के आसमान से लेकर जमीन तक जिसको यह सरकार बुरा समझती है वह डिस्ग्रेसफुल हो सकता है और जिसको वह नहीं समझे वह नहीं हो सकता। तो इससे तो सबसे बढ़िया यह होगा कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के कानूनों को खत्म किया जाकर एक व्यवस्था आप कर दें कि यह राजस्थान सरकार जिसको पंच मानेगी वह पंच रहेगा, यह राजस्थान सरकार जिसको सरपंच मानेगी वह सरपंच रहेगा, जिसको प्रधान मनेगी वह प्रधान होगा। बाकी कोई चीज नहीं हो सकती ?

आपने ऑर्डिनेन्स पास किया। क्यों किया ? दो को आप सस्पेन्ड करना चाहते थे। मैं सरकार के विधि मन्त्रीजी से पूछता हूं आपने ऑर्डिनेन्स निकालने के बाद भी क्या उनको सस्पेन्ड कर दिया ? नहीं कर सके। स्टे हो गया हाई कोर्ट से। स्टे होने से ऑर्डिनेन्स इश्यू करते है। फिर भी सस्पेन्ड नहीं कर पाये। तो आपका परपज़ तो यह था कि ये अन्डर सस्पेन्शन किसी प्रकार से रहें। आप बता दीजिये दोनों सस्पेन्ड किये हुए हैं क्या ? नहीं हैं। तो मेन परपज़ जो आपका सस्पेन्ड इनको करने का था, वह परपज़ आपका पूरा नहीं हो रुका। आज दिन तक दोनों प्रधान के पद पर काम करते हैं। तो जिनके लिये सस्पेन्ड करने का ऑर्डिनेन्स लागू किया उसको इम्पलीमेन्ट नहीं कर पाये। पर उसको आप २४२ पर लागू करना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि इस प्रकार का काला कानून इस विधान सभा में पेश होता है तो यह सारे सदन के लिये डिस्ग्रेसफुल है। न केवल विरोधी लोगों के लिये, पर ट्रेज़री बैंचों के लिये भी।

आप समझते हैं कि इन कुर्सियों पर बैठने की हमने बपोती ले ली है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में जमाना बदलता रहता है। हो सकता है, आपके बाद में कोई दूसरी गवर्नमेन्ट आये और वह डेमोक्रेसी में विश्वास न रखकर उस गवर्नमेन्ट के हाथ

(श्री भैरोंसिंह)

में ऐसा अधिकार दे दिया तो इस कानून का सहारा लेते हुए इन बेसिक इन्सटीट्यूशन्स को वह खत्म कर सकती है। आप इसके आगे के कॉन्सीक्वेन्सेज़ को देखिये। आपको किसी पंचायत से जलन हो सकती है, आप किसी सरपंच को न चाहें, यह बात मानी जा सकती है। लेकिन उसके बहुत तरीके हैं। आप उनको जो डिसग्रेसफुल एक्ट करते हैं उनको आप पुलिस विभाग में दे दें। अगर साबित हो गया तो उसको सजा होगी और अपने आप वह आदमी डिस्क्वालीफाई हो जायेगा। आपने जो व्यवस्था की है तो क्या सस्पेन्ड करने के बाद में आप गारन्टी देते हैं कि कोई प्रधान रेप नहीं करेगा ? क्या सरकार कह सकती है कि यह सस्पेन्शन का क्लॉज़ आने के बाद में कोई प्रधान मिस-एप्रोप्रियेशन नहीं करेगा ? मैं ऐसा समझता हूं, सभापति महोदय, कि डेमोक्रेसी को अपने आप चलने देने की इजाजत होनी चाहिये कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से फ्लरिश करे और डेमोक्रेसी लोगों की आस्था के रूप में किस प्रकार पैकट हो उसमें सरकार का जितना इन्टरफियरेन्स ज्यादा होगा वह डेमोक्रेटिक एक्सपेन्शन नहीं होगा बल्कि सरकार का प्रयास होगा कि हम तो डेमोक्रेसी में असफल हुए हैं और जो डेमोक्रेसी में आस्था लेकर चलते हैं उनको आपका शिकार होना पड़ेगा। मैं माननीय विधि मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न उठाया था और आपने कई बार इसी हाउस में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए उनको हम सस्पेन्ड नहीं कर सकते ....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : यह नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : डिसग्रेसफुल एक्ट की व्यवस्था नहीं है। अब एक प्रश्न मोटा आता है कि सरकारी कर्मचारियों को डिसग्रेसफुल एक्ट के कारण सस्पेन्ड नहीं किया जा सकता, विधान सभा और लोकसभा के मेम्बर्स को सस्पेन्ड नहीं किया जा सकता, जिला परिषदों के मेम्बर्स को डिसग्रेसफुल एक्ट के कारण से सस्पेन्ड नहीं किया जा सकता तो आपको कौन सी नैतिकता का तकाजा है कि आप पंच और सरपंच के ऊपर इस प्रकार का कुठाराघात करना चाहते हैं। सरकार के बड़े बड़े मंत्री, श्रीगुलजारीलाल नन्दा और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी यह सब घोषणा करते हैं कि करप्शन रोका जाये, तो ऊपर से रोका जाये और हमारे भीखाभाई जी जो पंचायत मंत्री हैं वे कहते हैं कि करप्शन ऊपर से नहीं पंचायतों से रोका जाये। तो यह पंचायतों से रोकनेवाला करप्शन रुकेगा नहीं, वे पंच इस एडमिनिस्ट्रेशन को पन्चर करके छोड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज को करना चाहते हैं उसको पहले ऊपर से लायें। यदि मंत्री कोई डिसग्रेसफुल एक्ट करता है, कोई भी मंत्री करता है, उस मेम्बर को विधान सभा से हटा दिया जायेगा और मैं तो इतना एश्योरेन्स चाहता हूँ इस डिसग्रेसफुल एक्ट के लिए कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आश्वासन दें कि कोई मंत्री डिसग्रेसफुल एक्ट करेगा तो उसको मंत्रि-परिषद से हटा दिया जायेगा— यदि इस प्रकार का आश्वासन वे दें तो यह एक बहुत बड़ा चेन्ज होगा। आपको तो छूट है लेकिन दूसरों को छूट नहीं है। यह ठेकेदारी कैसे चलेगी ? इसकी रोकथाम करने के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

जरूरी है कि आप डिस्ग्रेसफुल एक्ट के बारे में जो विधेयक लाये हैं उसको वापिस लें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। जिसको आप सस्पेन्ड करना चाहते हैं वह परपज़ आपका सर्व नहीं होगा और विदाउट परपज़ इस प्रकार का अमेन्डिंग बिल पास करवाना चाहें तो यह आपके लिए डिस्ग्रेसफुल होगा। उस डिस्ग्रेसफुल एटीट्यूड को किस प्रकार से रोका जाये, इसका एक तरीका है कि इस व्यवस्था को जो आप लाना चाहते हैं वह समाप्त कर दें।

दूसरे सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक साल का समय बढ़ाने की मांग की है, यह एक साल का समय क्यों बढ़ाया जाये, इसकी कुछ विशेष परिस्थिति बताई। सरकार घोषणा करे या नहीं, लेकिन सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट आयेगी उस समय कुछ अमेन्डमेन्ट्स सजेस्ट किये जायेंगे। मैं सरकार से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हम इस बात के लिए सरकार से को-ऑपरेट करेंगे कि कमेटी की आड़ में जो टाइम के एक्सटेन्शन की मांग की है उसको मन्जूर करें–यह हम मानने वाले नहीं हैं कि आप परमानेन्टली इस प्रकार की व्यवस्था कर लें, हम एक साल तो एक्सटेन्ड कर लें। अगर यह हो गया तो हम निवेदन करेंगे कि वही हाल होगा जो म्युनिसिपैलिटिज़ का हुआ है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स अपोइन्ट कर दिये और कई म्युनिसिपैलिटीज़ का टाइम एक्सटेन्ड कर दिया। इसके फलस्वरूप म्युनिसिपैलिटीज़ में डेमोक्रेसी है ही नहीं और जो इस प्रकार की परिस्थिति आपने वहां पैदा कर दी है वही स्थिति आप पंचायत समितियों में पैदा करना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति आप पैदा नहीं करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि एक साल का एक्सटेन्शन कन्डीशनल होना चाहिये। आपके दिए हुए रीज़न्स को हाउस कोमोडेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सदा के लिए आप यह व्यवस्था करना चाहें उसको हाउस मन्जूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं पंचायत विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी तो यह कलंक किसी पर नहीं आयेगा। यह कलंक आयेगा आप पर। हो सकता है, आपको लगा हुआ कलंक किसी को नजर न आये, लेकिन उसके द्वारा किये हुए एक्शन से हर आदमी परेशान होगा।

श्री भीखाभाई : काला होने के कारण कलंक नजर नहीं आयेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो भगवान का दिया हुआ कलंक है।

श्री भैरोंसिंह : जो आपका कृष्ण रंग है यह तो सौभाग्य की बात है। आप जलन करते हैं कि दूसरों का रंग ऐसा क्यों नहीं है ? मैं तो समझता हूं कि आपका जैसा सुन्दर रंग सबको मिले।

श्री मथुरादास माथुर : टार कोल लगा लो, वैसा रंग हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप एक्सपेरीमेन्ट करो कि कोलटार से मुंह काला होता है क्या ? ये दोनों बिल्कुल एक कन्डीशनल होने चाहिए। तो दूसरा जो इश्यू है उसको बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए। यही मांग करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय अपना उत्तर दें।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : सभापति महोदया, अभी अभी इस बात पर जोर दिया गया कि............

(१२.४६ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)

यहां पर ऑर्डिनेन्स को लेकर बहुत सी बातें कही गयीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किन किन परिस्थितियों में ऑर्डिनेन्स जारी किया जाना चाहिये उसके बारे में आर्टीकल १२३ साफ है। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इसके ऊपर एक बार पार्लियामेन्ट में बहस मुबाहसा हुआ था और एक बार जब श्री सी० डी० देशमुख थे उस समय में इस प्रश्न को उठाया गया था कि ऑर्डिनेन्स जारी कब किया जाना चाहिये, कैसे किया जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्टीकल १२३ साफ है और उसमें यह कहा गया है कि जब कोई इमीजियेट एक्शन लेने की आवश्यकता हो तो ऑर्डिनेन्स जारी किया जाना चाहिए और हर ऑर्डिनेन्स के बारे में यह भी बात है कि उसको मैरिट्स पर देखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर दो बातों को लेकर ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था और दो बातें वे क्या थीं; एक बात जिसके बारे में ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था वह यह थी कि डिस्ग्रेसफुल एक्ट होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट है क्या, किस प्रकार से पैदा हुआ और कहां से निकला? यहां पर हमारे कई माननीय सदस्यों ने इसकी बहस की कि यह इस प्रकार का डिस्ग्रेसफुल कन्डक्ट की बात नहीं की गयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई नई नीति का यहां निर्माण नहीं किया गया है। यह पुरानी चीज जो चली आ रही है और जो राजस्थान में ही नहीं है, मैं यह निवेदन करूं कि राजस्थान में जो यह अधिनियम हैं उनमें है; पंचायत एक्ट में है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट में है, गुजरात में पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट है उसमें है, महाराष्ट्र में है और दूसरे राज्यों में इस प्रकार के जो प्रावधान हैं उनमें भी हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम जो हैं, एक हमारा जो प्रधान है उसके रिमूवल की बात है, यह नहीं है। सेक्शन ५० जो जिला परिषद् का अधिनियम है उसके अनुसार सरकार को वह अधिकार है, सरकार में वे शक्तियां आई हुई हैं। फिर आप यह कहेंगे कि सरकार इस बात के लिए क्यों ऑर्डिनेन्स जारी करती है तो माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं माननीय शेखावत साहब उन्होंने जो बात कही है और जो परिस्थितियां बताई हैं तो मैं निवेदन करना चाहता था उसके बारे में कि उन परिस्थितियों को लेकर जिस प्रकार ऑर्डिनेन्स निकालने का सवाल आया वह साफ हैं। इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है, इसमें ग्रुपिंग का सवाल नहीं है, इसमें पार्टी पोलिटिक्स का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य जो बीकानेर से आते हैं और मेरे एक मित्र जो अलवर से आते हैं उन्होंने इस तरह की बातें कहीं और इस तरह का चार्ज लगाया

(श्री भीखाभाई)

है कि इसमें पार्टी पोलिटिक्स के दृष्टिकोण से इस डिसग्रेसफुल कन्डक्ट को डालना चाहते हैं, ऐसी कतई चीज नहीं है। आपने ही इस प्रकार के अधिकार पहले से दे रखे हैं। यां सारी सम्पूर्ण और इस प्रकार की चीज है कि आपने पहले एक प्रावधान बनाया है। बहुत दूर नहीं, सन् ५३ की बात है कि आपने टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट बनाया तो ५३ में आपने इस बात को मान लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब उस बात को मान लिया और सब ने मान लिया तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि....

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : आप क्लेरीफिकेशन थोड़ा सा बता दें कि म्युनिसिपैलिटीज़ में जो हमने माना है तो पॉवर गवर्नमेंट में नहीं रख कर जुडीशियल ट्रिब्यूनल को है।

श्री **भीखाभाई** : ऐसा कतई नहीं है। मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहूँगा कि वह बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई नई बात या नई नीति का निर्माण हम नहीं करना चाहते। केवल एक ही चीज कहना चाहते हैं और वह यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार का प्रोवीज़न हमारे पंचायत एक्ट के अन्दर है, उसके सेक्शन १७ के सबसेक्शन (४) के अन्दर है तो कोई कारण नहीं होता है कि जिस प्रकार की चीज उसमें है वह पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट के अन्दर नहीं हो। यह एक असंगति है, यह एक इन्कॉन्ग्रूइटी है, इसको इनकन्फर्मिटी करना है, इसमें जब सामन्जस्य स्थापित करना है तो यह आवश्यक हो जाता है कि यह एमेंडमेंट लाया जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर निवेदन किया और जो बातें हमारे सामने आईं, इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने और निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने उन बातों को बताया कि सरपंच मनमाने ढंग से और अपने निजी तरीके से काम करते हैं, तो स्वभाविक रूप से इस बात का समर्थन प्राप्त होता है कि इस बिल को पारित किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से और रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य से कि उन्होंने बताया कि मनमाने ढंग से काम करके व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं उसके लिए ही तो सारा सदन इस बात....

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : आप हटाने के लिए मनमाने ढंग से काम करते हैं।

श्री **भीखाभाई** : दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता था वह यह है कि इसके अन्दर जो कार्यकाल बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा तो उस समय असेम्बली का सेशन नहीं था और दिसम्बर और जनवरी के अन्दर इलेक्शन ड्यू थे और इसका एक तरह से पंचायत एक्ट के अन्दर इस प्रकार का प्रोवीजन सेक्शन ७ के अन्दर कर रखा है कि from time to time एक साल तक की अवधि बढ़ सकती है। इस कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को है। मैं सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के संशोधन दिये हैं। क्या संशोधन दिये हैं?

(श्री भीखाभाई)

उन्होंने कहा है कि इसको जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाय । दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से कोई डिले करने की डायलेट्री चीज नहीं होनी चाहिए जिसके कारण से जो तात्कालिकता और तत्परता की जरूरत थी वहां इस प्रकार का एक्शन लिया गया है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी गुन्जायश नहीं है कि इस विधेयक को पोस्टपोन किया जा सके किसी काम के लिए । इसमें माइनर एमेंडमेन्ट्स हैं और वे एमेंडमेंट्स कोई नये नहीं हैं । वे दूसरी जगह हैं जो कि यहां रह गये हैं । इसको एक तरह से ओमीशन कह सकते हैं और उसके लिए हम (सदन) जिम्मेवार हैं । राज्य सरकार ही जिम्मेवार हो, मैं इस बात को मानता नहीं, क्योंकि हम आपको मानते हैं, आप जनतन्त्र को बनाने वाले हैं । हम कोई गलती करते हैं तो उसको रोकने वाले आप हैं । आपकी और हमारी सब की गलती हुई है । (सरकारी पक्ष की ओर से हियर, हियर) ओमीशन है या कमीशन है या कोई गलती हो गई है तो सभी पक्ष के लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन कारणों से इस अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता महसूस हुई है । मैं समझता हूं कि जो रीज़न्स बताये गये हैं वे बड़े प्लॉजीबल और कन्विन्सिंग हैं, और कन्विन्सिंग होने के कारण मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इसके बारे में अभी कुछ माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया, कुछ व्यक्तिगत मामलों को लेकर अपने अपने क्षेत्रों के कुछ प्रश्न उठाये, माननीय उपाध्यक्ष, मैं उनका जवाब इस वक्त में नहीं देना चाहता । जो प्रश्न उठाये हैं, जो बातें ध्यान में लाये हैं उनके बारे में मैं खुद मिल कर या अगर वे स्वयं मिलें मुझसे तो बड़ी कृपा होगी उनकी ओर से, ताकि उनकी डिगत में जाकर कुछ कार्यवाही कर सकता हूं । तो मैं यही निवेदन करना चाह रहा था कि जो हमारे माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं उन संशोधनों को विथड्रॉ करें और इस बिल को पारित कराने के लिए अपना सहयोग दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : इतने सारे कारण बताने के बाद विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान पंचायत तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ के सम्बन्ध में मैंने दो संकल्प प्रस्तुत किये हैं । उन दो संकल्पों के सम्बन्ध में जो मैंने तर्क प्रस्तुत किये हैं और उनके समर्थन में जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और माननीय मंत्री महोदय ने उसके बाद में जो जवाब दिया है, इतने सारे लोगों के कहने के बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रवृत्ति थी जैसा कि माननीय ज्वालाप्रसादजी, जो कि नसीराबाद से आये हैं, उन्होंने एक शेर सुनाया था वैसा तो मुझे याद नहीं है । भैंस के आगे बीन बजाओ लेकिन वह बगराती रहती है । याना उनके इस बिल के समर्थन में उस तरफ से भी माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट नहीं किये । एक ने भी यह विचार प्रकट नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया कि जिससे इस बिल का समर्थन होता हो। स्वयं उनकी कांग्रेस पार्टी की जो मिनिमम चीज हो सकती है और जो पार्टी का एक अच्छा नेता होता है वह होता है सेक्रेटरी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : I take objection to it. I am here only as a member and it is a question of my conscience कि राजस्थान में इस तरह से ऑर्डिनेंसेज़ जारी नहीं होने चाहिए। इन शब्दों में कोई वह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह समझते हैं कि आपकी कॉन्श्यंस में यह अनावश्यक है तो बाकी के जो सदस्य हैं जो उसके समर्थन में हैं उनकी गिल्टी कॉन्श्यंस है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी गिल्टी कॉन्श्यंस हो सकती है, मेरी पार्टी के सदस्यों की नहीं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : किसी की दाढ़ी में तिनका होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : किसी को दाढ़ी में लठ्ठ भी नहीं दिखाई देता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीन सदस्य के बारे में शिकायत नहीं करता हूं। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं आपकी भावनाओं की दाद देता हूँ कि आपने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव भले ही तीन दिन का ही रखा हो, लेकिन उन्हें वह भी स्वीकार नहीं है। मिनिमम जो चीज हो सकती है कि इस बिल को तीन दिन के लिए प्रवर समिति में भेज दिया जाय, वह भी उन्हें स्वीकार नहीं है, दूसरे माननीय सदस्यों का स्वीकार न हो। इस ऑर्डिनेन्स के सम्बन्ध में आपने बताया, ऑर्डिनेन्स संख्या ५ के बारे में बताया, लेकिन ऑर्डिनेन्स संख्या ४ को क्यों जारी किया? उसके रीज़न्स नहीं बताये आपने। आपने यह नहीं बताया है कि इस पॉवर का किस प्रकार से उपयोग करेंगे।

ऑर्डिनेन्स के जारी करने के बारे में सी० डी० देशमुख की किताब न मालूम किसने आपको दे दी, लेकिन किस प्रकार से आपने उन अधिकारों का दुरुपयोग किया वह किताब यहां लाइब्रेरी में भी नहीं है, सन् १९५८-५९ के हाई कोर्ट के फैसले में यहां सदन के सामने रखता और बताता कि पंचायत समिति के कॉन्स्टीट्यूशन में किस प्रकार से कॉम्युनिटी के आधार पर किया गया है।

हाई कोर्ट का डिसीज़न है उसमें सारी बातें कोट की गई हैं कि किस प्रकार पंचायत समिति और नगरपालिका को सस्पेन्ड किया गया, डिज़ोल्व किया गया और वह किस आधार पर किया! आप इस केस को ए० आई० आर० में पढ़ लें। उसमें है कि क्योंकि उसमें कांग्रेस के मेम्बर नहीं जीते थे और कांग्रेस में भी सत्तारूढ़ दल है उसके मेम्बर नहीं जीते थे, इसलिए किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों का किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं उन सारी बातों में मैं समय नहीं लेना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके यहां के बाद भी आपका क्या एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अनडेमोक्रेटिक है इस सम्बन्ध में, क्योंकि एम. एल० ए०, एम० पी०, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इस तरीके के डिस्प्रेसफल काम करने पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर पंचायत समिति सरपंच, पंच और प्रधान आदि के लिए ही क्यों होनी चाहिए- इसके बारे में आप कोई तर्क नहीं दे सके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में केवल मात्र इस बात पर तुले हुए हैं माननीय मन्त्री कि ऑर्डिनेन्स निकल गया है और एक गल्ती हो गई है तो उसको किसी न किसी प्रकार से विधेयक बनाना है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य गुड कांशियंस रखते हैं जिस प्रकार से नसीराबाद से आने वाले सदस्य रखते हैं और उनका जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को रखते हैं और चूंकि इस मामले में उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों पर व्हिप जारी नहीं हुआ है और २३२ पंचायत समितियों में उनके प्रधान या उप-प्रधान हैं जिनका वे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में अगर प्रधान नाराज हो गये तो दुबारा जीत कर आना मुश्किल हो जायगा, इसलिए मेरे संशोधन के पक्ष में सबको वोट देना चाहिए और इसे पारित किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक....नो नो प्रश्न यह है कि जो संशोधन जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रवर समिति में सुपुर्द करने हेतु माननीय सदस्यों ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

अब समय के संकोच को देखते हुए जो अमेंडमेंट्स क्लॉज़ेज़ में आये हैं उनके संबंध में मिनट, दो मिनट में अपने वक्तव्य समाप्त करने को माननीय सदस्य कृपा करें। मैं समझता हूँ कि जनसंघ के माननीय नेता ने जो आश्वासन दिया था कि उनके बोलने के बाद शायद उनकी पार्टी के सदस्य संशोधन पेश नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेरा आश्वासन कन्डीशनल था। मैंने

(श्री भैरोंसिंह)

सोचा था कि शायद सदन की भावनाओं का माननीय मन्त्री आदर करेंगे । उन्होंने नामंजूर किया है तो मेरे लिए भी मजबूरी है कि उनको कहने के लिए मना करूं ।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : मैं तो आदर करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष ; क्लॉज़ २. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ के सम्बन्ध में मेरा जो संशोधन है उनको मैं सदन में प्रस्तुत नहीं करूंगा । यदि सरकार यह आश्वासन दे दे कि एक वर्ष के बाद, जो आपत्तिकालीन परिस्थिति के कारण एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है, इस अधिकार का हमेशा हमेशा के लिए सरकार उपयोग नहीं करना चाहती । यह मन्शा है तो उसका आश्वास दे दीजिये, मैं सदन में अपना संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं करूंगा ।

श्री रामकिशन (वैर) : आश्वासन नहीं दे सकते ।

एक माननीय सदस्य : दे देंगे ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक वर्ष की अवधि बढ़ाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि यह एमर्जेन्सी के कारण है और राज्य सरकार की अमूमन यह मन्शा नहीं रहेगी जब तक ऐसी हालत न हो जाय और चुनाव आगे सरकाना एक महीने, दो महीने के लिए जरूरी न हो जाय; वरना हमेशा यह कोशिश रहेगी, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वैसे भी समय पर चुनाव हों यह प्रजातंत्र के हित में है-इसलिए हमारी नीति रहेगी । और कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई तो उसको सदन के सामने रख कर उसकी सूचना देकर ही करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

(विराम)

श्री रामकिशन ।

(संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड ३ एवं ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३, ४ एवं ५ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

खण्ड ३,४ एवं ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): 'ना' पक्ष जीता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : तीन क्लॉज़ रखी हैं, किसमें 'जीता' ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रश्न को पुनः रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड ३, खण्ड ४ एवं खण्ड ५ विधेयक के अंग बनें।

(मतदान के पश्चात्)

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ ३ अलग रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Let it be kept separate

क्योंकि गुड कांशियंस वाले हमारे साथ वोट करेंगे।

(विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो रख चुके हैं, फिर रखेंगे। यह क्या तमाशा है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्)

विपक्ष के माननीय सदस्य : 'Noes' have it.

राज्यपक्ष माननीय सदस्य : 'Ayes' have it.

श्री उपाध्यक्ष : You want division ?

अनेक आवाजें : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम से कम प्रधानों को दिखायेंगे तो सही।

(मत विभाजन सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता

विपक्ष के माननीय सदस्य : 'Noes' have it.

राज्यपक्ष के माननीय सदस्य: 'Ayes' have it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वोइस से एक बार डिक्लेअर कर दें। वे क्लेम कर लें, यह दूसरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : 'Ayes' to 'Ayes' lobby and 'Noes' to 'Noes' lobby.

श्री उपाध्यक्ष : विभाजन का नतीजा इस प्रकार से है :

हां पक्ष : ५२

ना पक्ष : ३७

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना।

(विभाजन सूचियों के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य :

'हां' पक्ष

श्री अलदाराम मीणा

श्री अमृतलाल यादव

श्री भगराज चौधरी

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री भरतलाल
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री दौलतराम सारण
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेशलाल
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलचन्द
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हनुमानसिंह चौधरी
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री जगनसिंह
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरवड़
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद
श्री कानाभाई नुवाल
श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)
श्री किशनसिंह बाटड़
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
श्री लालाराम
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोहनराज
श्री मोतीलाल चौधरी
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री प्रभुलाल सेन्टर
श्री रघुनाथ बिश्नोई
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रविशंकर याज्ञनिक
श्री रूपाराम पंवार
श्री सांवलियाराम
श्रीमती सुमित्रा
श्री स्वरूपनारायण पुरोहित

(श्री उपाध्यक्ष)

'ना' पक्ष

श्री ए० जब्बार
श्री अभयसिंह
श्री भैरोंसिंह शेखावत
श्री चन्द्रसिंह बर्फा
श्री चोसरसिंह बाबेल
श्री दयाचन्द सौन
श्री फतेहसिंह
श्री गोपीलाल गोठवाल
वैद्य श्री गोविन्दसहाय
श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री हरिराम चौहन (तिजारा)
श्री हरफूल
श्री हरिशंकर
श्री हीराभाई
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री जोधसिंह चौहन
श्री केदारनाथ
श्री केसरीसिंह (पाली)
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
श्री ललितमोहन
श्री मानिकचन्द सुराणा
श्री मावा
श्री मूलचन्द चौधरी
श्री मुरलीधर व्यास
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)
श्री नत्थसिंह (भरतपुर)
श्री नाथूलाल करोल
श्री राधाकृष्ण गोयल
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री रामकिशन
श्री रामसहाय
श्री रामसिंह
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री विठ्ठल
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा]

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ और ५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ और ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १, इनेक्टिंग फोमुला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फोर्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

Next Business.

अनेक माननीय सदस्य : अब टाइम हो गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब ,तो ५ मिनट ही रह गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सटेन्ड कर देंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : No, Time should not be extended.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि तीन दिन में सारा कार्य समाप्त करना है, अभी चार बिल बकाया हैं । कुछ समय आज भी बढ़ाया जा सकता है, १० मिनट में काम हो जायगा, कुछ समय एक्सटेंड कर दिया जायगा ।

अनेक माननीय सदस्य : समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ज्वालासप्राद शर्मा : रात को भले ही बुला लीजिये, अभी नहीं बैठ सकते, पेट में भूख लगी है ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० पू० १०.२५ बजे दिनांक ४ मार्च, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिये,स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, दिनांक ३ मार्च, १९६४)

स्कम्भ

१. तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

मांडारेज-उकाली सड़क।

मिडल स्कूल, सूरजपोल दरवाजा, कोटा की इमारत।

ठेकेदार को अधिक पेमेंट।

रवीन्द्र मंच।

ग्राम मंडार विद्युत् योजना।

ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं, ग्राम पल्लू।

नव-निर्मित हॉल गिर जाने से मजदूरी की मत्यु।

बिजली सप्लाई, कस्बा पिलाती।

राजस्थान राज-पत्र की निर्धारित कीमत।

सिगाणे से वलाचा तक पक्की सड़क।

बिजली की बकाया की वसूली-ग्लास फैक्टरी, धौलपुर।

सांचोर-केरिया बस सर्विस।

बीकानेर-देहली सड़क निर्माण कार्य।

स्कम्भ

भाखरा की बिजली-तिजारा क्षेत्र को।

मंत्रियों की कारों पर खर्चा।

ग्राम ठिकरिया से खवा तक सड़क।

जिला बांसवाड़ा में बिजली।

आर्टिस्टिक क्राफ्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्युट।

गुढ़ा कटला रोड का ठेका।

कार्यपालिका व न्यायपालिका।

फेब्रिकेटर्स को लोहे का कोटा।

सार्वजनिक क्षेत्र में ऊनी मिल।

बीकानेर शिक्षा मंडल के ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापकों को ट्रेंड ग्रेड।

खेती के लिए बिजली।

२. अतारांकित प्रश्न के शीर्षक ८९

बुनियादी माध्यमिक शालाएं।

अध्यापक दिवस।

हाई स्कूल छात्रावास, निवाई।

स्कम्भ स्कम्भ

विश्वविद्यालयों में शिक्षा शुल्क ।

देवस्थान की सम्पत्ति, बड़ी सादड़ी ।

जल बोर्ड योजना, जिला कोटा ।

ग्रामों को बिजली, तहसील नादौती ।

बिजली की बकाया, अलवर ।

लवण उत्पादन के लिए भूमि का अलॉटमेंट ।

तेल घाणी समिति को ऋण, सूरोट ।

प्रतापगढ़ क्षेत्र में सड़कें ।

सड़क योजना, जिला झुंझुनू ।

जिला कोटा व झालावाड़ में सड़क निर्माण–कार्य ।

पेन्शन केसेज़, कोटा डिविज़न ।

जिला झुंझुनू में सड़कों के लिए स्वीकृत धन-राशि ।

मजदूरों के लिए क्वार्टर्स–सादुल टैक्सटाइल मिल्स ।

२. राज्यपाल महोदय का सन्देश १०७

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित सन्देश पढ़ा गया :—

"दिनांक २१ फरवरी, सन् १९६४ को विधान सभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त संतोष हुआ है ।"

३. स्थगन प्रस्ताव १०७

राणाप्रतापसागर बांध पर मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने तथा एक मजदूर की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा, के स्थगन–प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई ।

श्रम मन्त्री, श्री भीखाभाई, ने स्थिति का स्पष्टीकरण करने हेतु एक वक्तव्य दिया ।

४. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ११५

प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री मानिकचन्द सुराणा, सदस्य, विधान सभा, ने बीकानेर मेडीकल कॉलेज के विद्यार्थियों में हाल ही में हुए झगड़े से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया ।

चिकित्सा मन्त्री, श्री बरकतुल्ला खां, ने उपरोक्त विषय पर एक वक्तव्य दिया ।

५. विधायी कार्य ।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४ १३८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, ने निम्नांकित परिनियता (Statutory) संकल्प प्रस्तुत किया :–

"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ एवं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६३ को अस्वीकृत करता है।"

श्री भीखाभाई, प्रभारी मन्त्री, ने प्रस्ताव किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ।

सर्व श्री मुरलीधर व्यास, कृष्ण कुमार गोयल, योगेन्द्रनाथ हांडा एवं रामानन्द अग्रवाल ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किये ।

सर्व श्री रामकिशन, केदारनाथ, अब्दुलजब्बारखां, ज्वालाप्रसाद एवं मानिकचन्द सुराणा ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किये ।

प्रभारी मन्त्री के उत्तर के पश्चात् संकल्प एवं संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किये गये ।

विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

बुधवार, दिनांक ४ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन -कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ (संकल्प की प्रस्तुति, विचार-विमर्श एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३७ का उत्तर देखिए)

List of Rates at which power is being sold out to Birla Education Trust, Pilani and Central Electronic Engineering Research Institute.

1. Ist 30 Kwh per month-5.25 annas/unit.
2. Next 50 Kwh per month-2.25 annas/unit.
3. All in excess of 80 Kwh per month 1.75 annas/unit.

Subject to a rebate of 0.25 annas/unit provided the monthly bill is paid in full within the time specified on the bill, and a surcharge of 20%as under :-

A. An addition of 15% for supply in Rajasthan area over the rates approved for the Punjab area.

B. Reduction of 5% on account of metering on 11 KV insted of 400 volts: and

C. An addition of 10% to recover the surcharge levied by Punjab on supply of power to Loharu instead of Rajgarh.

Note:—The surcharge of 10% under (C) above would be discontinued after power from Rajgarh becomes available at PILANI.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३८ का उत्तर देखिए)

राजस्थान राजपत्र की दरें

सम्पूर्ण राजपत्र	४० रु० वार्षिक	२० रु० वर्ष वार्षिक
भाग १ व २	२२ रु० वार्षिक	११ रु० ,, ,,
भाग ३,४ व ५	२२ रु० वार्षिक	११ रु० ,, ,,
भाग ६	१२ रु० ,, ,,	६ रु० ,, ,,
भाग ७	१२ रु० ,, ,,	६ रु० ,, ,,

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२१ का उत्तर देखिए)

क्रमांक	नाम फेब्रिकेटरस	तादाद काली चद्दर दी गई सन् १९६१-६२ में
१	२	३
१.	गरोश आईरन फैक्ट्री भरतपुर	२।३ मे०टन
२.	कृष्णा आईरन फैक्ट्री भरतपुर	२।३ ,,
३.	नेशनल आईरन वर्कस, भरतपुर	२।३ ,,
४.	पंजाब आईरन वर्कस, भरतपुर	२।३ ,,
५.	ओम आईरन वर्कस, बयाना	—
६.	सुरेश आईरन वर्कस, भरतपुर	२।३ ,,
७.	रमन आईरन एण्ड स्टील वर्कस, भरतपुर	२।३ ,,
८.	अमर इन्जी० वर्कस, भरतपुर	२।३ ,,
९.	जमीदार कृषिकल कारखाना, भरतपुर	२।३ ,,
१०.	चैतन्य आईरन वर्कस, भरतपुर	—
११.	राज० ऐग्री० इम्प० वर्कस, भरतपुर	२।३ ,,
१२.	जमुना आईरन वर्कस, भरतपुर	२।३ ,,
१३.	राजस्थान आईरन वर्कस, भरतपुर	२।३ ,,
१४.	गोबिन्द आईरन वर्कस, बयाना	२।३ ,,
१५.	दामोदरलाल दाउमल, डीग	२।३ ,,
१६.	भानामल एण्ड क०, भरतपुर	—
१७.	रामप्रसाद ज्वाला प्रसाद, डीग	२।३ ,,
१८.	फूलचन्द गीरराज प्रसाद, डीग	२।३ ,,

१	२	३
१६.	बाबूलाल राधेश्याम, डीग	२।३ ,,
२०.	भगवानदास नारायनदास, डीग	२।३ ,,
२१.	सांवलदास रामचन्द्र, डीग	२।३ ,,
२२.	भारत आईरन वर्क्स, डीग	२।३ ,,
२३.	बूड़मल मटोकी राम, डीग	२।३ ,,
२४.	कलूराम छोटेलाल, डीग	२।३ ,,
२५.	कुन्दनलाल गिरराज प्रसाद, डीग	२।३ ,,
२६.	राजस्थान आईरन एण्ड स्टील कारपोरेशन, धौलपुर	२।३ ,,
२७.	भरतपुर एग्री० इम्प० वर्क्स, भरतपुर	२।३ ,,
२८.	ब्रज काटेज इन्डं० वैर	२।३ ,,

———

LIST OF FABRICATORS OF BHARATPUR AND DETAILS OF RAW MATFRIAL ISSUED DURING 1962-63

S. No.		Name of Fabricators.	Material Issued from Scrap Quota		Material Issued from Prime Quota	
1		2	3			
1.	M/s.	Ganesh Iron Factory, Bharatpur	1·150	Ton.	0.750	Ton.
2.	„	Krishana Iron Works, „	1.600	„	0.500	„
3.	„	Punjab Iron Works, „	1.750	„	0.750	„
4.	„	Suresh Iron Works, „	1.550	„	0.500	„
5.	„	Raman Iron Works, „	2.000	„	0.500	„
6.	„	Amar Eng. Works, „	1.500	„	0.600	„
7.	„	Zamidar Krishikar Karkhana, Bharatpur	1.000	„	0.750	„
8.	„	Rajasthan Agriculture Impliments Works, Bharatpur	1.150	„	0.750	„
9.	„	Rajasthan Iron Works, Bharatpur	1.250	„	–	
10.	„	Bharatpur Agricultural Implement Works, Bharatpur	0.500	„	–	
11.	„	Bhagwandas Naraindas, Deeg.	1.500	„	0.500	„
12.	„	Sanwal das Ramchand, Deeg.	1.100	„	0.750	„
13.	„	Govind Iron Works, Bayana.	1.000	„	0.750	„
14.	„	Chaitnaya Iron Works, Bharatpur.	1.600	„	0.500	„
15.	„	Damodarlal Dandayal, Deeg.	1.500	„	–	
16.	„	Ghoodmal Peatoliram, Deeg.	1.500	„	0.500	„
17.	„	National Iron Works, Bharatpur.	1.600	„	0.500	„
18.	„	Rajasthan Iron & Steal Corporation, Dholpur	6.000	„	1·250	„

1	2	3			
19. M/s.	Bayana Gromodyog Samiti, Bayana.	1.000	,,	–	
20. ,,	Phoolchand Girraj Pd., Deeg	0.600	,,	–	
21. ,,	Om Iron Works, Bayana.	1.700	,,	0.750	,,
22. ,,	Jamnna Iron Works, Bharatpur.	0.500	,,	0.500	,,
23. ,,	Bharat Iron Works, Deeg.	0.900	,,	0.500	,,
24. ,,	Ram Prashad Twala Pd., Deeg.	–		0.500	,,
25. ,,	Ram Swaroop Dundayal, Kimabur.	–		0.700	,,
26. ,,	Mukandlal Chimanlal, Weia.	–		0.750	,,
27. ,,	Rajasthan Matal Works, Rajakhira.	–		0.950	,,
28. ,,	Barilal Kastu utpadak Sahkari Samiti, Bari.	–		1.300	,,
29. ,,	Dholpur Lohar Samiti, Dholpur.	–		1.000	,,
30. ,,	Garg Steel Industries, Industrial Estate, Bharatpur.	–		2.000	,,
31. ,,	Mangal Das & Sons. Kaman.	–		0.750	,,

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर देखिए)

कोटा डिवीजन (बी. एण्ड. आर.) कोटा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूची

क्रम सं०	नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
१	२	३
१.	श्री गोविन्दलाल त्रिपाठी, लोअर डिवीजन क्लर्क	१-६-१९६१
२.	वहीद खान ओवरसीयर	१७-७-१९६२
	स्पेशल स्टॉफ	
३.	श्री फत्ते मोहम्मद रोड़ मोहर्रिर एण्ड मिस्त्री	७-८-१९६२
४.	श्री नवलकिशोर रोड़ मोहर्रिर	३०-६-१९६२
५.	श्री अब्दुल हमीद रोड़ मोहर्रिर	१-८-१९६२
६.	डी० डी० पिन्टो मैकेनिक	३०-६-१९६२
७.	श्री गोविन्दलाल मैकेनिक	३०-५-१९५६

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर देखिए)

क्रम सं०	नाम सड़क	खर्च वर्ष १९६०–६१ तक	खर्च १९६१–६२	खर्च १९६२–६३	जून १९६४	योग खर्चा लाखों
१	२	३	४	५	६	७
१.	झुंझुनू से सीकर वाया मुकन्दगढ़	६.८७	०.०८	–	०.२३	७.१८
२.	मुकन्दगढ़ रेल्वे स्टेशन से टाउन	०.६३	०.१३	–	–	०.७६
३.	झुंझुनूं से मंडावा	३.३८	०.३२	०.०२	०.०८	३.७०
४.	झुंझनूं से श्रीमाधोपुर वाया गुढ़ा एवं उदयपुर	३.०७	१.९२	०.६१	०.०७	५.६७
५.	सूरजगढ़ से चिड़ावा	०.५८	०.०४	०.७०	०.०८	१.४०
६.	डामर रोड़ शाहपुरा झुंझुनूं रोड़ वाया नीम का थाना सीघाना और चिड़ावा	२.५६	१.६६	२.६४	०.९०	७.७६
७.	डामर रोड़ झुंझुनूं से सीकर	२.५५	–	–	०.६५	३.२५

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७
८.	मुकन्दगढ़ से बिसाऊ वाया चुरू अजीतगढ़ मंडावा	—	—	—	०.०१	०.०१
९.	एप्रोच रोड़ मुकन्दगढ़ से टाउन	—	—	०.०१	—	०.०१
१०.	एप्रोच रोड़ नगर	—	—	०.०५	०.१३	०.१८
११.	एप्रोच रोड़ सीकर झुंझुनूं रोड़ डून्डलोद तक	०.१७	.०६	०.०८	—	०.३१
१२.	एप्रोच रोड़ बिसाऊ रेल्वे स्टेशन से टाउन	०.१३	०.२१	०.१२	—	०.४६
१३.	सूरजगढ़ रेल्वे स्टेशन से टाउन	०.१६	०.१२	०.०३	०.०७	०.३८
१४.	एप्रोच रोड़ चिरावा रेल्वे स्टेशन से बरदावत ग्राम	—	०.०७	०.४१	०.४४	०.९२
१५.	एप्रोच रोड़ झुंझुनूं नवलगढ़ से लैंडिंग ग्राउन्ड झुंझुनूं	०.०३	०.०२	०.४६	—	०.५१
१६.	क्रोस ड्रिनेज वर्क्स, सिंघाना खेतड़ी रोड़	०.४६	(—) ०.०२	—	—	०.४४

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५७ का उत्तर देखिए)

मकान की संख्या जो खाली रहे

माह	एक कमरे वाले	दो कमरे वाले
१	२	३
जुलाई ६१	२२	—
अगस्त ६१	२०	—
सितम्बर ६१	१३	—
अक्टूबर ६१	१३०	—
नवम्बर ६१	१६१	१७
दिसम्बर ६१	११४	९
जनवरी ६२	१६२	६
फरवरी ६२	१६०	३
मार्च ६२	१५२	५
अप्रैल ६२	१३२	४
मई ६२	११८	२
जून ६२	११८	२
जुलाई ६२	११६	३
अगस्त ६२	१०१	२
सितम्बर ६२	१०२	—
अक्टूबर ६२	९९	२
नवम्बर ६२	९९	२
दिसम्बर ६२	१०३	१

१	२	३
जनवरी ६३	६८	–
फरवरी ६३	६६	–
मार्च ६३	८४	१
अप्रेल ६३	८८	–
मई ६३	७३	२
जून ६३	७२	५
जुलाई ६३	६४	२
अगस्त ६३	५८	२
सितम्बर ६३	३२	३
अक्टूबर ६३	२६	–
नवम्बर ६३	२७	–
दिसम्बर ६३	३२	–

(५)

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ३ मार्च, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१७	३	श्री निरंजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
३३	अन्तिम	(श्री हरिश्चद्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
३५	७	श्रीमति सुमित्रा	श्रीमती सुमित्रा
३६	अन्तिम से ६	श्रीमीत सुमित्रा	श्रीमती सुमित्रा
३७	,, ,, २	श्री श्रवणलाल	१३८. श्री श्रवणलाल
४५	अन्तिम से ६	विद्यत् मंत्री	विद्युत् मंत्री
६३	१ व ६	श्री मानिकचन्द सराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
६४	८	श्री हरिश्चद्र	श्री हरिश्चन्द्र
७३	५	श्री मलचन्द चौधरी	श्री मूलचन्द चौधरी
८४	१६	भी उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
८९	६	श्री नत्थीसिंह	४२. श्री नत्थीसिंह
९०	१७	श्री मुरलीधर व्यास	४३. श्री मुरलीधर व्यास
९२	६	श्री जयनारायण सालोदिया	४४. श्री जयनारायण सालोदिया
९५	११	भी शंकरलाल	श्री शंकरलाल
१०५-१०६	शीर्षक	-३ माच, ६४-	-३ मार्च, ६४-
१०७	११	राज्यपाल महोदय द्वारा सन्देह	राज्यपाल महोदय द्वारा सन्देश
,,	१२	भी उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
११२	शीर्षक	विषयक स्थगन-प्रसावत	विषयक स्थगन-प्रस्ताव
११३	,,	प्रतापसागर बांद के मजदूरों	प्रतापसागर बांध के मजदूरों
,,	४	श्री भीखभाई	श्री भीखाभाई
१३२	शीर्षक	सम्बन्धी ध्यना दिलाना	सम्बन्धी ध्यान दिलाना
१३९	शीर्षक	पंचायत समिति तथा चिला	पंचायत समिति तथा जिला
१६४	१९	श्री कृष्णकुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
१६९	शीर्षक	पंचावत समिति तथा जिला	पंचायत समिति तथा जिला
२१५	,,	पंचायन समिति तथा जिला	पंचायत समिति तथा जिला

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२२१	शीर्षक	पंचायत समिति तेथा जिला	पंचायत समिति तथा जिला
२३३	१	(आसींन्द)	(आसीन्द)
,,	अन्तिम से ३	**राज्यपक्ष माननीय सदस्य**	**राज्यपक्ष के माननीय सदस्य**
२३४	६	प्रश्न	प्रश्न
२३६	६	(खारवी)	(खारची)
२३८	शीर्षक	परिषद (संशोधन) विधेयक	परिषद् (संशोधन) विधेयक
२४०	१४	**श्री ज्वाला सप्राद् शर्मा**	**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा**
२४६	४	**अब्दुलजब्बारखां,**	**अब्दुलजब्बार,**
२५१	२	RAW MATFRIAL	RAW MATERIAL
२५६	शीर्ष	**परिशिप्ट**	**परिशिष्ट**

* **नोट:**—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।